



सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005

की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल (1 से 17 तक)

कार्यालय

मुख्य कृषि अधिकारी,

देहरादून

वर्ष— 2019–20

Email ID—
Phone No.—

cao.deh.uk@gmail.com
9412120961

—:: प्राकथन ::—

- 1— सरकारी विभागो के सम्बन्ध में अब तक सूचनायें गुप्त रखी जाती थी, ये नियम ब्रिटिश शासन काल से बने हुए थे। जनता सूचना से वंचित रहती थी। इस बावत संविधान संशोधन द्वारा जनता को सूचना का अधिकार देकर बहुत पुराने समय से बने सरकारी नियमों को बदला गया तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम से 2005 से जनता को लाभ होने की आशा है।
- 2— इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारी को एक निर्देशिका में समेटा जायेगा। जिससे सम्बन्धित सूचनायें जनता को उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।
- 3— यह निर्देशिका समस्त जनता/जन प्रतिनिधि/कार्यालय /मण्डलीय कार्यालय/निदेशालय/ मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी स्तर पर सूचनायें मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने में सहयोगी और उपयोगी होगी।
- 4— हस्त पुस्तिका के प्रारूप में जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।
- 5— परिभाषायें/शब्दावली के विषय में जानकारी विभिन्न अवसरों पर सूचना अधिनियम के लागू होने के बाद समय के साथ-साथ प्राप्त होती जायेगी। क्योंकि किसी नई चीज के लागू होने पर शुरूआत में कुछ कठिनाइया आती है और समय आगे बढ़ने पर परिभाषायें और शब्दावली स्वतः स्पष्ट होती जायेगी।
- 6— हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क व्यक्ति का नाम – श्री विजय देवराड़ी, मुख्य कृषि अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद देहरादून स्तर की सूचना के सम्बन्ध में।
- 7— हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क – इस सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण **10.00** रुपया प्रति सूचना निर्धारित प्रपत्र पर जमा कर मांगा जा सकता है। तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने विषयक जानकारी निदेशालय स्तर से प्राप्त होने पर सूचना निर्देशिका में समायोजित की जायेगी।

-:: मैनुअल-1 ::-

(संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य)

2.1:- लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्यः- कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के समस्त कृषकों को अनुमन्य अनुदान पर यथा- बीज, रसायन कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराना तथा साल भर खरीफ तथा रबी में विभिन्न फसलों की जानकारी देना, कृषकों को कृषि समबन्धी समस्याओं का निराकरण कराना तथा नई कृषि तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।

2.2:- लोक प्राधिकारण/संगठन का मिशन/विजनः- जनपद स्तर पर कृषि कार्यों में कृषकों को बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में जनपद को आत्मनिर्भर बनाना संगठन का मिशन है तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा० कलाम, के अनुसार सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन है, उसी विजन को हकीकत में तब्दील करने को कृषि विभाग द्वारा सन् 2020 तक कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना तथा उपलब्ध कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा जनपद को जैविक जनपद बनाने का विजन है।

2.3:- लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्यः- शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जनपद में कृषि कार्यक्रमों को संचालित कर जनता और कृषकों की सहायता करना, उनको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खेती की जानकारी देना, सरकारी कार्यक्रमों का जनता/कृषकों में प्रचार-प्रसार करना संगठन का मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ कृषि विभाग में जनपद स्तर पर कार्य कर कर्मचारियों के हितों की देखभाल करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना तथा उनके देयकों का भुगतान करना भी संगठन का कर्तव्य है।

2.4:- लोक प्राधिकरण/संगठन के मुख्य कृत्यः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरकार /विभाग द्वारा प्राप्त बजट पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग कार्यक्रम, जल संभरण, कृषक महोत्सव, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रमाणित तथा आधारीय खरीफ/रबी/जायद के बीजों का वितरण आत्मा योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार कार्यक्रम, जिला योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, मिनिकिट वितरण आदि कर कृषकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को सफल बनाना मुख्य कृत्य हैं।

2.5:- लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका सक्षिप्त विवरणः- कृषि विभाग द्वारा जनपद में कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान की जा रही है।

1—नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन

धान्य फसलें, दलहनी तथा तिलहनी फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से यौजना लागू है। कलस्टर प्रदर्शनों पर ₹० 9,000.00 प्रति है० तथा फसल चक आधारित प्रदर्शन पर ₹० 12,500.00 अथवा ₹० 15,800.00 प्रति (की दर (जो भी अनुमन्य हो) पर अनुदान उपलब्ध है।

- चयनित क्षेत्रों में गेहूँ, मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) तिलहनी एवं दलहनी फसलों की नवीनतम प्रजातियों के कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन।
- गेहूँ की अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों के क्रय पर 10 वर्ष से अधिक की प्रजातियों पर ₹० 1000.00 प्रति कु०, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजातियों पर ₹० 2000.00 प्रति कु० दलहनी फसलों में अधिक अवधि की प्रजातियों पर ₹० 2500.00 प्रति कु०, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजातियों पर ₹० 5000.00 प्रति कु०, तिलहनी फसलों में सोयाविन एवं तोरिया पर ₹० 4000.00 प्रति कु० तथा तिल के बीजों पर ₹० 8000.00 प्रति कु०, मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) फसलों में ₹० 1500.00 प्रति कु०, तथा संकर धान एवं संकर मक्का बीजों के क्रय पर ₹० 1000.00 प्रति कु० या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की राज सहायत अनुमन्य है।

- सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों एवं जैव रसायनों के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा ₹0 500.00 प्रति हैक्टेयर।
- फसल चक्र आधारित कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं कृषि यंत्र वितरण।
- तिलहनी फसलों के अन्तर्गत ब्लाक क्रय कृषक प्रशिक्षण एवं आधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रपिधान है।

2—नेशनल मिशन फार स्टेनेबल एग्रीकल्चर:-

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के साथ—साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करना है। इस घटक के दो उप घटक हैं— (i) एकीकृत कृषि पद्धति एवं (ii) मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण।

एकीकृत कृषि पद्धति योनजा के अन्तर्गत उद्यान आधारित, पशुधन उत्पादन आधारित, दुग्ध उत्पादन आधारित, वृक्ष उत्पादन आधारित एवं कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली सम्मिलित है। जबकि मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनहाउस/लो टनल पॉलीहाउस निर्माण, मौन पालन, साइलेज इकाई निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, वाटर हार्वेस्ट टैंक, कम्यूनिटी टैंक, टैंक्स रैस्टोरेशन, वाटर एप्लीकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर लिपिंग डिवाइस, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण, कृषक प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट आदि पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुसार अनुदान की सुविधा देय है।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

- क्षेत्र विशेष के आधार पर एकीकृत कृषि प्रणालियों का प्रयोग करके कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभप्रद, उत्पादक एवं मौसम के अनुसार लचीला बनाना।
- मृदा व नमी संरक्षण के उचित उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- समग्र मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा परीक्षण मानचित्रों के आधार पर पोषक तत्वों का उपयोग करना, उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग इत्यादि।
- जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पहले से चल रहे कार्यक्रमों के सहयोग से जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करते हुये किसानों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की क्षमता का विकास करना।

योजनार्थ देय अनुदान निम्नवत् है—

क्र.सं.	घटक	व्यय के मानक
(अ) समेकित कृषि प्रणाली (Integrated Farming System)		
1	उद्यान आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 25000.00 प्रति हैक्टेयर।
2	पशुधन उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	कापिंग सिस्टम के मूल्य एवं पशुओं/पक्षी के मूल्य साथ—साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड फूड के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा ₹0 25000.00 / हैक्टेयर है। (10 पशु/50 पक्षी, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम)।
3	दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	पशु लागत सहित फसल प्रणाली के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसमें कि पशुओं के साथ—साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड का मूल्य सम्मिलित हो, अधिकतम ₹0 40000.00 / हैक्टेयर (02 दुधारू पशु, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम)।
4	मत्स्यकी आधारित कृषि प्रणाली	फिश फार्मिंग को सम्मिलित करते हुये कापिंग/वेजेटेविल सिस्टम के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा ₹0 25000.00 / हैक्टेयर है।
5	वृक्ष उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम ₹0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।
6	कृषि वानिकी आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत या जिसकी अधिकतम सीमा ₹0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तंकद्वारा के अन्तर्गत व्यय के मानक

(ब) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण (Value addition and resource conservation)		
1	मौन पालन	मूल्य का 40 % या ₹0 800.00 प्रति कालोनी
2	साइलेज इकाई	मूल्य का शत—प्रतिशत अधिकतम ₹0 125000.00 प्रति फार्म फैमिली
3	पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज	मूल्य का 50 % या ₹0 4000.00 प्रति वर्ग मीट्री
4	जल सम्भरण टैंक (व्यक्तिगत)	मूल्य का 50 % या ₹0 90000.00 प्रति टैंक जो भी कम हो
5	सामुदायिक टैंक (एक है० कमांड क्षेत्रफल)	मूल्य का 100 % या अधिकतम ₹0 250000.00 प्रति टैंक
6	टैंक रिस्टोरेशन	मूल्य का 50 % या ₹0 15000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो

7	जल प्रयोग एवं वितरण	मूल्य का 50 % या ₹0 10000.00 प्रति है0 जो भी कम हो
8	मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत-प्रतिशत अधिकतम ₹0 24000.00 प्रति इकाई
9	लोवर रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत-प्रतिशत अधिकतम ₹0 40000.00 प्रति इकाई।
10	ससाधन संरक्षण /आई0 एफ0 एस0 प्रशिक्षण (20 प्रति समूह)	₹0 10000.00 प्रति प्रशिक्षण
11	शैक्षणिक भ्रमण /एक्सपोजर विजिट (50 प्रति समूह)	₹0 20000.00 प्रति भ्रमण /विजिट

(ब) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना— मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत मृदा में आवष्यक पोशक तत्वों की उपलब्धता एंव आवष्यकता तथा मृदा उर्वरता बढ़ाने के उददेश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार Model Village Programme हेतु जी0पी0एस0 पद्धति से खरीफ 2019 में मृदा नमूने एकत्रित किये गये। नमूना विश्लेशण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई संस्तुतियों के आधार पर **चयनित** प्रत्येक विकासखण्ड से एक ग्राम(कुल 6 ग्राम) में रबी 2019–20 में कलस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। 2141 कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना :— वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो कि 90 प्रतिशत केन्द्रांश एंव 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है वर्ष 2017–18 तक योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 585 कलस्टर स्वीकृत किये गये हैं, प्रत्येक कलस्टर का क्षेत्रफल 20 हैक्टर है। इस अवधि में योजना का संचालन 11 पर्वतीय जनपदों एंव एक मैदानी जनपद में किया गया। सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0 के0 वी0 वाई0) योजना में भारत सरकार द्वारा 3900 नये कलस्टर आवंटित किये गये हैं। योजनान्तर्गत कलस्टर/समूह में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत-प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं।

- परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तर पर 3900 समूहों (155 कलस्टरों) एंव जनपद स्तर पर 200 समूहों का (कृषि विभाग-7, उद्यान विभाग –100 एंव उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद –25) का चयन किया गया है।
- योजना अन्तर्गत एक कलस्टर/समूह में 20 है0 क्षेत्रफल एंव 50 कृषक आच्छादित किया जाना है।
- कलस्टर आधारित चयनित ग्रामों में सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0) के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहन।
- पारम्परिक तकनीकों और प्रोद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक, सिन्धैटिक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा।
- प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना एंव मिटटी की प्रजनन क्षमता बढ़ाना।
- टिकाऊ एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करते हुए कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण प्रबन्धन द्वारा किसानों को सशक्त बनाना।
- मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौस्तिक उत्पाद का स्थायी रूप से उत्पादन करना।
- स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ प्रत्यक्ष बाजार सम्बन्धों के माध्यम से किसान उद्यमियों को तैयार करना।

क्र० स०	कार्यमद	व्यय के मानक (₹0 / है0)			
		2018–19	2019–20	2020–21	कुल
अ	सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन				
1,	कलस्टर गठन, प्रशिक्षण एंव एक्सपोजर भ्रमण	1000,00	1000,00	1000,002	3000,00
2,	प्रक्षेत्र कार्मिकों का तैनाती एंव योजना क्रियान्वयन के प्रबन्धन हेतु व्यय	1500,00	1500,00	1500,00	4500,00
ब	प्रादेशिक परिषद के माध्यम से पी0 जी0 एस0 प्रमाणीकरण				
3,	भौतिक सत्यापन ,प्रमाणीकरण प्रक्रिया एंव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेवा शुल्क	700.00	700.00	700.00	2100.00
4,	क्षेत्रीय परिषद /विभाग के माध्यम से एन0ए0वी0एल0अधिकृत प्रयोगशालाओं में रसायन अवशिष्ट	0,00	300,00	300,00	600,00
	विश्लेषण (द्वितीय वर्ष से 3 नमूना /एल0आर0पी0 क्षेत्र)				

स	डी० बी० टी० के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि					
5,	डी०बी०टी० के माध्यम से जैविक में परिवर्तन, औन फार्म एवं ऑफ फॉर्म निवेशों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि	12000,00	10000,00	9000,00	31000,00	
द	मूल्य संवर्धन ,मार्केटिंग एवं प्रचार –प्रसार					
6,	मार्केटिंग पैकेजिंग ,ब्राडिंग किराया, परिवहन आदि हेतु वित्तीय सहायता	0,00	500,00	1000,00	1500,00	
7,	कृषक समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन ,संरचना निर्माण	0,00	1000,00	1000,00	2000,00	
8,	ब्रांड ब्यूलिङ मेले , प्रदर्शनी ,प्रचार –प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग	1300,00	2000,00	2000,00	5300,00	
	योग	16500.00	17000.00	16500.00	50000.00	

(स) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** :- प्रदेश में जल के उपयोग को बढ़ाने और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 90 प्रतिशत भारत सरकार का अंश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश फंण्डिग पैटर्न पर संचालित की जा रही है। योजना 04 घटकों में संचालित है। (अ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) (ब) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) (स) हर खेत को पानी एवं (द) जलागम विकास।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के (Per Drop More Crop) घटक के अन्तर्गत माइक्रो इरिगेशन (स्प्रिंकलर सेट स्थापित करना इत्यादि) एंव जल संचयन हेतु बहुदेशीय टैक, चैक डैम, कच्चे एंव पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्त्रोतों का पुनरुद्धार तथा विस्तार आदि कार्य सम्मिलित है।

योजना के उद्देश्य –

1. खेत में जल की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत कृषि भूमि को बढ़ाना।
2. फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्रदान करना।
3. उचित प्रौद्योगिकी ओर पद्धतियों के मध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का समेकन, वितरण और इसका दक्ष उपयोग।
4. मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भराव, प्रवाह बढ़ाना, आजीविका विकल्प प्रदान करना और अन्य एनआरएम गतिविधियों की ओर पनधारा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करना।
5. जल संचयन, जल प्रबन्धन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

घटक की कार्यमद, अनुदान मानक का विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	कार्यमद	योजना में अनुदान के मानक	व्यय के मानक
1	जल संग्रहण संरचनायें		
i	जल संरक्षण संरचनायें	NMSA	मुल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रु० 2.50 लाख / संरचना 01 है० कमांड क्षेत्रफल
ii	चैक डैम	IWMP	मुल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रु० 1.80 लाख / इकाई जो भी कम हो।
iii	वर्षा जल संग्रहण / संरचनायें	IWMP	मुल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 0.10 लाख / इकाई।
iv	कच्चा तालाब	IWMP	मुल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रु० 0.15 लाख / इकाई जो भी कम हो।
2	जल संवहन यंत्र		
i	सिंचाई नालें (सामुदायिक)	IWMP	मुल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रु० 0.50 लाख / है० जो भी कम हो।
ii	एच०डी०पी०ई० पाइप	NMSA	मुल्य का 50 प्रतिशत या रु० 50 / मी० या अधिकतम रु० 0.12 / है०।
3	पूरक सिंचाई व्यवस्था		
i	जल पम्प	NMSA	मुल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 0.15 लाख / इकाई।
ii	टयूब वेल		

a	गहरी एंव उथली ट्यूब वेल	NMSA	मुल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.25 लाख/इकाई।
b	गहरी ट्यूब वेल	IWMP	मुल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 1.00 लाख/इकाई।
4	जल संरक्षण संरचनाओं का पुनरुद्धार एंव मरम्मत	NMSA	मुल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.15 लाख/इकाई।
5	संरचनाओं का सुदृढीकरण		
i	बाह्य भ्रमण	SAME (NMAET)	मुल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रु0 400 प्रति दिन प्रति।
ii	जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	SAME (NMAET)	मुल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रु0 250 प्रति दिन प्रति।

- क) खेत में जल की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत कृषि भूमि को बढ़ाना।
- ख) फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्रदान करना।
- ग) उचित प्रौद्योगिकी ओर पद्धतियों के मध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का समेकन, वितरण और इसका दक्ष उपयोग।
- ध) मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भराव, प्रवाह बढ़ाना, आजीविका विकल्प प्रदान करना और अन्य एनआरएम गतिविधियों की ओर पनधारा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करना।
- ड) जल संचयन, जल प्रबन्धन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

4—नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम।

(अ) सब—मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (SMAE) एंवं जनपद स्तर पर एग्रीकल्वर टैक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी—आतमा (केन्द्रपोषित) के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित है, विवरण निम्नवत है।

क्र०सं0	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक
1	कृषक प्रशिक्षण	अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण हेतु रु0 1250, राज्यन्तर्गत रु0 1000, एंवं जिलान्तर्गत रु0 400 / 250 प्रति कृषक प्रतिदिन
2	प्रदर्शन	कृषि उद्यान, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि द्वारा आयोजित प्रति एकड़ रु0 4000.00
3	कृषक अध्ययन भ्रमण	अन्तर्राज्यीय भ्रमण हेतु रु0 800, राज्यन्तर्गत रु0 400, एंवं जिलान्तर्गत रु0 300 प्रति कृषक प्रतिदिन
4	कृषक समूह को सहायता	क्षमता विकास हेतु रु0 5000, सीड मनी हेतु रु0 10000 एंवं फूड सिक्योरिटी हेतु 10000 प्रति समूह प्रतिवर्ष
5	सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार	रु0 20000 प्रति समूह
6	किसान पुरस्कार	राज्यस्तरीय रु0 50000, जनपदस्तरीय रु0 25000, एंवं ब्लाक स्तरीय रु0 10000 प्रति कृषक
7	फार्म स्कूल	ब्लाक स्तर पर प्रतिफार्म स्कूल रु0 29414 (प्रत्येक विकासखण्ड में 3 फार्म स्कूल का आयोजन)

(ब) सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटिरियल (बीज ग्राम योजना):— उत्पादन को बढ़ाने एंव कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बीज ग्राम योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में ही गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करते हुए उपयोग में लाया जा सके। योजनान्तर्गत कृषकों को एक एकड़ क्षेत्रफल हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज वितरित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के स्तर पर उत्पादित बीजों की गुणवत्ता को सुदृढ़ कर कृषकों को बीज उत्पादन तकनीक में प्रशिक्षित करते हुए उत्पादित बीज का सुरक्षित भण्डारण करना है।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत देय सुविधायें—

क्र०सं0	मद	देय अनुदान
1	बीजों पर देय अनुदान	योजनान्तर्गत कृषकों को 01 एकड़ क्षेत्रफल हेतु प्रमाणित एंव आधारीय बीजों यथा: धान्य फसलों में बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान तथा दलहन एंव तिलहन फसलों में 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु कृषकों को एक—एक दिवसीय तीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता

		है, जिस पर रु0 15000 का व्यय प्रस्तावित है। प्रथम प्रशिक्षण बुवाई के समय, द्वितीय प्रशिक्षण पुष्पावस्था के समय तथा तृतीय प्रशिक्षण फसल कटाई के समय प्रदान किया जाता है।
3	भण्डारण व्यवस्था—टिन की बुखारियों का वितरण	पर्वतीय विकासखण्डों में 02.00 कुं0 की क्षमता वाली बुखारी एवं मैदानी जनपदों के विकासखण्डों में 10 कुं0 क्षमता वाली बुखारी अनुदानित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है। 10.00 कुं0 क्षमता वाली बुखारी पर, सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 1000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत अधिकतम रु0 1500 प्रति बुखारी अनुदान देय है।

(स) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM)

- कृषि के आधुनिकरण में शस्य कियाओं का समय पर सम्पादन करने, कृषि आगातों का प्रभावपूर्ण प्रयोग, मानव श्रम को कम करने तथा कम लागत पर अधिक उत्पादन लेने में कृषि यन्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि में यन्त्रीकरण का अर्थ है “फसल उत्पादन के लिये कृषि भूमि पर अधिक खाद्यान्न हेतु नवीनतम सुयोग्य प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करना।”
- जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव श्रम तथा खेती में काम करने वाले पशुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। जिस कारण कृषि कार्य में कठिनाई हो रही है, साथ ही इस क्षेत्र के कृषकों की क्रय क्षमता भी न्यून है, इसके दृष्टिगत कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष के अनुसार यन्त्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
- आधुनिक एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने वाले कृषि यंत्रों को फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा राहा है। इस हेतु इनकी स्थापना पर्वतीय कृषकों के लिये अधिक लाभप्रद सिद्ध हो रही है। उन्नत व सुविधाजनक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये इस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जा राहा है।
- योजना द्वारा लागू एवं सीमन्त कृषकों, महिला कृषकों के माध्य कृषि यन्त्रीकरण की पहुँच बढ़ाना, फार्म मशीन की बैंकों की स्थापना हेतु रु 8,00 लाख अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, राज सहयता उपलब्ध है, जिससे सीमन्त एवं लधु कृषकों को भी उपयोगी आवश्यक कृषि यन्त्र उपलब्ध हो सकें।

5-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:-

- NFSM चावल, कार्यक्रम से अनाच्छादित जनपद देहरादून में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –फसल उत्पादन क्लस्टर प्रदर्शन तथा बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों पर राज सहायता।
- पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीज की कार्यों की पूर्ति के उददेश्य से कृषि विभाग, उत्तराखण्ड ने स्वयं ही प्रमाणित बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया, इस वर्ष धान हेतु 11.16 है0 क्षेत्रफल, मक्का 3.01 है0 तथा गेहू 100 है0 क्षेत्रफल के अन्तर्गत आच्छादित है।
- एडोषन एंड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एडोषन एंड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग ” कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक खाद संरचनायें यथा वर्मी पिट, नाडेप पिट के निर्माण एवं जैविक कृषि निवेशों का वितरण 50 प्रतिशत अनुदान पर किया जाता है। जनपद के 06 विकासखण्डों (डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकराता) के 110 ग्रामों का जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत संतुप्तीकृण किया जा रहा है। साथ ही योजनान्तर्गत जैविक कलस्टरों में जैविक उत्पादों का वितरण, कृषकों का एक्सपोजर विजिट एवं जैविक कृषि सम्बन्धित ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के साथ ही प्रमाणीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत जैविक प्रमाणीकरण का कार्य उत्तराखण्ड आर्गेनिक स्टेट सर्टीफिकेशन एजेन्सी द्वारा उ0जै0उ0प० के माध्यम से कराया जा रहा है।

जैविक कृषि कार्यक्रम के मुख्य उददेश्य:-

- उत्तम गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में उत्पादन करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग।
- पौधों एवं जन्तुओं का उपयोग कर जैवकीय चक्र को गति प्रदान करना।
- मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता बनाये रखना।
- कृषि तकनीकों से होने वाले सभी प्रदूषणों से बचाव।
- कृषकों को सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ अधिकतम उत्पादन द्वारा संतुष्टि।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :-

- अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों का कृषि विकास कार्यक्रमों से संतुष्टिकरण करते हुए पूर्ण विकास करना। वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ यह योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के लाभार्थ विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। वर्ष 2019–20 हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में 02 ग्रामों को अनुसूचित जाति तथा 02 ग्रामों को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत समूहों में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत-प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं। विवरण निम्न प्रकार है –
- कृषकों की उपयुक्तता को संज्ञान में लेते हुये उन्नत प्रजाति के बीजों के मिनिकिट किसानों को निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।
- पौध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले कीटनाशी रसायनों जैव रसायन के साथ-साथ सूक्ष्म तत्वों लाइट ट्रेप वितरण किया जाता है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण समय –समय पर कराये गये मृदा परिक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है
- कृषि यंत्र वितरण – थ्रेसर , पावर टिलर ,पावर विडर , जल पंप जैसे अधिक लागत वाले यत्नों को यदि विगत वर्ष के दौरान वितरित न किया गया होते समूह की आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है तथा समूह से अनुबन्ध कराने उपरान्त यत्र का उपयोग एवं रखरखाव सामूहिक रूप से करेगे
- मानव/बैल चालित यंत्र, अन्न भडांरण की बुखारी, चैफ कटर एवं 500 लीटर की टंकियों एवं एच० डी० पी० ई० किसानों को निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।
- छतवर्षा जल संभरण टैकों का निर्माण कराया जाता है ताकि वर्षा जल का समुचित उपयोग हो सके।
- चयनित ग्रम में उपलब्ध जल स्रोत को ध्यान में रखते हुये सिंचाई टैक संपादित किये जाते हैं, जिसका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है।
- सिंचाई गूल का निर्माण कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु समूह के उपयोग के लिए किया जाता है
- मृदा एवं जल संरक्षण संबन्धी स्थायी प्रक्रिया के कार्य ही संपादित किये जाए वानस्पतिक घेरबाड चारा/फल प्रजाति के पौधों का वितरण एवं घास रोपण का कार्य किया जाता है। बीज मिनिकिट में दस वर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित नवीन तक फसल प्रजातियों का ही वितरण किया जाए।

8— जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यों को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में समर्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

9— राज्य सैक्टर (अनु० जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक-पृथक एस०सी, एस० टी० की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। 2017–18 में विकास खण्ड खटीमा में भगचुरी एवं बनकटिया, विकास खण्ड सितारगंज में खुन्सरा एवं बलखेडा चयनित हैं।

2.6:- लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग:- संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणनु अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिंगल विण्डो सिस्टम के रूप में में पुर्नगठित किया गया।

2.7:- लोक प्राधिकरण संगठन के विभिन्न स्तरों पर संगठन का ढाँचा:-

1— जिला स्तर पर:-

1— मुख्य कृषि अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी।

- 2— कृषि रक्षा अधिकारी ।
- 3— प्रभारी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला।
- 4— ज्येष्ठ कृषि विपणन निरिक्षक।

2— इकाई स्तर परः—

- 1— कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर।
- 2— कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।
- 3— कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्रता ।

2— ब्लॉक स्तर परः—

- 1— सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1 (विकासखण्ड प्रभारी)
- 2— सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2 (बीज भण्डार प्रभारी)

3— न्याय पंचायत स्तर पर—

- 1— सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2 (न्याय पंचायत प्रभारी)

2.8:- लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें :- कृषि विभाग जनपद स्तर पर शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में जन सहयोग की अपेक्षा करता है। क्योंकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असम्भव है। और जन सहयोग के आभाव में कार्यक्रमों की गुणवत्ता संदेहास्पद रहने की संभावना है।

2.9:- जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्था:- जनपद स्तर पर जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिवर्ष रबी, खरीफ प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। जिसमें जनपद के समस्त कृषकों से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

2.10:- जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था:- जनता से शिकायते प्राप्त होने के लिए जनपद स्तर कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई एवं विकासखण्ड स्तर पर भी कृषकों की शिकायते प्राप्त की जाती है तथा उनके निराकरण के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में मोबाईल/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/जनपद हैल्प लाइन पर विभिन्न इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होने पर उनका ऑनलाइन ही निराकरण किया जाता है।

—:: मैनुअल— 2 ::—

(अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य)

पदनाम— मुख्य कृषि अधिकारी

शक्तियाँ:-

- 1— जनपद में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबंध में।
- 2— लधु दण्ड निन्दा, टाइम स्केल में वेतन बृद्धि रोकना, असावधानी या आज्ञाओं का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार को पहुँचायी गई आर्थिक क्षति को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वेतन से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।
- 3— जनपद के बाहर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति करना।
- 4— अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का 42 दिनों तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक को प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत करना।
- 5— जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की दण्ड एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना तथा कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के दण्डन का अधिकार, संबंधित सेवा के नियमों के अन्तर्गत।
- 6— जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि पर संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना।
- 7— लिपिक वर्गीय/वैयक्तिक सहायक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि स्वीकर्ता प्राधिकारी।

कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला स्तर पर पूर्व की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए कृषि विभाग के समस्त अनुभागों में जिला स्तर पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य कृषि अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। जिला स्तर पर कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न अनुभागों के विभागीय अधिकारियों यथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उपरोक्त कृत्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी के निम्नलिखित दायित्व निश्चित किये गये हैं।

- 1— मुख्य कृषि अधिकारी जिले में कृषि विभाग का नोडल अधिकारी होगा।
- 2— मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर कृषि विभाग का आहरण वितरण अधिकारी होगा।
- 3— मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों यथा उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की उपलब्धता विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।
- 4— कृषि विभाग भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों को क्रियान्वित करायेगा।
- 5— जिले में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु कार्य योजना बनायेगा एवं उसको क्रियान्वित करेगा।
- 6— उत्तांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 11 एवं उसके अधीन नियमावली के प्रस्तर 4(3), 10, 12 एवं उप प्रस्तरों के प्राविधानों के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी निदेशक, कृषि का नामित अधिकारी होगा एवं निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

- 7— जिला स्तर पर संकलित समस्त योजनाओं की प्रगति, सूचनाओं को संकलित करेगा एवं संयुक्त कृषि निदेशक / निदेशक, कृषि को समय-समय पर प्रेषित करेगा।
- 8— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार समस्त कच्चे कार्यों का अंतिम तकनीकी अनुमोदन प्रदान करेगा।
- 9— अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली प्रत्येक भूमि संरक्षण इकाई की प्रतिमाह दो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना।
- 10— अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण करना तथा लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर विषेश ध्यान देते हुए रोकड़ बही का सत्यापन करना।
- 11— ₹0 5.00 लाख तक की संरचनाओं की प्राविधिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करना तथा उससे अधिक धनराशि की संरचनाओं पर नियमानुसार उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना।
- 12— अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों का सम्प्रेक्षण कराना।
- 13— जिला स्तर पर बजट संबन्धी सम्पूर्ण कार्यदायित्व से संबंधित सूचना संयुक्त कृषि निदेशक / कृषि निदेशक को प्रस्तुत करना।
- 14— मुख्य कृषि अधिकारी अपने कार्यालय में समस्त तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों तथा अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं कर्मचारियों के देयकों का समय से निस्तारण करना।
- 15— जिले में कृषि कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 20 प्रतिशत सत्यापन करना।
- 16— जिले के अन्तर्गत बीज / उर्वरक अधिनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य दायित्व का निर्वहन करना।
- 17— सचिव, कृषि एवं कृषि विषय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा० सं०-१०७ / सी०एस० / कृषि / ०३ / रिट-२(2) ०२, दिनांक ३ जनवरी, २००४ के परिषिष्ट-१ के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायित्व का निर्वहन करना।

कृषि रक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-

- 1— अपने जिले में समस्त कृषि रक्षा कार्यों को दक्षता एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण का कार्य।
- 2— कीटनाशी दवा एवं कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था तथा कार्यस्थलों पर यथासमय पूर्ति करना।
- 3— जिले में कीटनाशी रसायन गुणों की रक्षा तथा मिलावट व अनियमित ब्रिकी को रोकना।
- 4— जनपद में कार्यनित की जा रही विभिन्न योजनाओं में यथा-जैविक खाद आदि के संचालन में सक्रिय सहयोग।
- 5— जनपद में कृषि रक्षा गोदमों का लेखा व अन्य रिकार्ड का माह में एक बार अपने लेखा कर्मचारियों द्वारा जाँच कराना तथा लेखा नियमों के अनुसार रिकार्ड को दुरस्त कराना और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजना।
- 6— खण्ड के कृषि रक्षा कार्यों का शत प्रतिशत मौके पर निरीक्षण तथा उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
- 7— जनपद के समस्त कृषि रक्षा योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 50 प्रतिशत सत्यापन करना एवं दी गई अनुदान की राशि का स्वयं सत्यापन करना कृषि रक्षा रसायनों की बैंलेंस शीट व अन्य लेखा रिपोर्ट को यथा समय भेजना।
- 8— कृषि रक्षा रसायनों संबन्धी आय व्ययक का समुचित रूप से हिसाब रखना तथा उसका समय से सदुपयोग करना एवं देय समय में भुगतान की व्यवस्था करना।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्य एवं दायित्व-

प्रत्येक जिले में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का एक या एक से अधिक पद सृजित किया गया हैं। जिसके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

- 1— उत्तराखण्ड भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है जिसके कारण इकाई स्तर पर सभी कार्यों के लिए कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ही उत्तरदायी हैं।

- 2— इकाई के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, मुख्य कृषि अधिकारी से उनका अनुमोदन प्राप्त करना।
- 3— इकाई के समस्त परियोजनाओं के कार्यों का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था करना एवं समस्त देय धनराशि के अभिलेखों के रख-रखाव का प्रबन्ध कराना।
- 4— इकाई के प्रत्येक उप इकाई की प्रतिमाह दो-दो परियोजनाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना तथा पक्के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना।
- 5— इकाई स्तर पर कराये गये कार्यों से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा भुगतान सुनिश्चित कराना।
- 6— इकाई के समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को विभागीय निर्देशानुसार पूर्ण कराना तथा सभी कर्मचारियों के स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रख-रखाव करना।
- 7— इकाई स्तर पर कराये गये समस्त कार्यों का प्रगति विवरण तथा अन्य सूचनाएं मुख्य कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करना।
- 8— इकाई को आवंटित समस्त धनराशि को वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।
- 9— भूमि संरक्षण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का अभिलेख तैयार कराना एवं लाभार्थी से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित करना।

सिंगल विण्डो सिस्टम

सिंगल विण्डो सिस्टम के उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें हैं। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी अन्तर है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यों के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण / जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यों का पृथक-पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कमियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहे थे। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं—

1. वर्तमान परिदृष्टि में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश की कृषि का एक नवीनकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।
2. पूर्व ढाँचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढाँचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सकें।
3. क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहे थे, उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया है।
4. कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे—बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर समान्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वारित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।

5. पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है। जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपकरणों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।
6. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।
7. उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।
8. कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
9. कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
10. प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराया जाना।
11. जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।
12. कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा। ताकि लैव टू फील्ड एवं फील्ड टू लैव के पैटर्न पर तथा ट्रैनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सकें। इसके लिए न्याय पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुदृढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पायेगा उनके लिए विकासखण्ड इकाई जनपद अथवा निदेशालय से सम्पर्क समस्याओं का समाधान करेगा। जाँ समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पर्क कर करेगा। जिसके लिए न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा किसान कॉल सेन्टर / टॉलफ़ी नम्बर के माध्यम से भी कृषकों के समस्याओं का समाधान करेगा।
13. न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवों का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिक आदि के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में दक्षता तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एक्सन ओरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप से लागू हो सकें। इसके लिए न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।
14. न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, बीज शोधन एवं उर्वरक टेस्टिंग की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।
15. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग- 2 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषकों के मध्य सम्पर्क कृषक/प्रचार-प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।
16. प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी निश्चित तिथि को कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा जहां आवश्यकतानुसार कृषि से

सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों /अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

कृषि विभाग के मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण संबंधी अधिकारों का प्रतिनिधायन।

कृ० सं०	अधिकारी का नाम	आकस्मिक अवकाश स्वी अधिकारी	यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं यात्रा बिलों प्रतिहस्ताक्षरण अधिकारी
1	2	3	4
1	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	कृषि निदेशक
2	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक	मण्डलायुक्त	कृषि निदेशक
3	मुख्य कृषि अधिकारी	जिलापंचायताध्यक्ष/ जिलाधिकारी /मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन जिला पंचायत अध्यक्ष/जिलाधिकारी
4			यात्रा भत्ता बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक करेंगे।
5	जनपद मुख्यालय स्तर पर/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के समस्त श्रेणी-2 के अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी।

नोट: समूह-ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में आकस्मिक अवकाश/यात्रा कार्यक्रम अनुमोदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।

2 समूह-क एवं ख के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश की सूचना निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी।

कृषि विभाग के मण्डल स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार।

कृ०सं०	पदनाम	स्थानान्तरण के स्तर	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के मण्डलान्तर्गत समूह ग एवं घ के समस्त कर्मचारी।	मण्डलान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक स्थानान्तरण नीति के आधार पर अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण के सक्षम प्राधिकारी होंगे	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण कृषि निदेशक,उत्तरांचल केस्टर से किये जायेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि/भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत/वाहन/कम्प्यूटर क्य/साईकिल क्य हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

कृ०सं०	श्रेणी	स्वीकृता अधिकारी	अभिलेखं के रख रखाव का स्तर
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी	कृषि निदेशक	वित विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमोंके अधीन विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर।

अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकार:-

कृ०सं०	वर्ग का नाम	परिसीमायें (अर्जित / चिकित्सा अवकाश)	स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी
1	2	3	4
1	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3	सम्पूर्ण, देय अवकाश की सीमा तक	कार्यालयाध्यक्ष
2	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
3	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
4	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
5	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	विभागाध्यक्ष
6	राजपत्रित अधिकारी	1. 60 दिन तक का अर्जित अवकाश	विभागाध्यक्ष
		2. 90 दिन तक का चिकित्सा अवकाश	
		3. सेवानिवृत्ति / सेवारत मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश लेखे में संचित पूर्ण अवकाश की स्वीकृति	
7	निदेशालय में कार्यरत समूह ग, घ के अधिकारी / कर्मचारी	सम्पूर्ण देय अवकाश	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी
8	सहायक लेखाकार / प्रधान लिपिक	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
9	लेखाकार / प्रशासनिक अधिकारी	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	निदेशक विभागाध्यक्ष
10	अधीनस्थ कर्मचारियों में कार्यरत अन्य समस्त समूह ग व घ के कर्मचारी	सम्पूर्ण अवकाश	कार्यालयाध्यक्ष

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य सहायक, का जॉब चार्ट

मुख्य सहायक / प्रशासनिक अधिकारी:-

- अधिष्ठान के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ अनुभाग में बैठकर कार्य निष्पादन कराना।
- पर्यवेक्षीय उत्तरदायित्व के साथ-साथ मुख्य सहायक / प्रशासनिक अधिकारी संसद, विधान मण्डल के प्रश्न कर्मियों के लम्बित पावनों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे, कोर्ट कैसेज एवं अन्य विशेष रूप में सौंपें गये प्रकरणों को स्वयं देखेंगे।
- अनुभाग में डाक प्राप्त होने पर तात्कालिक संदर्भों को समान्य से पृथक कर उनमें पताका लगाकर निस्तारण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- अनुभाग में कार्यरत अपने सहायकों को कार्यों की नियंत्रित रूप से जाँच करते हुए देखेंगे कि संदर्भों का समय से निस्तारण हो जाय।
- वह कार्य में गति लाने के उद्देश्य से सहायकों के पटल पर लम्बित प्रकरणों की सूची बनायेंगे। तथा समय-समय पर अनुसार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- कार्य की महत्ता को देखते हुये यह किसी भी सहायक को चाहे प्रकरण उससे संबंधित भी न हो तो कार्य के निस्तारण हेतु निर्देश दे सकते हैं।

7. कर्मियों के आकर्षिक अवकाश स्वीकृत कराना तथा पंजिका रख—रखाव।
8. अवकाश वार्षिक वेतन वृद्धि, समयमान वेतनमान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे एवं कर्मचारियों के अन्य सेवा संबंधी मामलों का संबंधित पटल सहायक से त्वरित निस्तारण कराना।
9. लिपिकीय कर्मियों के कार्य निस्पादन में बाधा उत्पन्न न हो। बाहरी सरकारी या अशासकीय व्यक्ति केवल शासकीय कार्य हेतु अनुभाग में आने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर प्रवेश करने देना।
10. अनुभाग में लिपिक संवर्गीय कर्मियों के पुनर्निर्धारण के संबंध में सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव कर्मी की वरिष्ठता एवं कार्य दक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना।
11. डाक टिकट पंजिका की जाँच एवं अवधेश टिकटों की सत्यता सत्यापन।
12. सामान्य प्रशासन में सहयोग देना।
13. अनुभाग में कार्यरत प्रत्येक पटल सहायकों की कर्तव्य सूची बनाना तथा अनुभागाध्यक्ष से अनुमोदित कराकर अद्यतन रूप से पटल पर रखना।
14. सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूचियों को अपनी देख—रेख में तैयार कराना एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराना।
15. सम्वर्गवार पदोन्नतियों के प्रकरणों को तैयार कराना एवं उनको निस्तारित कराने का कार्य।
16. स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कराना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
17. अनुभाग की उपस्थिति पंजिका का रख—रखाव।
18. अभिलेखों के समुचित रख—रखाव तथा अभिलेखागार में पत्रावलियों को समयावधि तक अभिरक्षित एवं निदान की व्यवस्था बनाये रखना।

लेखाकार/सहायक लेखाकार—

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों का पदनाम जिसके संरक्षण में अभिलेख हैं	अभिलेख का विवरण
	मुख्य कृषि अधिकारी	सहायक लेखाकार	<p>पत्रावलियाँ एवं पंजिकायें</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विभिन्न केन्द्रपोषित व राज्यपोषित 2. योजनाओं से सम्बंधित बजट पत्रावलियाँ एवं 3. पंजिकायें 4. (वर्ष—2008—09 से वर्तमान तक) 5. महालेखाकार/विभागीय सम्प्रेक्षण सम्बंधित पत्रावलियाँ। 6. तुलन पत्र सम्बन्धी पत्रावलियाँ।

प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक:-

मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी अधिष्ठान में कार्यरत प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक के मध्य कार्य के औचित्य के दृष्टिकोण से पटलों का गठन करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जॉब चार्ट बनाकर संबंधित सहायकों को पटल विभाजित करेंगे। जैसे पेंशन, सामान्य भविष्य निधि प्रकरण, प्रतिपूर्ति दावे, डाक प्राप्ति प्रेषण, भण्डार, कैश एवं जमानत, वेतन बिल, अधिकारियों से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य, कार्यालय के अन्य अनुभागों में लिपिक के कर्मचारियों की तैनाती तथा अनुभागों में टाइप/कम्प्यूटर टाइप कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार

प्रतिदिन पूर्ण करने का दायित्व संबन्धित सहायकों को सौंपे गये कार्यदायित्व के अनुकूल रहेगा। अनुभाग में कार्यरत प्रवर एवं कनिष्ठ सहायक अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारियों के प्रति उत्तरदार्दी रहेंगे तथा पटल सहायकों की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान कराने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा।

आशुलिपिक ग्रेड-1/ग्रेड-2/वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक:-

1. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का रख-रखाव एवं उनके संबन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।
2. अति गोपनीय अनुशासनात्मक एवं जांच प्रकरणों की पत्रावलियों का रख-रखाव।
3. अधिकारियों द्वारा दिये गये श्रुतलेख को संक्षिप्त लिपिबद्ध करते हुये यथावत टाइप का कार्य
4. अद्वशासकीय पत्रों/शीलबन्द लिफाफों, गोपनीय एवं अतिगोपनीय पत्रों को डाक से पृथक कर अधिकारी के समुख पृष्ठादेश हेतु प्रस्तुत करना।
5. उच्च स्तरीय बैठकों से सम्बन्धित ऐजेण्डे, दूरभाष,फैक्स से वाइट सूचना को अधिकारी के सज्जान में लाते हुये त्वरित कार्यवाही करना।
6. अधिकारी के आवश्यक निर्देश पर डाक मार्क करना।
7. अधिकारी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्तिम अनुमोदित भ्रमण पत्रावली का रख-रखाव।
8. अधिकारी को आवंटित वाहन की लॉग बुक का अद्यतन रूप से वाहन चालक से पूर्ण कराना तथा वाहन द्वारा मासिक तय की गई दूरी एवं पेट्रोल, डीजल के औसत का रख-रखाव कराना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:-

कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदनाम से पदों का सृजन हुआ है अतः कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनाती पद विषेश के आधार पर यथा चौकीदारी, अर्दली, हलवाह कार्यालय चपरासी, लैब परिचारक, क्षेत्र परिचारक, क्लीरनर के कार्यदायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ अधिकारियों एवं कार्यालय सहायकों द्वारा मौखिक/लिखित में शासकीय कार्यहित में दी गई आज्ञा का पालन शालीनता के साथ सुनिश्चित करेंगे।

—:: मैनुअल-3 ::—

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं)

विभागाध्यक्ष/निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

3.1 1. वित्तीय मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं एवं शासनादेश, वित्तीय आबंटन में दिये गये निर्देशों के आधार पर वित्त एवं लेखा नियंत्रक के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

2. नियोजन/स्थापना मामलों में प्रचलित सेवा नियमावलियों/ग्रेडेशन लिस्ट/सेवा के संवर्ग के कर्मियों के मामलों के निस्तारण में शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण में कार्यालय स्तरों से प्रस्तुत प्रस्तावों के समुचित परीक्षण हेतु समिति गठित करते हुए समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है।

3. प्रशासनिक मामलों में शासन की समय—समय पर प्रचलित नीति एवं शासनादेशों, में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

4. गुणवत्ता नीति के अधीन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, नियम 1968 एवं बीज अधिनियम 1983 कीट पादप रोग अधिनियम 1968, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परखने के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1937 में प्रदत्त व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है।

3.2 किसी विशेष विषय जिस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है तो ऐसे विषयों पर विभागाध्यक्ष शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लेते हैं तथा अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष किसी विशेष विषय पर अपने मण्डलीय अधिकारियों/निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तदनुसार निर्णय लेते हैं। विधि—विषयों में प्रकरण शासन को संदर्भित कर न्याय विभाग की सहमति पर निस्तारित किये जाते हैं तथा वित्त सम्बन्धी जटिल प्रकरणों पर शासन के वित्त विभाग से प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

3.3 विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी अपने विभागीय कर्मचारियों एवं सूचना तंत्र के माध्यम से विभागीय कार्यकलापों पर लिये गये निर्णय एवं शासन की जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं एवं विभागीय योजनाओं का प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करते हैं तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्रपंचायत की बैठकों में भी इस आशय की जानकारी सुलभ कराते हैं।

3.4 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी विभागीय स्तर पर कृषि निदेशक है।

3.5 मुख्य विषय पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

मैनुअल-3(ए)

कृषि विभाग में वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया

वित्तीय प्रक्रिया में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2, प्रोक्यूरमैट नियमावली तथा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य—मुख्य निर्णय निम्नप्रकार प्रस्तरवद्व किये जा सकते हैं।

बजट आबंटन तथा उपयोग की प्रक्रिया:

आयोजनागत मद में शासन से परिव्यय स्वीकृत होता है परिव्यय व बजट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपदों को विभागीय कार्ययोजना के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य दिये जाते हैं। इन वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष बजट का योजनावार ऑवटन जनपदों व अन्य कार्यालयों (यथा सांख्यिकी हेतु जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत कृषि कार्मिकों के अधिश्ठान से सम्बन्धित) को ऑवटन किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट मैनुअल परक्यूरमैन्ट नियमावली वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का संज्ञान लेते हुए बजट का उपयोग किया जाता है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का पूर्ववर्ती माह का व्यय विवरण निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-8 पर निदेशालय को आगामी माह में उपलब्ध कराया जाता है। आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त व्यय विवरण बी0एम0-8 को योजनावार संकलित कर संकलित सूचना प्रारूप बी0एम0-12 तैयार कर महालेखाकार को एवं प्रारूप बी0एम0-13 पर तैयार कर शासन को प्रेषित की जाती है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण:

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं में उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग-1 में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

सम्प्रेक्षण (आडिट) की प्रक्रिया:

आबंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुकूल किया गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जाती है। सम्प्रेक्षण महालेखाकार, विभाग तथा बाह्य एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है। विभागीय सम्प्रेक्षण में प्रकाश में आयी आपत्तियों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं तथा आडिट/प्रस्तर रिपोर्ट कृषि निदेशालय, को भी भेजी जाती है।

—:: मैनुअल-4 ::—

(कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान)

नीति निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता है। तदसम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाता है वर्ष 2015–16 के कृषि गणना के अनुसार कुल 1.44 लाख हैक्टेयर जातों में से 0.04 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति तथा 0.27 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जोत है तथा इसमें से 0.53 लाख हैक्टेयर जोत लघु सीमान्त कृषकों के पास उपलब्ध है।

अधिकांश जोतों का आकार लघु सीमान्त श्रेणी में आने के कारण एक ही विकल्प रह जाता है कि प्रति इकाई उत्पादन को जहाँ तक संभव हो सके अधिकतर किया जाय। इस संदर्भ में निम्नांकित नीति अपनाई गई है।

- अनुसूचित जाति बहुल महत्वपूर्ण ग्रामों का चयन।
- चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन।
- विभिन्न कार्यक्रमों को अलग-अलग प्रस्तावित न करते हुये चयनित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास।
- कार्ययोजना को लाभार्थी उन्मुख बनाते हुये प्रत्येक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक परिवारों की संख्या सुनिष्चित करना।
- अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा कृषि विविधीकरण।

1—नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन

धान्य फसलें, दलहनी तथा तिलहनी फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उददेश्य से योजना लागू है। क्लस्टर प्रदर्शनों पर रु0 9,000.00 प्रति है0 तथा फसल चक आधारित प्रदर्शन पर रु0 12,500.00 अथवा रु0 15,800.00 प्रति (की दर (जो भी अनुमन्य हो) पर अनुदान उपलब्ध है।

- चयनित क्षेत्रों में गेहूँ मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) तिलहनी एवं दलहनी फसलों की नवीनतम प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन।
- गेहूँ की अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों के क्रय पर 10 वर्ष से अधिक की प्रजातियों पर रु0 1000.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजातियों पर रु0 2000.00 प्रति कु0 दलहनी फसलों में अधिक अवधि की प्रजातियों पर रु0 2500.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजातियों पर रु0 5000.00 प्रति कु0, तिलहनी फसलों में सोयाविन एवं तोरिया पर रु0 4000.00 प्रति कु0 तथा तिल के बीजों पर रु0 8000.00 प्रति कु0, मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) फसलों में रु0 **1500.00** प्रति कु0, तथा संकर धान एवं संकर मक्का बीजों के क्रय पर रु0 1000.00 प्रति कु0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की राज सहायत अनुमन्य है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों एवं जैव रसायनों के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु0 500.00 प्रति हैक्टेयर।
- फसल चक्र आधारित कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं कृषि यंत्र वितरण।
- तिलहनी फसलों के अन्तर्गत ब्लाक क्रय कृषक प्रशिक्षण एवं आधिकरियों के प्रशिक्षण का प्रपिधान है।

2—नेशनल मिशन फार स्टेनेबल एग्रीकल्चर:

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करना है। इस घटक के दो उप घटक हैं— (i) एकीकृत कृषि पद्धति एवं (ii) मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण।

एकीकृत कृषि पद्धति योनजा के अन्तर्गत उद्यान आधारित, पशुधन उत्पादन आधारित, दुग्ध उत्पादन आधारित, वृक्ष उत्पादन आधारित एवं कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली समिलित है। जबकि मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनहाउस / लो टनल

पॉलीहाउस निर्माण, मौन पालन, साइलेज इकाई निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, वाटर हार्वेस्ट टैंक, कम्यूनिटी टैंक, टैंक्स रैस्टोरेशन, वाटर एप्लीकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर लिपिंग डिवाइस, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण, कृषक प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट आदि पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुसार अनुदान की सुविधा देय है।

इसके मुख्य उददेश्य निम्न हैं—

- क्षेत्र विशेष के आधार पर एकीकृत कृषि प्रणालियों का प्रयोग करके कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभप्रद, उत्पादक एवं मौसम के अनुसार लचीला बनाना।
- मृदा व नमी संरक्षण के उचित उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- समग्र मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा परीक्षण मानचित्रों के आधार पर पोषक तत्वों का उपयोग करना, उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग इत्यादि।
- जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पहले से चल रहे कार्यक्रमों के सहयोग से जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करते हुये किसानों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की क्षमता का विकास करना।

योजनान्वत् देय अनुदान निम्नवत् है—

क्र. सं.	घटक	व्यय के मानक
(अ) समेकित कृषि प्रणाली (Integrated Farming System)		
1	उद्यान आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 25000.00 प्रति हैक्टेयर।
2	पशुधन उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	कापिंग सिस्टम के मूल्य एवं पशुओं/पक्षी के मूल्य साथ-साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड फूड के मूल्य का 50प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रु0 25000.00 /हैक्टेयर है। (10 पशु/ 50 पक्षी, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम)।
3	दुध उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	पशु लागत सहित फसल प्रणाली के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसमें कि पशुओं के साथ-साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड का मूल्य सम्मिलित हो, अधिकतम रु0 40000.00 /हैक्टेयर (02 दुधारू पशु, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम)।
4	मत्स्यिकी आधारित कृषि प्रणाली	फिश फार्मिंग को सम्मिलित करते हुये कापिंग /वेजेटेविल सिस्टम के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रु0 25000.00 /हैक्टेयर है।
5	वृक्ष उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम रु0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।
6	कृषि वानिकी आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत या जिसकी अधिकतम सीमा रु0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ; तंकद्वारा के अन्तर्गत व्यय के मानक

(ब) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण (Value addition and resource conservation)		
1	मौन पालन	मूल्य का 40 % या रु0 800.00 प्रति कालोनी
2	साइलेज इकाई	मूल्य का शत-प्रतिशत अधिकतम रु0 125000.00 प्रति फार्म फैमिली
3	पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज	मूल्य का 50 % या रु0 4000.00 प्रति वर्ग मी0
4	जल सम्मरण टैंक (व्यक्तिगत)	मूल्य का 50 % या रु0 90000.00 प्रति टैंक जो भी कम हो
5	सामुदायिक टैंक (एक है0 कमांड क्षेत्रफल)	मूल्य का 100 % या अधिकतम रु0 250000.00 प्रति टैंक
6	टैंक रिस्टोरेशन	मूल्य का 50 % या रु0 15000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो
7	जल प्रयोग एवं वितरण	मूल्य का 50 % या रु0 10000.00 प्रति है0 जो भी कम हो
8	मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत-प्रतिशत अधिकतम रु0 24000.00 प्रति इकाई
9	लोवर रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत-प्रतिशत अधिकतम रु0 40000.00 प्रति इकाई।
10	संसाधन संरक्षण/आई0 एफ0 एस0 प्रशिक्षण (20 प्रति समूह)	रु0 10000.00 प्रति प्रशिक्षण
11	शैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट (50 प्रति समूह)	रु0 20000.00 प्रति भ्रमण/विजिट

(ब) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना— मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत मृदा में आवष्यक पोशक तत्वों की उपलब्धता एंव आवष्यकता तथा मृदा उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार Model Village Programme हेतु जी०पी०एस० पद्धति से खरीफ 2019 में मृदा नमूने एकत्रित किये गये। नमूना विश्लेषण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई संस्तुतियों के आधार पर चयनित प्रत्येक विकासखण्ड से एक ग्राम(कुल 6 ग्राम) में रबी 2019–20 में कलस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। 2141 कृशकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना :— वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है जो कि 90 प्रतिशत केन्द्रांश पर संचालित है वर्ष 2017–18 तक योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 585 कलस्टर स्वीकृत किये गये हैं, प्रत्येक कलस्टर का क्षेत्रफल 20 हैक्टर है। इस अवधि में योजना का संचालन 11 पर्वतीय जनपदों एंव एक मैदानी जनपद में किया गया। सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी० के वी० वाई०) योजना में भारत सरकार द्वारा 3900 नये कलस्टर आवंटित किये गये हैं। योजनान्तर्गत कलस्टर/समूह में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत-प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं।

- परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तर पर 3900 समूहों (155 कलस्टरों) एंव जनपद स्तर पर 200 समूहों का (कृषि विभाग–7, उद्यान विभाग –100 एंव उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद –25) का चयन किया गया है।
- योजना अन्तर्गत एक कलस्टर/समूह में 20 है० क्षेत्रफल एंव 50 कृषक आच्छादित किया जाना है।
- कलस्टर आधारित चयनित ग्रामों में सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी०जी०एस०) के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहन।
- पारम्परिक तकनीकों और प्रोद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक, सिन्धौटिक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा।
- प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना एंव मिटटी की प्रजनन क्षमता बढ़ाना।
- टिकाऊ एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करते हुए कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण प्रबन्धन द्वारा किसानों को सशक्त बनाना।
- मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौस्तिक उत्पाद का स्थायी रूप से उत्पादन करना।
- रथानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ प्रत्यक्ष बाजार सम्बन्धों के माध्यम से किसान उद्यमियों को तैयार करना।

4—नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम।

(अ) सब-मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (SMAE) एंव जनपद स्तर पर एग्रीकल्वर टैक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी—आतमा (केन्द्रपोषित) के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित हैं, विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक
1	कृषक प्रशिक्षण	अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण हेतु रु 1250, राज्यन्तर्गत रु 1000, एंव जिलान्तर्गत रु 400/250 प्रति कृषक प्रतिदिन
2	प्रदर्शन	कृषि उद्यान, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि द्वारा आयोजित प्रति एकड़ रु 4000.00
3	कृषक अध्ययन भ्रमण	अन्तर्राज्यीय भ्रमण हेतु रु 800, राज्यन्तर्गत रु 400, एंव जिलान्तर्गत रु 300 प्रति कृषक प्रतिदिन
4	कृषक समूह को सहायता	क्षमता विकास हेतु रु 5000, सीड मनी हेतु रु 10000 एंव फूड सिक्योरिटी हेतु 10000 प्रति समूह प्रतिवर्ष
5	सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार	रु 20000 प्रति समूह
6	किसान पुरस्कार	राज्यस्तरीय रु 50000, जनपदस्तरीय रु 25000, एंव ब्लाक स्तरीय रु 10000 प्रति कृषक
7	फार्म स्कूल	ब्लाक स्तर पर प्रतिफार्म स्कूल रु 29414 (प्रत्येक विकासखण्ड में 3 फार्म स्कूल का आयोजन)

(ब) सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटिरियल (बीज ग्राम योजना):— उत्पादन को बढ़ाने एंव कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बीज ग्राम योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में ही गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करते हुए उपयोग में लाया जा सके। योजनान्तर्गत कृशकों को एक एकड़ क्षेत्रफल हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज वितरित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के स्तर पर उत्पादित बीजों की गुणवत्ता को सुदृढ़ कर कृषकों को बीज उत्पादन तकनीक में प्रशिक्षित करते हुए उत्पादित बीज का सुरक्षित भण्डारण करना है।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत देय सुविधायें—

क्र०सं०	मद	देय अनुदान
1	बीजों पर देय अनुदान	योजनान्तर्गत कृषकों को 01 एकड़ क्षेत्रफल हेतु प्रमाणित एवं आधारीय बीजों यथा: धान्य फसलों में बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान तथा दलहन एवं तिलहन फसलों में 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु कृषकों को एक-एक दिवसीय तीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिस पर ₹ 0 15000 का व्यय प्रस्तावित है। प्रथम प्रशिक्षण बुवाई के समय, द्वितीय प्रशिक्षण पुष्पावस्था के समय तथा तृतीय प्रशिक्षण फसल कटाई के समय प्रदान किया जाता है।
3	भण्डारण व्यवस्था—टिन की बुखारियों का वितरण	पर्वतीय विकासखण्डों में 02.00 कुं० की क्षमता वचाली बुखारी एवं मैदानी जनपदों के विकासखण्डों में 10 कुं० क्षमता वाली बुखारी अनुदानित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है। 10.00 कुं० क्षमता वाली बुखारी पर, सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 0 1000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत अधिकतम ₹ 0 1500 प्रति बुखारी अनुदान देय है।

(स) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM)

- कृषि के आधुनिकरण में शस्य कियाओं का समय पर सम्पादन करने, कृषि आगातों का प्रभावपूर्ण प्रयोग, मानव श्रम को कम करने तथा कम लागत पर अधिक उत्पादन लेने में कृषि यन्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि में यंत्रीकरण का अर्थ है “फसल उत्पादन के लिये कृषि भूमि पर अधिक खाद्यान्न हेतु नवीनतम सुयोग्य प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करना।”
- जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव श्रम तथा खेती में काम करने वाले पशुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। जिस कारण कृषि कार्य में कठिनाई हो रही है, साथ ही इस क्षेत्र के कृषकों की क्रय क्षमता भी न्यून है, इसके दृष्टिगत कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष के अनुसार यन्त्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
- आधुनिक एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने वाले कृषि यंत्रों को फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु इनकी स्थापना पर्वतीय कृषकों के लिये अधिक लाभप्रद सिद्ध हो रही है। उन्नत व सुविधाजनक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये इस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जा रहा है।
- योजना द्वारा लागू एवं सीमन्त कृषकों, महिला कृषकों के माध्य कृषि यन्त्रीकरण की पहुँच बढ़ाना, फार्म मशीन की बैंकों की स्थापना हेतु ₹ 8,00 लाख अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, राज सहयता उपलब्ध है, जिससे सीमन्त एवं लधु कृषकों को भी उपयोगी आवश्यक कृषि यन्त्र उपलब्ध हो सकें।

5—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:-

- NFSM चावल, कार्यक्रम से अनाच्छादित जनपद देहरादून में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –फसल उत्पादन क्लस्टर प्रदर्शन तथा बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों पर राज सहायता।
- पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीज की कार्यों की पूर्ति के उददेश्य से कृषि विभाग, उत्तराखण्ड ने स्वयं ही प्रमाणित बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया, इस वर्ष धान हेतु 11.16 है० क्षेत्रफल, मवका 3.01 है० तथा गेंहू 100 है० क्षेत्रफल के अन्तर्गत आच्छादित है।
- एडोप्शन एंड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एडोप्शन एंड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग ” कार्यक्रम के अन्तर्गतजैविक खाद संरचनायें यथा वर्मि पिट, नाडेप पिट के निर्माण एवं जैविक कृषि निवेशों का वितरण 50 प्रतिशत अनुदान पर किया जाता है। जनपद के 06 विकासखण्डों (डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकराता) के 110 ग्रामों का जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत संतुर्पत्तिकृण किया जा रहा है। साथ ही योजनान्तर्गत जैविक क्लस्टरों में जैविक उत्पादों का वितरण, कृषकों का एक्सपोजर विजिट एवं जैविक कृषि सम्बन्धित ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के साथ ही प्रमाणीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत जैविक प्रमाणीकरण का कार्य उत्तराखण्ड आर्गेनिक स्टेट सर्टीफिकेशन एजेन्सी द्वारा उ०३००००००० के माध्यम से कराया जा रहा है।

जैविक कृषि कार्यक्रम के मुख्य उददेश्य:-

- उत्तम गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में उत्पादन करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग।

- पौधों एवं जन्तुओं का उपयोग कर जैवकीय चक्र को गति प्रदान करना।
- मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता बनाये रखना।
- कृषि तकनीकों से होने वाले सभी प्रदूषणों से बचाव।
- कृषकों को सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ अधिकतम उत्पादन द्वारा संतुष्टि।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :-

- अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों का कृषि विकास कार्यक्रमों से संतुष्टिकरण करते हुए पूर्ण विकास करना। वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ यह योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के लाभार्थ विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। वर्ष 2019–20 हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में 02 ग्रामों को अनुसूचित जाति तथा 02 ग्रामों को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत समूहों में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत-प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं। विवरण निम्न प्रकार है –
- कृषकों की उपयुक्तता को संज्ञान में लेते हुये उन्नत प्रजाति के बीजों के मिनिकिट किसानों को निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।
- पौध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले कीटनाशी रसायनों जैव रसायन के साथ-साथ सूक्ष्म तत्वों लाइट ट्रेप वितरण किया जाता है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण समय –समय पर कराये गये मृदा परिक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है
- कृषि यंत्र वितरण – थ्रेसर , पावर टिलर ,पावर विडर , जल पंप जैसे अधिक लागत वाले यत्नों को यदि विगत वर्ष के दौरान वितरित न किया गया होते समूह की आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है तथा समूह से अनुबन्ध कराने उपरान्त यत्र का उपयोग एवं रखरखाव सामूहिक रूप से करेगे
- मानव/बैल चालित यंत्र, अन्न भड़ांरण की बुखारी, वैफ कटर एवं 500 लीटर की टंकियों एवं एच0 डी0 पी0 ई0 किसानों को निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।
- छतवर्षा जल संभरण टैकों का निर्माण कराया जाता हैं ताकि वर्षा जल का समुचित उपयोग हो सके।
- चयनित ग्रम में उपलब्ध जल स्रोत को ध्यान में रखते हुये सिंचाई टैक संपादित किये जाते हैं, जिसका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है।
- सिंचाई गूल का निर्माण कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु समूह के उपयोग के लिए किया जाता है
- मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी स्थायी प्रक्रिया के कार्य ही संपादित किये जाए वानस्पतिक धेरबाड चारा/फल प्रजाति के पौधों का वितरण एवं धास रोपण का कार्य किया जाता है। बीज मिनिकिट में दस वर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित नवीन तक फसल प्रजातियों का ही वितरण किया जाए

8— जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यों को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सममिलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

9— राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक-पृथक एस0सी, एस0 टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। 2017–18 में विकास खण्ड खटीमा में भगचुरी एवं बनकटिया, विकास खण्ड सितारगंज में खुन्सरा एवं बलखेडा चयनित हैं।

2.6— लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग:- संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विषयनु अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या-481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिंगल विण्डो सिस्टम के रूप में में पुर्नगठित किया गया।

जनपद एक दृष्टि :-

क्रो सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड	विधानसभा
1	देहरादून	रायपुर	रायपुर
2		डोईवाला	डोईवाला
3		सहसपुर	विकासनगर
4		विकासनगर	विकासनगर
5		चक्रता	चक्रता
6		कालसी	चक्रता

जनपद के विभिन्न विकास खण्ड एवं उनके अन्तर्गत न्याय पंचायत

क्रो सं०	नाम विकास खण्ड	नाम न्याय पंचायत
1	रायपुर	रायपुर
2		थानो
3		सरोना
4		अजबपुर खुर्द
5		सेवला कलां
6		गुजराड़ा
7	डोईवाला	मारखम ग्रान्ट
8		श्यामपुर
9		भनियावाला
10		रानीपोखरी
11		मियावाला
12	सहसपुर	सहसपुर
13		झाझरा
14		आमवाला
15		भाऊवाला
16		भगवन्तपुर
17		ईस्टहॉपटाऊन
18	विकासनगर	धर्मवाला
19		सोरना

20		सभावाला
21		एन्फील्ड
22		लॉघा
23	चकराता	रंगेऊ
24		काण्डोई बोन्दर
25		जाड़ी
26		बेगी
27		दसऊ
28		भुनाड़
29		भन्द्रोली
30		मिन्डाल
31		बृनाड
32	कालसी	कोटी
33		उत्पाल्टा
34		नराया
35		भंजरा
36		कोरुवा
37		डागुरा
38		मुन्धान
39		कालसी
40		खाड़ी

—:: मैनुअल— 5::—

(अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेशन निर्देकिए और अभिलेख)

संगठनों के पास शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निर्धारित रूपपत्रों की ही प्रयोग किया जायेगा और निवेशालय स्तर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों का पालन किया जायेगा। विभाग में निम्न अधिनियम/अधिसूचनाओं के प्राविधानानुसार तथा समय—समय पर संशोधित अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

क—

क्र० सं०	विवरण
	जनपद में बीज अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1.	बीज अधिनियम 1966
2.	बीज नियम 1968
3.	बीज नियंत्रण आदेष 1983
	जनपद में कीटनाशी अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1	कीटनाशी अधिनियम 1968
2	कीटनाशी नियम 1971
3	कीटनाशी आदेष 1986
4	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी रसायन विनिर्माण हेतु लाइसेन्स जारी करने विशेष अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 13 फरवरी 2001
5	कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत अपील अधिकारी नियुक्ति विशेष अधिसूचना सं0-343 13 फरवरी, 2001
6	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी निरीक्षक नियुक्ति विशेष अधिसूचना सं0 344 दिनांक 13फरवरी,2001
7	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कीटनाशी के उपयोग या हाथ लगने से उत्पन्न विशेष अधिसूचना संख्या –345 13 फरवरी 2001
8	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन अभियोजन संस्थित करने विशेष अधिसूचना संख्या –346 13 फरवरी 2001
9	उत्तरांचल (उ0प्र0) कृषि रोग व कीट अधिनियम 1954 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष दिनांक 8.11.2002
10	कीटनाशी अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003
11	कीटनाशी अधिनियम 1968 के सन्दर्भ में कीटनाशी विष्लेशक की अधिसूचना संख्या– 1528 दिनांक 19 मार्च, 2003
12	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी नियमावली 1971 के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी नियुक्ति विशेष अधिसूचना संख्या–1441 दिनांक 5 दिसम्बर, 2003
13	एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 योजना में प्रषिक्षण कार्यक्रम का घासनादेष संख्या–1265 दिनांक 18 मई, 2005
14	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग फरीदाबाद, हरियाणा का पत्रांक 115–6 / 2007 दिनांक 16 / 18. 7.2007
15	कार्यालय ज्ञाप अपील का प्राधिकार पत्रांक 2526 दिनांक 13 अगस्त, 2007
16	कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 6476 दिनांक 13 मार्च, 2008
17	कार्यालय ज्ञाप संयत्र/उपकरण विशेष टास्क फोर्स समिति पत्रांक 6140 दिनांक 18 फरवरी, 2009
	कृषि उत्पादन मण्डी
28.	कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964
29.	कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965
30.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972
31.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1984

32.	उ0प्र० कृशि उत्पादन मण्डी समिति (अधिकारी एवं कर्मचारी अधिशठान) विनियमावली 1984
33.	अधिनियम के अन्तर्गत सर्कुलर एवं अधिसूचनायें
	कृशि उत्पाद एक्ट
34.	कृशि उत्पाद (ग्रेडिंग – मार्किंग) एक्ट 1937
	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) रूल्स
35.	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) रूल्स 1988
	स्थानान्तरण नीति / कार्यालय ज्ञाप/ षासनादेष
36.	सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2008, 2009 एवं 2010
37.	कृशि एवं कृशि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप-1340 दिनांक 07 नवम्बर, 03
38.	कृशि एवं कृशि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप-1341 दिनांक 07 नवम्बर, 03
39.	मृदा परीक्षण पुल्क की दरों में संषोधन किया जाना सं0-1472 दिनांक 17.11.05
40.	सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोशक तत्व, मृदा सुधारक जैव कीटनाशी, खर-पतवारनाशी, हरीखाद के बीजों पर किसानों को अनुदान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में षासनादेष सं0-905 दिनांक 20 जून, 2007
	विनियमितीकरण
41.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002
42.	उत्तरांचल सचिवालय से इतर च0श्रे0 कर्मचारियों/राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन तथा षीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सं0-1706 दि0 2.11.04

ख—

क्र० सं0	विवरण
	फर्टीलाइजर
1.	फर्टीलाइजर कन्ट्रोल एक्ट 1985
2.	फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आदेष 1973
3.	उर्वरक नियन्त्रण संषोधित अधिसूचना संख्या 1673 दिनांक 5.03.2003
4.	उर्वरक (नियन्त्रण) 1985 के अन्तर्गत संषोधित फरवरी, 2019
	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम
5.	उत्तरांचल (उ0प्र० भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
6.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963
7.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के अधीन नियमावली 1963
8.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण (संषोधन) नियमावली 1971
	विभागीय पुरुंगठन अधिसूचनाएं
9.	अधिसूचना संख्या 680 दिनांक 4 अक्टूबर 2001
10.	अधिसूचना संख्या 782 दिनांक 27 अक्टूबर 2001
11.	अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 2 अगस्त 2003
12.	संषोधित अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 28 फरवरी 2004
13.	कृशि विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल सम्बर्ग के संगठनात्मक ढाँचे के पुरुंगठन के सम्बन्ध में षा0 सं0 720 दिनांक 22.10.2008 षा0 सं0 570 दिनांक 20.08.2008 षा0 सं0 277 दिनांक 24.11.2006
14.	षा0 सं0 411 दिनांक 28.07.2009 उत्तराखण्ड कृशि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संषोधन) नियमावली 2009
15.	षा0 सं0 648 दिनांक 17.09.2009 24 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य समयमान वेतनमान सम्बन्धी
16.	षा0 सं0 860 दिनांक 17.11.2009 प्रदेश में कृशि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित मूल्य पर यंत्र वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली का निर्धारण

17.	24 वर्ष की सेवा अनुमत्य विशयक समयमान वेतनमान सम्बन्धी घा० सं० 899 दिनांक 30.09.2009
18.	वाहन चालक के सम्बर्गीय ढाँचे के सम्बन्ध में घा० सं० 978 दिनांक 30.12.2009
19.	एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के क्रियान्वयन हेतु संषेधित दिषा निर्देष
20.	लिपिक वर्गीय स्टांफिंग पैटर्न विशयक घा०सं० 183 दिनांक 11.02.2010
21.	आषुलिपिक सेवा (संषोधित) नियमावली 2010 घा०सं० 215 दिनांक 10.03.2010
22.	पुर्णगठन संषेधित अधिसूचना संख्या 225 दिनांक 11.03.2010
23.	सिंगल विन्डो विशयक अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 28.05.2010

सेवा नियमावलियां	
24.	उत्तर प्रदेश कृशि (समूह 'क') सेवा नियमावली 1992
25.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि समूह 'क' पद सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
26.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृशि समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995
27.	उत्तरांचल (उ०प्र०कृशि समूह 'ख' पद सेवा नियमावली 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
28.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृशि सेवा नियमावली 1993
29.	उत्तरांचल (उ०प्र० अधीनस्थ कृशि सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
30.	वेतन विसंगति (1997–99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति
31.	कार्यालय ज्ञाप सं० 1333 दिनांक 06.09.2005 कनिश्ठ अभियन्ता पद कृशि सेवा नियमावली 1993 के परिपिश्ठ 'ख' में सूचीबद्ध विशयक
32.	वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेष के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान 4500–7000 के स्थान पर 5000–8000 के वेतनमान की स्वीकृति
33.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982
34.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा संषोधन नियमावली 1983
35.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
36.	समता समिति (1989) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेष के राजकीय कार्यालयों में लेखा सम्बर्ग के वेतनमानों का निर्धारण
37.	द्वितीय उत्तर प्रदेष वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा सांख्यकीय तथा लेखा परीक्षा सम्बर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति
38.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982 (उत्तरांचल संषोधन) नियमावली 2005
39.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 436 दिनांक 27 मार्च 2006 सहायक लेखाकार /लेखाकार 80:20
40.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग आषुलिपिक सेवा नियमावली 1992
41.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि विभाग आषुलिपिक सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
42.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग रेखांकन अधिश्ठान सेवा नियमावली 2000
43.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि विभाग ड्राइंग इस्टेवलिसमेन्ट सेवा नियमावली 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
44.	उत्तराखण्ड कृशि विभाग रेखांकन अधिश्ठान (संषोधन) सेवा नियमावली 2008
45.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983
46.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
47.	उत्तराखण्ड कृशि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संषोधन) नियमावली 2009
48.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984
49.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
50.	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 2004
51.	उत्तर प्रदेश कृशि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993
52.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृशि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002

53.	उत्तरांचल सरकारी विभाग झाइवर सेवा नियमावली 2003
54.	सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974
55.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संघोधन) नियमावली 1993
56.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संघोधन) नियमावली 1994
57.	उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2002
58.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष 2004 (प्रथम संघोधन)2004

—:: मैनुअल—6::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादूनं

(ऐसे दस्तावेजो जो उसके द्वारा धा उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया है।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायकों को विभिन्न कार्यों को सौंपा गया है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्यदायित्व	अभ्यु
1	श्री गोपाल दत्त सती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	सूचना का अधिकार, अधिकारी एवं कर्मचारी की चित्रित पंजिकाओं का रख—रखाव, एवं प्रेशन कार्य आवंटन पंजिका श्रेणी 1 व 2 की पत्रावली का रख—रखाव के साथ ही कार्यालय प्रशासन का कार्य।	—
2	श्री कैलाश चन्द्र चौधरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी में समबद्ध	—
	श्रीमती गरिमा पुनेठा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन/एस०एम०ए०एम/आर०के०वी०वाई० यंत्रीकरण/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना/आई०एम०ए० विलेज/पी०एफ०बी०वाई०/बीज सम्बन्धित कार्य।	—
4	श्रीमती अनीता पेटवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1	पी०एम०के०एस०वाई०/बीज ग्राम/एन०एम०एस०ए०/प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि/ प्रधान मंत्री मान धन योजना/ आर०के०वी०वाई० जैविक/जियो टैगिंग/कृषक आय दोगुनी सम्बन्धी कार्य/विधान सभा/संसद से सम्बन्धित प्रश्नों पर कार्यवाही आदि।	—
5	श्रीमती भावना बिष्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1	पी०के०वी०वाई०/एस०सी०पी०/टी०एस०पी० उप योजना/माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वी०आई०पी० स्तर से प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही/रुर्बन योजना/डी०बी०टी० कार्य आदि।	—
6	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	अपर सहायक अभियन्ता	भूमि संरक्षण सम्बन्धित कार्य/विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले भूमि संरक्षण सम्बन्धि प्रस्तावों पर कार्यवाही/घेरबाढ़/जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा/प्राकृतिक आपदाओं से कृषि भूमि सुरक्षा/आई०डब्लू०एम०पी०/मनरेगा सम्बन्धि कार्य।	—
7	श्री संजय चन्दोला	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2	उर्बरक, बीज, रसायन, लाईसेंस/कृषि रक्षा मासिक प्रगति सूचना/जिला योजना/जोनल कॉफेन्स सूचनायें/वैदर वाच रिपोर्ट/कृषक बन्धु/सामान्य अधिष्ठान मासिक सूचना/अन्य प्रगति सूचना एवं भौतिक सत्यापन सम्बन्धित कार्य।	—
8	श्री जनार्दन प्रसाद डोभाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2	तुलन पत्र सम्बन्धी कार्य।	—
9	श्रीमती किरन बहुगुणा	प्रधान सहायक	स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य।	—
10	श्री बलवीर सिंह रावत	व्यैक्तिक सहायक	दूरभाष सम्बन्धी/ कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सौंपा गया कार्य आदि।	—

11	श्री हिमाशु पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	भण्डार/न्यायालय एवं जॉच सम्बन्धि कार्य/पेंशन/वेतन सम्बन्धी कार्य आदि।	-
12	श्री नारायण सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	कैश सम्बन्धित कार्य।	-
13	श्री सुखदेव	कनिष्ठ सहायक	पत्र प्रेषण एवं पत्र प्राप्ति कार्य आदि।	-
14	कुमारी शिवानी हाण्डा	सहायक लेखाकार	लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्य।	-
15	श्री गुलजारी लाल	अनुरेखक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर में सम्बद्ध।	-
16	श्री मनीष चौधरी	कनिष्ठ सहायक	प्रक्षेत्र एवं ई-मेल/टंकण सम्बन्धी कार्य आदि।	-
17	श्री गोपेन्द्र सिंह राजपूत	कनिष्ठ सहायक	जी0पी0एफ0, सूचना का अधिकार एवं मैडिकल सम्बन्धी समस्त कार्य।	-
18	श्री महीपाल सिंह	कृषि यांत्रिक	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य।	-
19	श्री ललित मोहन उनियाल	वाहन चालक	वाहन चालक/ कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सौंपा गया कार्य आदि।	-
20	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	कृषि विपणन सहायक	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरिक्षक के निर्देशानुसार विपणन सम्बन्धी कार्य।	-
21	श्रीमती हेमलता थपलियाल	अनुसेविका	कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सौंपा गया कार्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्य।	-
22	श्री शशिबाला	अनुसेविका	कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सौंपा गया कार्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्य।	-
23	श्री अमृतपाल	अनुसेवक	प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा सौंपा गया समस्त कार्य।	-
24	श्री उमरदीन	अनुसेवक	मंत्री आवास पर सम्बद्ध।	-
25	श्री अमर सिंह बिश्ट	अनुसेवक	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरिक्षक द्वारा सौंपा गया समस्त कार्य।	-
26	सोमपाल सिंह	अनुसेवक	प्रक्षेत्र ढकरानी में बफर गोदाम से सम्बन्धित समस्त कार्य।	-
27	श्री भानू प्रताप	अनुसेवक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर में सम्बद्ध।	-
28	श्री देवेन्द्र दत्त सकलानी	अनुसेवक	कृषि मंत्री कार्यालय (विधान सभा) में सम्बद्ध।	-
29	श्री अजय लाल	अनुसेवक	कोषागार एवं कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सौंपा गया समस्त कार्य।	-
30	श्री जिशान अली	अनुसेवक	आई0पी0एम0 लैब ढकरानी से सम्बन्धित कार्य।	-

इकाई स्तर पर:-

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौपे गये कार्यदायित्व	अभियुक्ति
1	श्रीमती मयूरी अग्रवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	समस्त योजनाओं से सम्बन्धित कार्य एवं सत्यापन कार्य।	—
2	श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	समस्त योजनाओं से सम्बन्धित कार्य	—
3	श्री उमादत्त सेमवाल	मानचित्रक	किसान भवन से सम्बन्धित कार्य	—
4	श्री मनोज कुमार	प्रधान सहायक	स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य सूचना अधिकार अधिनियम-2005	—
5	श्री अर्जुन सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	लेखाकार, बिल सहायक,	—
6	श्री लक्खराम	कनिष्ठ सहायक	भण्डार पटल से सम्बन्धित समस्त कार्य	—
7	कु0सोनाली वर्मा	कनिष्ठ सहायक	कैशा, वेतन एवं जी0पी0एफ0 सहायक	—
8	श्रीमती अन्जु नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय का टंकण कार्य	—
9	विमल कुमार	वाहन चालक		—
10	श्री प्रमोद बडोला	चतुर्थ श्रेणी		—
11	श्रीमती रामादेवी	चतुर्थ श्रेणी		—

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौपे गये कार्यदायित्व	अभियुक्ति
1	श्री प्रमोद कुमार सेनी	अपर सहायक अभियन्ता	योजनाओं के अभियन्त्रण सम्बन्धी कार्य	—
2	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	एस0एम0ए0एम0, राज्य सेक्टर, आर0के0वी0वाई0-जैविक एवं यंत्र, पी0के0वी0वाई0, पी0एम0के0एस0वाई0, नीति आयोग, स्मार्ट विलेज, ग्रामोदय से भारत उदय सहित समस्त योजना सम्बन्धी कार्य	—
3	श्री दिनेश चन्द्र मैठाणी	मानचित्रक	मानचित्रक सम्बन्धी समस्त कार्य	—
4	श्री अंशू काम्बोज	सहायक लेखाकार (संविदा)	समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य	—
5	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	स्थापना, वेतन, जी0पी0एफ0 सम्बन्धी कार्य	—
6	श्री आशीष जखमोला	वरिष्ठ सहायक	—	—
7	श्री विजय कुमार	कनिष्ठ सहायक	बिल सहायक, सूचना अधिकार सहायक	—
8	श्री हरीश लाल	कनिष्ठ सहायक	कैशियर	—
9	श्री निर्भयपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक (अधिसंचयक)	भण्डार सहायक	—
10	श्रीमती संगीता	कनिष्ठ सहायक (अधिसंचयक)	पत्रप्रेषण एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति कार्य	—
11	श्री गंगाचरण	अनुसेवक	—	—
12	श्री सुभाष चन्द	अनुसेवक	—	

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्रता स्थित कालसी ।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौपे गये कार्यदायित्व	अभ्युक्ति
1	डा० सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1	विकासखण्ड प्रभारी, कालसी एवं कार्यालय में प्रविधिक सहायक के समस्त कार्य	—
2	श्रीमती सुरेखा पाठक	प्रशासनिक अधिकारी	स्थापना/पेशन/सी०आर०/सूचना का अधिकार आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य	—
3	श्री अशोक कुमार कोटियाल	वरिष्ठ मानचित्रक	कला कक्ष से सम्बन्धित समस्त कार्य	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड से वेतन आहरित किया जा रहा है
4	श्री अमित कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कैश/जी०पी०एफ० से सम्बन्धित समस्त कार्य	—
5	श्री दीपक गुसाई	कनिष्ठ सहायक	लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य	अधिसंचयक
6	श्री योगेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय भण्डार/डिस्पैच एवं इन्डैक्स से सम्बन्धित कार्य	अधिसंचयक
7	श्री दीपक सेमवाल	कनिष्ठ सहायक	ऑनलाईन बिलों से सम्बन्धित कार्य	कृ०भू०सं०अ०, बहादराबाद से वेतन आहरित किया जा रहा है

नोट:- सहायक लेखाकार, अपर सहायक अभियन्ता, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त चल रहा है।

-:: मैनुअल-7 ::-

(किसी व्यवस्था की विशिष्टयां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं)

1— लोक प्राधिकारी/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायेः—

संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत/क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रपंचायत एवं जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाता हैं तथा कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैठकों में अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता हैं।

2— जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था:-

कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला जलागम समिति/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रभाव में हैं। पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अधीन इन संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के प्रति लिया जाता हैं। जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था विधि सम्मत हैं।

3— जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था:-

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला जलागम समिति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से होता है, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के संबन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील दिवसों में उठाये गये प्रश्नों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के प्रति विभागीय अधिकारी बैठकों में भाग लेकर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि किसी शिकायत का निस्तारण तत्काल समंव न हो तो ऐसे शिकायती प्रकरणों पर जॉच सुनिश्चित कराई जाती हैं जॉचोपरान्त गुणदोष के आधार पर शिकायती प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाता है।

राज्य स्तरीय अन्तर कार्यान्वयन समिति के कार्य :-

1. भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की तकनीकी विस्तार प्रबन्धन समिति के साथ जो कि मानव संसाधन विभाग के कार्य कलापों का दिशा निर्देशन जनपद स्तरीय तकनीकी विस्तार कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी।
2. आत्मा द्वारा अधिग्रहित किए गए कृषि प्रसार शोध के कार्य कलापों की देखरेख साथ-साथ सहयोग भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति अन्तर विभागीय मामलों जिसमें कृषि एवं सहभागिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करेगी।

3. समिति राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्य एवं सम्बन्धित विभागों के तकनीकी हस्तान्तरण में समेकित प्रयास को बढ़ावा देना व सामंजस्य स्थापित करेगी।
4. सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा विपणन, निवेश एवं ऋण प्रदाय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी/सहकारिता क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार से सम्बन्धित आवश्यक सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देगी साथ ही आपसी तालमेल को भी प्रभावी रूप से स्थापित करेगी।
5. आत्मा के द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित नए सिद्धान्तों एवं संस्थागत व्यवस्था को आत्मसात करेगी।
6. परियोजना के सफल संचालन से सम्बन्धित अन्य नीतियाँ जो कि यथा समय आवश्यक हो, को कार्य रूप से परिणित करेगी।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि

संख्या : (1)/XXX-1/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री उत्तरांचल शासन।
2. समिति के समस्त सदस्य।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री उत्तरांचल शासन।
5. कुलपति, गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
6. सचिव, वित्त, समाज कल्याण, पंचायतीराज, कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, रेशम, पंचायतीराज, समाज कल्याण, निबन्धक, सहकारी समितियाँ, दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9. संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमौऊ मण्डल।
10. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग—1
संख्या: 1250 / XXX-1 / 2005
देहरादून दिनांक: 18 अगस्त 2005
कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना “**support to state extension programme for extension reforms**” के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में प्रसार निदेशालय, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को **state Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)** घोषित करने एवं जनपद देहरादून, उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा के लिए जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण (**Agriculture Technology Management Agency-A.T.M.A**) की शासी निकाय तथा इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समितियों निम्न अनुसार गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)

यह संस्थान “**support to state extension programme for extension reforms**” के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन के लिए शीर्ष स्तरीय मार्गदर्शी एवं सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि प्रसार कर्मियों की क्षमता का उन्नयन।
2. परियोजना नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्श प्रदान करना एवं तत्सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्मित करना।
3. मानव एवं भौतिक संस्थान के बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं की प्रभाववत्ता में सुधार हेतु **Management Tools** का विकास एवं इनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
4. मध्य कम एवं निम्न कम के कृषि प्रसार कर्मियों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
5. प्रशिक्षण, कार्यक्रमों के संचालन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर **Management, Communication** तथा **Participatory Methodologies** आदि के **Management Module** का विकास।

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का शासी निकाय

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक—पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ—साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी। शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगा।

1. जिलाधिकारी

अध्यक्ष

2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. संयुक्त कृषि निदेशक	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. मत्स्य/रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य/सचिव सह	कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन हेतु निर्धारित शर्तेः—

1. शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यतः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।
2. दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।
3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलापः—

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (**Strategic Research and Extension Plan SREP**) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।
2. विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिविदिनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।
3. प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।
4. फारमर्स इन्ड्रेस्ट ग्रुप (**FIGs**) एवं कृषक संघों का त्वरित संगठन एवं विकास।
5. निजी क्षेत्र एवं जिनी फर्मों की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें, उपलब्ध कराने हेतु सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

7. प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ-साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यकमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।
8. कृषि विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मों/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।
9. आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाऊ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।
10. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़े एवं एक समय सीमा के अन्तर्गत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सके।
11. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।
12. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तदनुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगा:-

1. शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3. अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6. कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला उद्यान प्राधिकारी	सदस्य
8. जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9. जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10. कृषि सम्बन्धी कार्य से संबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य

उपरोक्त क्रमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप :-

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :-

1. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों (**Socio-economic groups**) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय-समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (**Participatory rural appraisal**) सम्बन्धी कार्य करना।
2. जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (SREP) का निर्माण करना। इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताएँ भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।
3. वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संसोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
4. उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें **Technology Dissemination Unit (TDU)** को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक कार्य योजना के कार्यन्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, **Zonal Research Station**, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ड्रेस्ट ग्रुप (**FIGs**) कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।
6. ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे **Farm Information and Advisory Centres (FIAC)** को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण कियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।
7. शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध, प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यों के लक्ष्यों के विरुद्ध वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हों।
8. शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देशों पर सम्यक कार्यवाही करना।

ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र

Farm Information and Advisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों [**Enterprises**] एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और

ब्लाक तकनीकी टीम साथ-साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीम :— यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:—

1. सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2. सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. मत्स्य विकास अधिकारी।
5. सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा।
6. सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।
7. सहायक विकास अधिकारी रेशम।
8. उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम कार्मिक टीम का मुखिया होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्य:— ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे:—

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (**SREP**) का क्रियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (**Single window extension system**) के रूप में कार्य करना।
2. **SREP** में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।
3. ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तृत प्रसार कार्यक्रम सम्मिलित हो तैयार करना।
4. ब्लाक कार्य योजना के अन्तर्गत प्रसार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
5. ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फार्मर्स इन्ड्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघों का गठन करना।

(ख) कृषि सलाहकार समिति:— कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया हैं। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकास खण्डवार इन प्रगतिशील कृषकों से लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गों के कृषक भी सम्मिलित हैं।

1. सामान्य कृषक	सदस्य
2. अनुसूचित जाति की महिला कृषक	सदस्य
3. कृषक उद्यान	सदस्य
4. महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5. पशुपालन कृषक	सदस्य
6. पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7. महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य

8. कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9. कृषक निवेश विक्रेता	सदस्य
10. कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11. कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कृषक वर्गों के कृषक शामिल होने से रह गये हैं तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें। समिति के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चक्रिय कम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

कृषक सलाहकार समिति के कार्यः—

1. समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेंगी।
2. ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यक्रम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।
3. शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।
4. ब्लाक स्तर पर प्रत्येक कियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसको सुझाव देगी।
5. कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।
6. ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर **Farmers interest group** एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या: (1)/XXX-1/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः—

1. कुलपति, गोविन्द बल्लंभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
2. सचिव, वित्त/समाज कल्याण/कृषि/उद्यान/मत्स्य/सहकारिता/ग्राम्य विकास/ पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, कृषि/उद्यान/मत्स्य/पशुपालन/रेशम/जड़ी बूटी/निबन्धक, सहकारी समितियों/दुर्घ आयुक्त, उत्तरांचल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।

(ओम प्रकाश)
सचिव

-:: मैनुअल-8 ::-

(ऐसे बोर्डों/परिषदों/समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया हैं किस क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी
या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी)

8.1— संगठन से समबृद्ध बोर्ड/परिषद/समितियों निकायों का संक्षिप्त विवरण

1. कृषि विभाग सामान्य शाखा में कोई बोर्ड, परिषद, समिति निकाय समबृद्ध नहीं है।

जैविक कृषि – एक परिचय

॥ कृषिर्धन्यः कृषिर्मृदाः जन्तुनाम जीवमन् कृषि ।

हिन्सारिदोष युक्तौपि मुच्यते तिथि पूजनात् ॥— ऋषि पराशर जी

अर्थ— कृषक का जीवन मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवाणुओं से हैं। कृषक जब फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है तब वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है परन्तु उसे इस 'दोष' से मुक्त माना गया है, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई हेतु भोजन पैदा करता है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ अवश्य मिलाएं जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन एवं ऊर्जा का स्रोत है जिससे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ सकें, गुणित हो सकें और पोषक तत्व प्रदान कर सकें।

“जैविक कृषि वह पद्धति है, जहाँ प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाये रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता है।

इस पद्धति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता है।

मनुष्य आदिकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार, मांस एवं दूध के लिए पशुपालन तथा स्थानान्तरी कृषि (झूम कृषि) करता चल आ रहा था। धीरे-धीरे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ने से स्थायी कृषि करने लगा। मनुष्य परम्परागत कृषि को ज्ञान के पीड़ियों से अनुसरण करके, पिछली भूलों को सुधारते हुए अनुभवों के आधार पर कृषि को स्थायी बनाता रहा। इसमें वांछित फसलों को कृषि में उगाना, अवांछित फसल के पौधों को हटाना, भूमि की जुताई कर मौसम के अनुसार फसल बोना, भूमि को परती छोड़ना, फसल चक अपनाना, गोबर तथा कृषि अवशेष एवं राख को खाद के रूप में अपनाना सम्मिलित था। इस प्रकार बढ़ते ज्ञान के अनुरूप फसल उत्पादन, बढ़ती आबादी की भूख मिटाने का साधन बनता गया।

कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनियोजित करने के लिए वर्ष 1871 में देश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। वर्ष 1889 में कृषि अनुसंधान नीति, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग तथा वर्ष 1926 में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर की अनुशंसाओं पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गये।

भारत में कृषि परम्परा एवं सभ्यता ऐतिहासिक रूप से 10,000 साल पुरानी है। प्राचीन ग्रन्थों (वृक्ष, आयुर्वेद, ऋग्वेद) से पता लगता है कि 1000 ईपू० वैदिक सभ्यता में धान का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 60 कुन्तल तक लिया जाता था।

सदियों से की जाने वाली कृषि पद्धतियां टिकाऊ, ठोस व आधुनिक तकनीकें थी। प्राचीन कृषि सभ्यता में विभिन्न कृषि क्रियाओं के सिद्धान्त आज के आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धान्तों के रूप में एक तरह से दोहरायें ही जा रहे हैं।

आधुनिक काल में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू-राजनैतिक बदलावों के कारण पहले भुखमरी का दौर चला फिर युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् अचानक विश्व की जनसंख्या में असीमित वृद्धि हुई। भारत, चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दैविक आपदाएं जैसे अकाल, भुखमरी आदि महामारियों के साथ सामने आयीं। वर्ष 1941–42 में आधारभूत खाद्यानों की कमी की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत एवं समन्वित (**Comprehensive and integrated**) नीति तैयार की गयी। बंगाल के अकाल (1942) के बाद वर्ष 1942–43 में खाद्य उत्पादन कान्फँस में “अधिक अन्न उपजाओं अभियान” चलाने का निर्णय हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 तक खाद्यानों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा अनुसंधान केन्द्र खोले गए। देश भर में कृषि विस्तार सेवा का गठन, भूमि सुधार कार्य, सिंचाई विकास के कार्यक्रम, उत्तम बीजों की पूर्ति, कृषि आदानों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त साख (ऋण व अनुदान) उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जाने लगे। इनके साथ ही साथ स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर खाद, गोबर गैस, कम्पोस्ट खाद) हरी खादें, खली की खादें, तालबों के तलहटी में जमा हुई मिटटी के अलावा वनस्पतियों एवं जानवरों के त्याज्य एवं मरणोपरान्त जीवांश पदार्थों (पौधे—पत्तियों, अड्डी, रुधिर, सड़े—गले मांस इत्यादि) से बने खादों के उपयोग के कार्यक्रम चलाए गये। इन खादों के बनाने की उन्नत विधियां विकसित की गयी और इनके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन एवं अनुदान दिए गये।

अधिक अन्न उपजाओं अभियान के कार्यक्रम चलाए जाने के साथ—साथ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी अनेकों कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों से जैविक कृषि का आरम्भ अधिक अन्न उपजाओं अभियान के काल में ही हो चुका था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे “अधिक अन्न उपजाओं” अभियान से भी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहीं 1960 के दशक में दो बार सूखा पड़ने के कारण अकाल ने देश को गंभीर खाद्य संकट में डाला। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दीनतापूर्ण याचना करनी पड़ी एवं पी.एल.ओ.—64 पर निर्भरता बढ़ी। इस विकट भयानक एवं निर्दयी संकटों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्वाभिमान एवं विश्वसनीयता को रखने के लिए देश के योजनाकार एवं वैज्ञानिक, इस चुनौती के लिए, तीव्रगामी व्यूह रचना बनाने हेतु प्रोत्साहित व कटिबद्ध हुए।

देश में 1960 के दशक के मध्य में मैक्रिस्कन गेहूं के विश्वसनीय विपुल उत्पादक किस्मों तथा बाद में फिलीपीन्स से धान के उन्नतिशील बीजों को आयात कर अनुसंधान केन्द्रों पर, स्थानीय अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई साथ ही साथ उन्नतिशील कृषि प्रौद्योगिकी भी फसलवार विकसित की गयी।

उद्यमी कृषकों ने, तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों को अपनाने के अवसर को टर्निंग प्वाइंट समझ कर पकड़ लिया। सिंचाई क्षमता में विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख उपलब्धता के बहाव ने उन्नतिशील बीज, रसायनिक उर्वरक, कीट नाशक, फफूदी नाशक तथा खरपतवारनाशकों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इससे खाद्यानों की उत्पादकता तगि उत्पादन बढ़ा। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सघन जिला कृषि विकास तथा प्रशिक्षण एवं भ्रमण (**Training & Visit**) प्रणाली चलाई गयी। इसके साथ ही साथ देश में हरित कांति आयी जो सहाहनीय एवं चिरस्मरणीय हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपुल उत्पादक बीजों उर्वरक, कीट एवं खरपतवारनाशक के उच्च उपयोग कर सघन कृषि से मिट्टी के स्वास्थ्य गुणवत्ता में कमी, विपुल उत्पादक किस्मों की उत्पादकता में ठहराव, उपयोग होने वाले आदानों की दक्षता में आ रही कमी तथा भूजल के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट ने उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति कृषक भूमि के क्षेत्रफल में आ रही कमी, अच्छी कृषि वाली भूमि कटाव तथा समस्यामूलक भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, असंतुलित व अन्यायिक पौध पोषक तत्वों का भूमि से निरन्तर शोषण तथा भूमि में उनकी आपूर्ति न होना तथा सिंचाई जल की कमी ने गंभीर विचारणीय समस्या उत्पन्न कर दी हैं। किसानों में कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों) के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति ने बैल एवं पशुपालन में कमी ला दी है तथा वनों से जलाऊ लकड़ी की अनुपलब्धता होने से गोबर के उपले बनाकर जलाने से भूमि में जीवांश खादों के उपयोग से वंचित कर दिया हैं। परिणाम स्वरूप भूमि में कार्बनिक पदार्थ (ह्यूमस) की कमी होती जा रही हैं। हरित कांति के पहले हमारी भूमि में 3 से 4 प्रतिशत जीवांश कार्बन थे, जो धीरे-धीरे घटकर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक के स्तर पर आ गया हैं। जबकि भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर (0.8 प्रतिशत से अधिक) से होना आवश्यक हैं।

ब्राजील के शहर रियो डिजनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के चैप्टर-13 में ऐजेन्डा-21ए में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष प्रारूप बनाने पर सहमति हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा से है। इसके लिए शिक्षा, आर्थिक प्रोत्साहन और नवीन तथा उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना आवश्यक है। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य सभी के लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, गरीबी दूर करने के लिए बाजार, रोजगार और आयोत्पादक उपाय लागू करना तथा संसाधन प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण भी है।

टिकाऊ कृषि / जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों—पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती हैं। जैविक कृषि में सर्वप्रथम “कृषि” या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन (**Organism**) के रूप में देखा गया है। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पशु, उद्यान, जड़ी-बूटी, मोम, मित्र-कीट और स्वयं मनुष्य। सभी अंग मिलकर “कृषि” का संतुलन बनाये रखते हैं। यदि इन सभी अंगों में से किसी एक को भी स्थान न दिया गया तो समन्वय बिगड़ता स्वाभाविक हैं। जिस प्रकार एक जीवित संगठन में विभिन्न प्रकार के रसायनिक तत्वों एवं यौगिकों के संयोजन से अंग, अंगों के संयोजन से अंग तन्त्र एवं कई अंग तन्त्रों के संयोजन से शरीर की रचना होती और किसी भी एक अवयव के अंसंतुलित होने से पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है उसी प्रकार से जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाये रखने के लिये इसके समस्त घटकों यथा पशु, मृदा, उद्यान, आदि का साम्य बनाये रखना अति आवश्यक हैं।

इसकी तुलना में 1940 से विश्व में प्रचलित आधुनिक कृषि के रूप में प्रसिद्ध औद्योगिक कृषि, कृषि को पुनर्परिभाषित करती है जहाँ कृषि सम्यता न होकर, उद्योग का रूप लेती है। परन्तु इस दिशा में मूल मंत्र केवल उत्पादन होता हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक-चक्र, सहभागिता, वनस्पति एवं कीट इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता हैं।

औद्योगिक कृषि के नकारात्मक एवं हारिकारक पहलुओं को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि के कृषकों ने पहचाना। सन् 1923 ई0 में डाओल्फ स्टीनर जो कि एक आस्ट्रियन वैज्ञानिक व दार्शनिक थे ने सर्वप्रथम बताया कि रासायनिक कृषि सम्पूर्ण कृषि के साथ-साथ मनुष्य की वैचारिक शक्ति को भी नष्ट करती हैं। सन् 1925-1930 ई0 में सर अल्बर्ट हावर्ड ने कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रथम वैज्ञानिक शक्ति पद्धति को जन्म दिया यह पद्धति “इन्डौर खाद” के नाम से भारत के इन्डौर जनपद में सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। सन् 1920 के दशक में लेडी ई0 बालफोर ने “स्वाइल एसोसिएशन” (**Soil Association**) की स्थापना की तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रदूषण एवं कृषि में रसायनों के उपयोग से होने वाली हानियों पर वाद विवाद शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप सन् 1972 ई0 में **IFOAM** (जैविक कृषि

आन्दोलन का अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशन) की स्थापना हुई। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार 15–20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

भारत में जैविक कृषि

8 मई, 2002 को प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों द्वारा “राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)” का आरम्भ हुआ। एन०पी०ओ०पी० के प्रथम चरण (1998–99) में राष्ट्र स्तरीय “टास्क फोर्स” का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने राष्ट्र में विभिन्न जैविक गतिविधियों का जायजा लिया एवं कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वर्तमान जैविक कृषि पर आंकड़ों के साथ इसको बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये। इसके साथ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानकों को प्रस्तुत किया गया। एपीडा द्वारा राष्ट्र में कार्यरत चार प्रमाणीकरण संस्थाओं को भारत में स्थानीय बाजार के लिये कार्य करने के लिये मान्य किया गया।

भारत में वर्तमान में प्रमाणित जैविक कृषि, चाय या कॉफी के बड़े बागानों तक सीमित हैं, परन्तु कई राज्यों में मसाले, चीनी, बासमती इत्यादि क्षेत्रों में छोटे-छोटे प्रयास प्रगति पर हैं। अब तक मध्य प्रदेश व उत्तरांचल ने अपने अपने राज्यों की जैविक कृषि नीति स्पष्ट कर ली हैं।

वर्ष 2001–02 में देश से लगभग 9238 टन जैविक उत्पाद का विदेशों में निर्यात हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र, केरल एवं बंगाल ने राज्य स्तरीय जैविक कृषि कमेटी का गठन कर लिया है। कृषि मंत्रालय केज़ापन संख्या 5–13/2001–मैन्योरस के अनुसार राष्ट्र को वर्तमान रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों में श्रेणियों के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तरांचल, झारखण्ड, राजस्थान एवं समस्त उत्तर-पूर्वी राज्य, द्वितीय श्रेणी में उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिसमें मध्यम से अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग होता है।

वर्तमान में लगभग तीन राष्ट्र स्तरीय जैविक कृषि एसोसिएशन गठित हैं। भारतीय जैविक व बायोडायनैमिक कृषि संगठन, इन्दौर, बायोडायनैमिक कृषि संगठन, बैंगलोर एवं भारतीय जैविक कृषक संगठन, बंगलौर। यद्यपि स्थानीय जैविक बाजार नगण्य हैं, फिर भी बड़े शहरों में छोटे स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

उत्तरांचल में जैविक कृषि

भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल मूलतः पहाड़ी क्षेत्र है। प्रदेश के 58 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हो रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इसमें 9 जनपद पूर्णतः पर्वतीय एवं 2 जनपद पूर्णतः मैदानी तथा शेष 2 जनपदों में पर्वतीय एवं मैदानी भू-भाग सम्मिलित हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55.66 लाख हैक्टेयर है। जिसमें 34.66 लाख हैक्टेयर (62.27 प्रतिशत) वनाच्छादित हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि 7.93 लाख हैक्टेयर, 2.23 चारागाह तथा अन्य वृक्षों, झाड़ियों बागों आदि के अन्तर्गत 2.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। प्रदेश में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 3.47 लाख हैक्टेयर (50.06 प्रतिशत) हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र 14 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 86 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। उत्तरांचल राज्य में कुल उर्वरक खपत 101 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक खपत मात्र 5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा मैदानी भूभागों में लगभग 200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। राज्य के मैदानी जनपदों में सामान्य कृषि पद्धति में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से जहाँ खाद्यानों की पौष्टिकता एवं वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जनपद उधमसिंहनगर के अधिकांश

विकास खण्डों में मृदा नमूनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि भूमि में जीवांश कार्बन न्यून स्तर (0.4 से 0.5 प्रतिशत) पर पहुँच गया है। इस परिस्थितियों को देखते हुए जैविक कृषि ही वर्तमान की आवश्यकता है। प्रदेश के गठन के पश्चात् यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि वन एवं ग्राम विकास दो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रदेश में एक दूसरे के पूरक हैं। हां एक ओर पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में ग्रामवासी कृषि के लिए वन पर पूरी तरह निर्भर हैं वहीं पौराणिक काल से ग्रामवासियों द्वारा जंगल को धरोहर का स्थान दिया गया हैं।

पहाड़ों में विकट भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, कृषि क्षेत्र में “हरित कान्ति” का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। कृषि मात्र भरण पोषण के लिए रह गई। इस प्रकार कृषि में आय न होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ भारी मात्रा में मनुष्यों का पलायन होता रहा जिससे कृषि के घटकों यथा उद्यान, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। पारम्परिक उद्यान के क्षेत्रों में जहां बड़ी मात्रा में आलू, सब्जी व फल के बगीचे हैं वहां भी किसी भी प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास नहीं हो पाये हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते रसायनिक उर्वरक के प्रयोग से जहां एक ओर उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही हैं, वहीं बीमारियों व कीटों की समस्याएं बढ़ रहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि किसी भी प्रकार की तकनीकी विकास (आधुनिक या जैविक) से वंचित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में लगातार रसायनिक पदार्थों के प्रयोग से कृषि भूमि का जीवांश स्तर तेजी से गिरता चला जा रही है, (**Report- CES**)।

उत्तरांचल में जैविक या टिकाऊ कृषि को महत्वपूर्ण बल देना भले ही नया मंत्र लग रहा है, परन्तु 1992 में रियो डिजनेरों में हुए यूएनोसीओडी (United Nation Conference on Environment and Development) में भारत ने 189 देशों के साथ मिलकर एजेण्डा-21 पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसमें अध्याय 13 के अन्तर्गत पहाड़ों में टिकाऊ कृषि व विकास के बारे में विवरण दिया गया हैं, इसमें कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। साथ ही टिकाऊ कृषि व ग्राम्य विकास (SARD) के आदर्श क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें, तो बाहर से भारी कीमत पर आयातित रसायनिक खाद, परिवहन व ढुलान पर आने वाले खर्च, रसायनिक उर्वरक, के प्रयोग के दूरगामी दुष्प्रभावों व कृषि कार्य में आवश्यकतानुसार रसायनिक खाद की कई कारणों से अनुपलब्धता ही जैविक खाद के पूर्णतयः विकेन्द्रीकृत, अर्थात् ग्राम—स्तर पर ही उत्पादन तथा भरपाई की जा सकेगी। जैविक खाद के सार्वभौमिक और विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उसके व्यापक उपयोग से ही उत्तरांचल को एक कृषि—आधारित, प्रदूषण—विहीन, स्वारक्ष्यवर्धक और स्वावलम्बी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वन—केन्द्रित होने के साथ—साथ जैविक खाद उत्पादन को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में वन विभाग, डेयरी विकास विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विकास विभाग को ग्राम्य विकास के द्वारा गांवों में गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंध समितियों, कृषक समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी गन्ना समितियों, महिला डेरी समितियों, स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कियान्वित करने के वृहद प्रयास किये जायेंगे।

जैविक कृषि विकास की नजरों से अगर पहाड़ों की कृषि देखी जाए तो हम पाते हैं कि प्रदेश के वनों से लगभग 10 मिलियम मैट्रिक टन जैव—अवशेष विभिन्न जंगली पेड़ जैसे बांस, चीड़, देवदार, साल इत्यादि से पाये जाते हैं। यह महत्वपूर्ण जैव—अवशेष पौराणिक काल से पारम्परिक खाद बनाने के प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इस परम्परा को उन्नत एवं उपयुक्त तकनीक से बेहतर बनाने की बहुत अधिक संभवानाएं पायी गयी हैं। वर्ष 2001 से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चल रही टी०टी०डी०सी० (तकनीकी स्थानान्तरण व विकास केन्द्र) योजना में पाया गया है कि बेहतर तकनीकी से न केवल खाद की गुणवत्ता बढ़ती है, साथ ही जैव अवशेष के पूर्ण सङ्ग्रह से कीड़े व भूमि सम्बन्धी बीमारियों में भी कमी

पायी जाती हैं। महिलाओं के लिए पारम्परिक खाद की तुलना उच्च गुणवता के कम्पोस्ट खेतों तक पहुंचाने के समय में व ढुलान में लगने वाली मेहनत में भी महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया है।

उत्तरांचल के कृषि विकास क्षेत्र में जैविक की उन्नत तकनीकों से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सीमान्त कृषक लाभान्वित रहेंगे। साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन होने की सम्भवना भी अधिक है। कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण की कियाओं को पार करके जैविक बाजारों तक पहुंचाने की क्षमता होने से कृषक को अपने उत्पाद का यथोचित मूल्य मिलने की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने से कृषकों की लागत कम किये जाने की आशा है, एवं यह कृषि भूमि को सुधारने का एक सरल उपाय भी है।

जैविक ग्राम में जैविक कृषि प्रबन्धन

2.1. जैविक ग्राम: परिभाषा

“ ऐसे ग्राम जहाँ कृषक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, तथा कृषि रसायनों के दुष्प्रभाव को देखते हुये जैविक कृषि की महत्ता को अंगीकार कर लिये हैं, और जहाँ विभिन्न जैविक कृषि सम्बन्धी गतिविधियों अपनाई जा रही हैं।”

2.2. जैविक कृषि के अन्तर्गत क्या करें, क्या न करें:

2.2.1 कृषि एवं उद्यान

क्या करें (Do's):

1. मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता को जानने के लिए मृदा परीक्षण कराएं।
2. कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत्त जैव-अवशेष तथा बायो एजेन्ट (**Bio-Agent**) के प्रयोग से निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का प्रयोग करें।
3. केंचुए की खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें।
4. जैव उर्वरकों (राइजोबियम, ऐजेटोबैक्टर, ऐजोस्पाइरिलिम, पी०एस०बी० आदि) का प्रयोग संस्तुति के आधार पर करें।
5. रासायनिक तत्वों से मुक्त (**Free**) जल से फसलों की सिंचाई करें।
6. हरी खाद का प्रयोग करें।
7. वैज्ञानिक फसल चक को अपनाएं। फसल चक में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।
8. गर्मी की गहरी जुताई करें।
9. फसलों/औद्योगिक वृक्षों की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करें।
10. फसलों/फल वृक्षों के रोग कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीटनाशी, एन०पी०वी०, बायो-पेस्टीसाइड, जैविक-बीजोपचार (सूर्यकिरण, गर्मजल उपचार आदि) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें।
11. बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।
12. खरपतवार नियंत्रण हेतु समय पर निराई-गुड़ाई, स्टेल फार्मिंग, समय पर बुवाई/रोपण, बुवाई की सही पद्धति का चयन, अन्तः फसल (**Inter cropping**) पद्धति को अपनाएं।
13. मल्विंग (**Mulching**) हेतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। इससे नमी संरक्षण के साथ-साथ खरपतवारों पर भी नियंत्रण होगा।
14. कृषि वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री) को अपनाएं।
15. नाइट्रोजन स्थिरकारी (**Nitrogen Fixing**) पौधों, यथा एकेसिया जैसी प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दें।
16. जल संचयन (वाटर हारवेस्टिंग) को बढ़ावा दें।
17. फसलों/फसलों की कटाई/तुड़ाई भौतिक परिपक्वन अवस्था (**Physical maturity stage**) पर करें। जिससे अगली फसल की बुवाई हेतु खेत की तैयारी एवं अन्य शस्य कियाओं हेतु पर्याप्त समय मिल सकें।

18. फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिला दें।
19. उत्पाद की समुचित सफाई, छटनी (**Grading**) एवं प्रसंस्करण करें।
20. उत्पाद को परम्परागत जैविक विधि से भंडारित करें।
21. विविधीकृत कृषि (**Diversified Farming**) को बढ़ावा देना। जैसे फसलोत्पादन के साथ—साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, जड़ी—बूटी उत्पादन आदि को अपनाएं।
22. जैविक बाढ़ (**Bio-Fencing**) को बढ़ावा दें।
23. मधुमक्खी पालन इकाई की प्रक्षेत्र पर स्थापना करें। जिससे फसलों/फलों के परागगण (**Pollination**) को बढ़ावा मिलें।
24. जल एवं भूमि संरक्षण की प्राकृतिक पद्धतियों को अपनायें।

क्या न करें (Don's):

1. रासायनिक उर्वरकों/कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।
2. फसल अवशेष/जैव अवशेष को न जलायें।
3. कारखानों के प्रदूषिष्ठ जल/सीवेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।
4. खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की सरंचना को कम से कम हानि पहुँचाएं।
5. पर्यावरण (जल, भूमि एवं वायुमण्डल) प्रदूषित करने वाली पद्धतियों को न अपनायें।
6. मित्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुँचायें।
7. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न कि पौधों को जड़ से उखाड़ें।
8. प्रतिवर्ष एक ही फसल न लगाएं।
9. बिना मार्ग दर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लाएं।

जैविक ग्राम एवं कृषक के मानक, चयन एवं पंजीकरण

2.3. जैविक ग्राम का चयन :

भविष्य में जैविक ग्रामों का चयन प्रत्येक योजना के क्षेत्रीय कार्यकर्ता (मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, विकास खण्ड के सहयोग से, स०वि०अ० (कृषि) तथा मुख्य कृषि अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

2.4. जैविक ग्राम के मानक :

- 2.4.1. जैविक ग्रामों के कृषक जैविक कृषि से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी में रुचि रखते हों।
- 2.4.2. ऐसे ग्राम जहां बाजारोमुख उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा हो। जैविक ग्राम में जैविक बाजार की अपार संभावना हो, विपणन के लिए विशेष उत्पाद के उत्पादन की संभावना हो तथा ऐसे ग्रामों में परम्परागत फसलें, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकती हों, तथा यातायात की व्यवस्था समुचित हों।
- 2.4.3. ऐसे ग्राम जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि की उपलब्धता हो।
- 2.4.4. ऐसे ग्राम जो पर्यटन मार्ग पर, पर्यटन स्थल के निकट अथवा भौगोलिक सौन्दर्य स्थल के निकट हों, को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाय।

2.5. जैविक कृषि का चयन :

- 2.5.1. कृषक अपनी कृषि भूमि पर जैविक कृषि के लिए समर्पित हो।
- 2.5.2. कृषक के पास कम से कम दो—गोवंशीय पशु हों।
- 2.5.3. लघु/सीमान्त एवं प्रगतिशील कृषकों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

2.6. जैविक कृषकों की पंजीकरण प्रक्रिया :

- 2.6.1. विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित जैविक कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जैविक कृषकों के सम्यक प्रशिक्षण के उपरान्त उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
- 2.6.2. जैविक कृषक का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 2.6.3. पंजीकरण शुल्क ₹0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रति हैक्टेयर होगा। पंजीकरण धनराशि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कृषकों से वसूल की जायेगी तथा कृषकों को प्राप्ति रसीद (रुपपत्र-7) उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्राप्ति धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में जमा किया जायेगा।
- 2.6.4. पशुपालन : जैविक पशु पालन के अन्तर्गत दुधारू पशुओं का भी पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क ₹0 2.00 मात्र प्रति पशु होगा। जैविक दुध उत्पादन की आगामी योजना के लिए पूर्ण रूप से जैविक मानकों के आधार पर दूध का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु जैविक डेयरी/दुधारू पशुओं का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।
- 2.6.5. पंजीकरण शुल्क की धनराशि का उपयोग :

जैविक कृषकों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क/धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत समिति की सहमति के उपरान्त केवल जैविक कृषि कार्यों के प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार हेतु ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तरदायित्व

2.7. मुख्य विकास अधिकारी :

- 2.7.1. जैविक ग्रामों के चयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अनुमोदन।
- 2.7.2. जैविक ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों/योजनाओं का प्राथमिकता केआधार पर क्रियान्वयन।
- 2.7.3. जैविक ग्रामों में कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा मासिक समीक्षा और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर शासन को समय पर उपलब्ध कराना।

2.8. मुख्य कृषि अधिकारी :

- 2.8.1. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर की सहायता से जैविक ग्रामों का चयन करना।
- 2.8.2. जैविक ग्रामों में क्रियान्वित विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तकनीकी समन्वयकों से सांमजस्य स्थापित कर जैविक कृषि कार्यक्रम में गति लाना।
- 2.8.3. मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना।
- 2.8.4. योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को गति प्रदान करना।
- 2.8.5. जैविक कृषि कार्यक्रमों की मासिक समीक्षण एवं निरीक्षण कर आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना।
- 2.8.6. जनपद स्तर पर जैविक कृषि पर कार्यशाला, गोष्ठी/मेलों इत्यादि का आयोजन करना।
- 2.8.7. जनपद स्तर पर “जैविक कृषि पण्डित” के पुरस्कार हेतु मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्नतिशील जैविक कृषकों को सूचीबद्ध करते हुए नियमानुसार चयन करना।
- 2.8.8. विकास खण्डों से कार्यक्रम की “सफलता की कहानी(Success story)” का संकलन एवं प्रेषण।
- 2.8.9. कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव।

2.9 खण्ड विकास अधिकारी :

- 2.9.1. जैविक कृषि कार्यक्रमों को तत्काल अन्य योजनाओं को साथ संयोजित (Tieup) करते हुए महत्वपूर्ण स्थान देना।
- 2.9.2. विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित जैविक कृषि कार्यक्रमों का समयबद्ध रूप से निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को आख्या/रिपोर्ट प्रेषित करना।
- 2.9.3. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए गतिशीलता प्रदान करना।

- 2.9.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों की ग्राम स्तरीय बैठकों में समीक्षा करना।
- 2.9.5. जैविक ग्रामों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को संकलित कर उच्चाधिकारियों का प्रेषित करना।
- 2.9.6. जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यशाला, गोष्ठी/मेला, प्रचार-प्रसार आदि हेतु भरपूर सहयोग प्रदान करना।
- 2.9.7. जनपद स्तरीय “जैविक कृषि पण्डित” के पुरस्कार हेतु उन्नतशील जैविक कृषकों के प्रस्ताव को प्रेषित करना।
- 2.9.8. कार्यक्रम के विभिन्न विधायों के अच्छे कार्यों की सफलता की कहानियों को संकलित कर प्रेषित करना।

2.10 सहायक कृषि अधिकारी—

- 2.10.1 जैविक ग्रामों का मानक के अनुसार चयन करना।
- 2.10.2 जैविक कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण, अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- 2.10.3. कृषकों के पंजीकरण में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
- 2.10.4. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना एवं जैविक ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना।
- 2.10.5. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देना, उनका प्रोत्साहन तथा समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- 2.10.6. कार्यक्रम हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार करना एवं रखरखाव।
- 2.10.7. सफलता की कहानियां, फोटोग्राफी आदि का संकलन एवं प्रेषण।

2.11. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी :

- 2.11.1. जैविक कृषकों का सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं मास्टर ट्रेनर के सहयोग से पंजीकरण करना।
- 2.11.2. निर्धारित पंजीकरण शुल्क कृषकों से प्राप्त कर उन्हें रूपपत्र-7 प्रदान करना।
- 2.11.3. पंजीकरण शुल्क को ग्राम पंचायत कोष में जमा करना।
- 2.12. बी०टी०एम०/जैविक कृषि कार्यकर्ता :**
- 2.12.1. जैविक कृषकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जैविक कृषि कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
- 2.12.2. जैविक कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना।
- 2.12.3. विभिन्न जैविक प्रयोगों को कृषकों के साथ मिलकर क्रियान्वित करना।
- 2.12.4. सहायक कृषि विकास अधिकारी के साथ मिलकर कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यों को समयान्तर्गत सम्पादित करना।
- 2.12.5. जैविक कृषकों, आच्छादित क्षेत्रफल, जैविक उत्पाद आदि का लेखा जोखा रखना। जैविक कृषकों की डायरी, जैविक ग्राम की डायरी एवं अभिलेखन पुस्तिका का अवलम्बन करना।
- 2.12.6. जैविक कृषकों का प्रोत्साहन एवं समय-समय पर मार्गदर्शन करना।
- 2.12.7. जैविक कृषकों की समस्याओं एवं अन्य चुनौतियों से सहायक कृषि विकास अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/तकनीकी समन्वयक को अवगत कराना।

जैविक कार्यक्रम : परामर्श एवं तकनीकी सहयोग

2.13. कृषि निदेशालय

- 2.13.1. समस्त जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य की रूपरेखा तैयार करना।
- 2.13.2. जैविक ग्राम की कार्य योजना बनाना।
- 2.13.3. प्रचार-प्रसार साहित्य, नारे (**Slogan**) इत्यादि प्रकाशित करने हेतु रूपरेखा तैयार करना।
- 2.13.4. राज्य स्तर पर जैविक कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- 2.13.5. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) तैयार कर प्रस्तुत करना।
- 2.13.6. जैविक ग्रामों की सफलता की कहानियां (**Success Stories**) का संकलन करना।
- 2.13.7. राज्य स्तर पर “जैविक कृषि पण्डित” पुरस्कार हेतु उन्नतशील जैविक कृषकों की सूची का संकलन करना।

- 2.13.8. प्रदेश स्तर पर जैविक कृषि, पशुपालन, /डेयरी, उद्यान एवं अन्य घटकों के लिए निर्धारित जैविक प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर गतिशील बनाना।
- 2.13.9. प्रदेश स्तरीय गोष्टी, सेमीनार, उपभोक्ता मेले आदि का आयोजन करना।
- 2.13.10. मोटे अनाज जैसे मंडुवा तथा स्थानीय दलहनी फसलों यथा गहत, कालाभट्ट आदि की अलग से कार्य योजना बनाना। इन फसलों हेतु उन्नतिशील बीज, नवीन जैविक कृषि तकनीकी को अपना कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। फसलों में गुणवत्ता के निर्धारण हेतु पोषक तत्वों का परीक्षण कराना तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।
- 2.13.11. जैविक कृषि से सम्बन्धित अन्य सहयोगी घटक जैसे जैविक भण्डारण के बेहतर उपाय, कृषि उपकरण, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट बनाने की विधियां, वर्मी कम्पोस्ट, सी०पी०पी० इत्यादि के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना।

2.14. उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद :

- 2.14.1. समस्त जैविक ग्रामों की विकासखण्ड सूची संकलित करना।
- 2.14.2. समस्त मास्टर ड्रेनर/ जैविक कृषि कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सूची को संकलित करना।
- 2.14.3. जैविक कृषि कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।
- 2.14.4. जैविक कृषि कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त मासिक प्रगति आख्या का संकलन करवाना।
- 2.14.5. जैविक उत्पादों एवं कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूचना का संकलन करना।
- 2.14.6. विभिन्न जैविक कृषि योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- 2.14.7. जैविक उत्पादों के विपणन सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 2.14.8. जैविक उत्पादों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण रखना।
- 2.14.9. प्रदेश में चल रही विभिन्न जैविक परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थान (**NGO**) स्तरीय कार्यक्रम एवं निजी संस्थाओं के कार्य एवं प्रयासों को एकबद्ध करना।
- 2.14.10. इन प्रयासों की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करना।
- 2.14.11. जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं को कृषक तक योजनाओं के माध्यम से पहुँचाना।
- 2.14.12. नीतिगत विषयों पर विचार करना।

2.15. मण्डी परिषद :

- 2.15.1. प्रदेश की समस्त मण्डियों में जैविक कृषि उत्पाद के लिए विशेष स्थान प्रावधान करना।
- 2.15.2. जैविक कृषि कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित नारे (**Slogan**), बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं कार्यक्रम को प्रदर्शित करना।

2.16. उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :

- 2.16.1. जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण हेतु कृषक डायरी का रूप पत्र तैयार करना, एवं सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना।
- 2.16.2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शीघ्र कियान्वित करना।
- 2.16.3. जैविक कृषकों एवं जैविक कृषि उत्पाद का लेखा जोखा से सम्बन्धित रिकार्ड रखना।

जैविक कृषि कैसे अपनायें – कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

भारत में हरित क्रान्ति के आगमन के पूर्व लगभग सर्व, कृषक एक तरह के जैविक कृषि कार्य प्रणाली में ही अपने विभिन्न कृषि कार्य कलापों को सम्पन्न करते थे। उत्तरांचल जैसे अन्य असिंचित प्रदेश के क्षेत्रों में अभी भी जैविक पद्धति (विना रसायन के प्रयोग) से कृषि कार्य किया जाता है परन्तु आधुनिक काल में जैविक कृषि की परिभाषा के अनुसार

केवल रसायनों के प्रयोग को निषेध करना मात्र जैविक कृषि नहीं कहलाता है। रसायनों के प्रयोग को 'पूर्णत' प्रतिबन्धित कर अन्य कई कार्य जो हर प्रकार से संतुलित रखते हैं जैसे पशुओं का रख रखाव, फसल चक, सहभागी फसल, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, कृषि में उद्यान, पशुपालन, महिला वर्ग की सहभागिता, भण्डारण व विपणन में पारदर्शक गतिविधियां आदि समस्त कार्यों के संयुक्त सम्मिलन से जैविक कृषि मानी गई हैं।

पौराणिक काल में शायद यहीं कृषि अपनाई जाती थी जब कृषि मात्र खाद्यान पैदा करने के लिए नहीं, एक संस्कृति के रूप में अपनाई जाती थी।

ठीक इसी प्रकार विश्व में खाद्यान उत्पादन के स्रोत की जानकारी से उपभोक्ता को अवगत कराना भी जैविक कृषि विपणन का महत्वपूर्ण अंग है। डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों के इस युग में यह जानना संभव नहीं कि प्रातः का भोजन विश्व के किस कोने से है तथा रात्रि का भोजन कहां से प्रकट हुआ है। इस प्रकार स्थानीय बाजार में खाद्यान की उपलब्धता व उपभोक्ता हेतु ताजे उत्पादों की उपलब्धता भी जैविक कृषि विपणन का एक अंग है।

एक आम छोटा कृषक शीघ्र व कम कष्ट से जैविक में रूपांतरित हो सकता हैं अबल यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैविक बाजार के लिए पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि संरक्षण, पशु प्रबन्धन एवं पर्यावरण संतुलन को सुधारना हैं। जब कृषक दो-तीन फसल चकों को जैविक पद्धति से पूर्ण कर लेते हैं तब प्रमाणीकरण की औपचारिक को पूर्ण करने के पश्चात् बाजार में अपना उत्पाद सरल हो जाता है।

जैविक कृषि का प्रबन्धन अवशेष प्रबन्धन है जब कृषक को जैविक अवशेष से खाद बनाने की तकनीकों का ज्ञान हो तो उसे स्थानीय रूप से प्राप्त कृषि अवशेष, गोबर, जंगल के पत्ते आदि के बेहतर उपयोग से कम्पोस्ट में प्रयोग करने से लागत धीरे-धीरे कम होती चली जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में यह रूपांतरण समयावली की कुछ संस्तुतियों से संभव है जिन क्षेत्रों में पूर्व में रसायनों में अत्याधिक प्रयोग हो रहा है वहां 2 से 3 वर्ष की अवधि में बिना उत्पादन क्षमता में गिरावट के जैविक उत्पाद लिया जाना संभव है।

एक आम कृषक को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष का उचित प्रबन्धन कृषि उपयोग हेतु करता है तो बिना रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का प्रयोग किये ही स्थायी उत्पाद प्राप्त कर सकता है जैविक कृषि कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि कृषि क्षेत्र में कृषक को स्वाबलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय जो कि हमारी पर्वतीय कृषि के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा।

पारम्परिक रूप से कृषि करने वाला कृषक एवम् वह कृषक जो नाम मात्र की मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए जैविक कृषि में रूपांतरण आसान है परन्तु प्रमाणीकरण हेतु कृषि की दैनिक गतिविधियों का लेखा रखने के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। यहां पर यह बताना भी आवश्यक है कि पारम्परिक कृषि पद्धति, जैविक कृषि प्रमाणीकरण हेतु मान्य है परन्तु पारम्परिक कृषि को बिना रसायनों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकी से बेहतर बनाया जा सकता है।

उदाहरणतः हम उत्तरांचल में फसल उत्पादन व भरण पोषण के परिप्रेक्ष्य में पारम्परिक अनाजों के उत्पादन को ले तो हम देखते हैं कि इनका उत्पादन इतना नहीं है जिससे कृषक अपना भरण पोषण भी करें और अतिरिक्त अनाज को बाजार में विक्रय कर आय का साधन भी जुटा सकें। इन क्षेत्रों में यदि पारम्परिक अनाज का उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो तो असिंचित क्षेत्र की भूमि पर रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है और अवैज्ञानिक भी हैं। इस कृषि कार्य में उन्नत जैविक निवेशों का प्रयोग कर अच्छे उत्पाद लेना सम्भव है। जैविक कृषि निवेश स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करके किया जा सकता है। ये निवेश बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये पारम्परिक पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र है और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं हैं। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियों के कहज एक सुधार मात्र हैं और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं है। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियां, असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिये आधुनिक जैविक कृषि का रूप ले लेती है।

इस प्रकार जैविक कृषि में रूपांतरण हेतु सबसे पहले

- ❖ कृषक वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों को अपनाएं। इन्हें अपनी दिनचर्या व सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में लाएं।
- ❖ उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों के निम्नलिखित लाभ जानें—
 - (1) परम्परागत रूप से उपलब्ध कृषि अवशेषों, पत्तों गोबर, इत्यादि में पोषक तत्वों का संतुलित विधियों से सुधार होता है।
 - (2) पौधों को पूर्णतया सड़ी खाद उपलब्ध होती है।
 - (3) पूर्ण रूप से सड़ी खाद का प्रयोग करने से अपूर्ण रूप से सड़ी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पन्न अनेकों प्रकार की बीमारियों, कीटों से खेत बचे रहते हैं।
 - (4) पूर्ण रूप से सड़ी खादें हल्की होती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता है।
 - (5) कृषि अवशेष, गोबर जैसे अनमोल प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से उचित प्रबन्धन होता है।
 - (6) पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा से पारम्परिक फसलों, फल, सब्जियों में अधिक उत्पादकता मिलती है।
 - (7) भूमि में पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता से पौधों में भी संतुलन आता है तथा उनमें रोग व कीटों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता का भी विकास होता है।
 - (8) नाईट्रोजन (नत्रजन), फास्फोरस (स्फुर) तथा पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम व्यय में कृषि अवशेष, खरपतवार के कम्पोस्ट में प्रयोग से खेत तक पहुंचाय जा सकता है।
 - (9) निर्देशित उचित फसल चक, हरी खादों का प्रयोग, परम्परागत कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें कम खर्चीली होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए हानिरहित भी होती हैं।
 - (10) आलू, गोभी जैसी उच्च पोषक तत्व मांग वाली फसलों को खेत में उगाते समय उचित फसल चक व अन्तरवर्तीय फसलों को उगाने का प्रयास करें।
 - (11) कम्पोस्ट खाद बनाने को कृषक अपने लिए “खाद उद्योग” का दर्जा दे सकता है। कम्पोस्ट खाद का निर्माण करते समय विभिन्न पदार्थ जैसे हड्डी का चूरा, नीम की खली, हरा पदार्थ इत्यादि मिलाने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है।

इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कृषक नीम, बैकैन, सिसुणा, लैण्टाना, अखरोट आदि के पत्ते, सड़ा मट्ठा गौ—मूत्र जैसे पदार्थ के प्रयोग से मित्र कीटों को हानि पहुंचाए बिना शत्रु कीटों को दूर भगाते हैं और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे कृषक विभिन्न जैविक क्रिया कलापों को अपनाते जाते हैं वैसे वह संतुलित कृषि की ओर बढ़ते जाते हैं।

जैविक कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पशु भी है। पशु को उचित चारा, उचित रख रखाव तथा प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे मुक्त भ्रमण दिया जाना चाहिए। पशु सदन में स्वच्छ वायु संचार, सूर्य की रोशनी, बन्धन की उन्नत विधियां, अनावश्यक रूप से कार्य दोहन पर रोक व मानवीय अत्याचार से मुक्ति आदि सभी जैविक कृषि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि गतिविधियों का सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण। प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया की चुनौती व सुविधापूर्ण रूप से सामना करने के लिये कृषक यदि प्रारम्भ से ही एक छीटी सी पुस्तिका में अपने कृषि कार्यों की समस्त गतिविधियों को जिनमें बीज का स्रोत, बोने की तिथि, कम्पोस्ट निर्माण व खेत में फसल की तिथि व विधि, निवेश का लेखा जोखा, फसल कटान की जानकारियां, भण्डारण का लेखा जोखा इत्यादि शामिल हैं को सरल भाषा में लिखते जाएं तो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त सरल हो जाती है।

जैविक कृषि अपनाते समय कृषि सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जो निम्न प्रकार से हैं—

1. ग्राम के समस्त कृषक सामूहिक तरीके से एक जुट होकर चयनित जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाकर जैविक कृषि करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1–1.50 हेक्टेयर तक की बड़ी जोत मिलाने का प्रयास करें। इससे जैविक

उत्पादन भी बढ़ेगा तथा जैविक प्रक्षेत्र को पारम्परिक व रसायनिक कृषि प्रक्षेत्रों से अलग रखने हेतु बफर जोन बनाने में सरलता रहती है फलस्वरूप पानी के स्रोत, वायु, पशु, आवागमन इत्यादि से संक्रमण कम हो जाती हैं।

2. सामूहिक रूप से छिड़काव यंत्रों, प्रसंस्करण यंत्रों यथा थ्रैशर अत्यादि का प्रयोग करें जिससे व्यय में कमी होगी और कार्य में सरलता रहेगी इन यंत्रों को रसायनों हेतु कदापि प्रयोग न करें और चिन्हित अवश्य करें।

3. सामान्तर उत्पादन के लिये प्रमाणीकरण संस्थाएं सदैव से ही संवेदनशील रहती हैं। कृषक एक प्रकार की फसल को जैविक तथा रसायनिक दोनों पद्धतियों से एक साथ न उगाएं। इस सावधानी को अपनाने से समानान्तर उत्पादन सम्बन्धित आपत्ति जैविक प्रमाणीकरण में रुकावट नहीं बनती हैं।

इस प्रकार कृषक, जैविक कृषि की पद्धतियों व विभिन्न क्रियाकलापों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर एवं लघु कृषक डायरी में लेखा जोखा रखकर अत्यन्त सरलता से सफल जैविक कृषक बन सकता है।

यथा फसल की कटाई, छटनी, प्रसंस्करण, भण्डारण इत्यादि प्रत्येक अवस्था में इस बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि जैविक उत्पाद में किसी भी प्रकार से अन्य उत्पादों का सम्मिश्रण न हो।

जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण अति आवश्यक है यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद रसायनमुक्त व जैविक है साथ ही साथ यह सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (**TQM-Total Quality Management**) में भी सहायक होता है।

लघु व सीमान्त कृषकों के लिए यूँ तो प्रमाणीकरण प्रक्रिया काफी मंहगी है परन्तु वे सभी जैविक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करके एवं समूह में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लागू कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को काफी सस्ता एवं सुलभ बना सकते हैं।

पर्वतीय कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करने लिए जैविक कृषि कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं तथा जैविक गुणवत्ता उत्पाद के निर्यात की भी व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे खेतों में जैविक गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पर्वतीय कृषि बाजारोन्मुखी बनाया जा सकता है। जिसमें कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र पर उत्पादित जैविक खाद कम्पोस्ट तरल खाद, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता उत्पाद (**High Value Product**) का उत्पादन ले सकता है जिससे हमारी कृषि लागत एवं कृषकों की दूसरों पर निर्भरता घटेगी तथा हमारे राज्य का पर्यावरण भी अच्छा होगा।

—:: मैनुअल-9 ::—

(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका) मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

क्र0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं0		फैक्स नं0	पता	अध्य0
			कार्यालय	आवास			
1	श्री विजय देवराड़ी	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून		9412120961			—
2	श्री गोपाल दत्त सती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी		9412970909			—
3	श्री कैलाश चन्द्र चौधरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		9412032552			—
4	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	अपर अभियन्ता		9412363768			—
5	श्रीमती अनीता पेटवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1		9997618357			—
6	डा० भावना बिष्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1		9410920578			—
7	श्रीमती गरीबा पुनेठा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1		9690553798			—
8	श्री राकेश जोशी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1		8057990234			—
9	श्री हर्षवर्धन भट्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1		9897851223			—
10	श्री विरेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1		9235614649			—
11	श्री आनन्द सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1		7895651472			—
12	श्री संजय चन्दोला	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2		9456120358			—
13	श्री जर्नादन प्रसाद डोभाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2		9412114194			—
14	श्री बृजमोहन पुरोहित	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2		8006414785			—
15	श्री राजेन्द्र सिंह पैँवार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2		8006132011			—
16	श्री अरुण कुमार बर्थवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2		9411140384			—
17	श्री बालेश्वर कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2		8057253408			—
18	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	विपणन सहायक		8126210271			—
19	श्री महिपाल सिंह	कृषि रक्षा यान्त्रिक		8057414923			—
20	श्रीमती किरन बहुगुणा	प्रधान सहायक		9758832913			—
21	श्री बलबीर सिंह रावत	वैयक्तिक सहायक		9410728133			—
22	श्री हिमांशु पाण्डे	वरिष्ठ सहायक		8126374759			—
23	श्री नारायण सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक		9761230452			—
24	कुमारी शिवानी हाण्डा	सहायक लेखाकार		9897600105			—
25	श्री मनीष चौधरी	कनिष्ठ सहायक		9745254570			—
26	श्री गोपेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक		9411744440			—
27	श्री सुखदेव सिंह	कनिष्ठ सहायक		9634098315			—
28	श्री गुलजारी लाल	अनुरेखक		7500704491			—
29	श्री ललित मोहन उनियाल	वाहन चालक		9411362269			—
30	श्रीमती हेमलता थपलियाल	अनुसेविका		9557429197			—
31	श्रीमती शशिबाला	अनुसेविका		9927753223			—
32	श्री अमृतपाल	अनुसेवक		8954238972			—
33	श्री उमरदीन	अनुसेवक		7579084816			—
34	श्री अमर सिंह बिष्ट	अनुसेवक		9412364577			—
35	श्री सोमपाल सिंह	अनुसेवक		8006595294			—
36	श्री भानू प्रताप सिंह	अनुसेवक		9411514301			—
37	श्री देवेन्द्र दत्त सकलानी	अनुसेवक		9412932859			—
38	श्री अजय लाल	अनुसेवक		7536836504			—
39	श्री जिशान अली	अनुसेवक		8909604834			—
40	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	अनुसेवक		9760941881			—

9412120961

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, किसान भवन
द्वितीय तल रिंग रोड, निकट ०६ नम्बर पुलिया, गणपुर, देहरादून।

इकाई स्तर परः—
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर।
(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)

क्र० सं०	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं०		फैक्स नं०	पता	आध्यू०
			कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती अभिलाषा भट्	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी		8171199655			—
2	श्रीमती मयूरी अग्रवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1		9411004184			—
3	श्री भूपेन्द्र प्रसाद वर्णिष्ठ	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		7830839048			—
4	श्रीमती इन्दु गोदियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1		8077480543			—
5	श्री देवेन्द्र सिंह असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9412962766			—
6	श्री चन्द्रवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9411030304			—
7	श्री चमनलाल असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9917818355			—
8	श्री वाचस्पति भट्	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		8449899406			—
9	श्री सोहनलाल पौखरियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9917356877			—
10	श्री विनोद कुमार धस्माना	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		7906549445			—
11	श्री विजयपाल सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9411101421			—
12	श्री प्रेमप्रकाश शैली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		7983054103			—
13	श्री बावूराम यादव	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		8449401688			—
14	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		7983206304			—
15	श्री नरेश कुमार नौटियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9412965841			—
16	श्री शम्भू प्रसाद भट्	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		8126248160			—
17	श्री अजय कुमार सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2		9410153627			—
18	श्री उमादत्त सेमवाल	अनुरेखक		9411576889			—
19	श्री मनोज कुमार	प्रधान सहायक		8923089326			—
20	श्री अर्जुनसिंह नेगी	वरिझिसहायक		7895881660			—
21	श्री लक्खवूराम	कनिष्ठ सहायक		9897613327			—
22	श्री अखिलेश कुमार	कनिष्ठ सहायक		7895861657			—
23	श्रीमती अन्जु नौटियाल	कनिष्ठ सहायक		9410729882			—
24	कुओनाली वर्मा	कनिष्ठ सहायक		8979862510			—
25	श्री सब्बलसिंह	चतुर्थ श्रेणी		9410873837			—
26	श्री प्रमोद बडोला	चतुर्थ श्रेणी		9411340152			—
27	श्रीमती रामादेवी	चतुर्थ श्रेणी		9359641585			—
28	श्रीमती सरस्वती देवी	चतुर्थ श्रेणी		9456560731			—
29	श्री रघुवीरसिंह	चतुर्थ श्रेणी		9720888511			—
30	विमल कुमार	वाहन चालक		9411531484			—

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
रायपुर स्थित किसान भवन देहरादून।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	मोबाइल नं०
1	2	3	4	5
1	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	कृ०एवंभू०सं०अ० सहसपुर	9412017464
2	श्री प्रमोद कुमार सेनी	अपर सहायक अभियन्ता	कार्यालय में	8958741965
3	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	कार्यालय में	6395295108
4	श्री दिनेश चन्द्र मैठाणी	मानचित्रक	कार्यालय में	9639932417
5	श्री अंशु काम्बोज	सहायक लेखाकार (संविदा)	कार्यालय में	9639544580
6	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	कार्यालय में	7417733890
7	श्री आशीष जखमोला	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय में	9854523692
8	श्री विजय कुमार	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय में	9412991633
9	श्री हरीश लाल	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय में	7252998121
10	श्री निर्भयपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक)	कार्यालय में	9756979211
11	श्रीमती संगीता	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक)	कार्यालय में	8791730649
12	श्री गंगाचरण	अनुसेवक	कार्यालय में	9412923082
13	श्री सुभाष चन्द	अनुसेवक	कार्यालय में	9411543960
14	श्री श्रीदेव	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	विकासखण्ड सहसपुर	9411168797
15	श्री दिनेश कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	9758545620
16	श्री प्रमोद कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	9458938412
17	श्री धीरज सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	8958898985
18	श्री केदार सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	9412122552
19	श्री नरेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	9639382048
20	श्री मोहनराम	अनुसेवक	विकासखण्ड सहसपुर	9412038708
21	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	8057713271

22	श्री आनन्द कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	8938835433
24	श्री रविन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	9639282760
25	श्री विजयपाल सिह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	9410142075
26	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	विकासखण्ड विकासनगर	9568674768

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	मोबाइल नं०
1	2	3	4	9
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चक्राता स्थित कालसी				
1.	श्री दीपक पुरोहित	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी(श्रीणी-2)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चक्राता स्थित कालसी	9690553265
2.	डा० सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी, कालसी एवं प्राविधिक सहायक	9627598004
3.	श्री मित्तीलाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी, चक्राता	9058728460
4.	श्रीमती सुरेखा पाठक	प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, चक्राता स्थित कालसी	9410915699
5.	श्री अमित कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, चक्राता स्थित कालसी	9719453218
6.	श्री दीपक गुसाई	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, चक्राता स्थित कालसी	9456363261
7.	श्री योगेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, चक्राता स्थित कालसी	9557629871
8.	श्री जगमोहन सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	बीज भंडार प्रभारी, चक्राता / न्याय पंचायत प्रभारी, दसउ	9410994904
9.	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	बीज भंडार प्रभारी / न्याय पंचायत प्रभारी, कालसी	9411528728
10.	श्री सारून हसन	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, बृनाड, भुनाड, बेगी	7983688955
11.	श्री रणबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, रेंगेउ, काण्डोई बोन्दर	9720729720
12.	श्रीमती पूनम खरबन्दा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, मिणडाल	8979006067
13.	कु० सोनिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, भंडौली, जाडी	9997775660
14.	श्री अमित पंत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, उद्पाल्टा, खाडी, भंजरा	9675190930

15.	श्रीमती सुप्रिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, मुंधान, डागुरा	9997775660
16.	कु0 प्रियंका थपलियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	न्याय पंचायत प्रभारी, कोटी, कोरुवा	8394906115
17.	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	रायपुर इकाई में कार्यरत	9634538036
18.	श्री ओंसप्रकाश	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	9760120468

—:: मैनुअल-10 ::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(प्रत्येक अधिकारी, और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है)

क्र0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	परितोषिक/पारितोषि क भत्ता	परिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो	अन्युक्ति
1	श्री विजय देवराड़ी	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	125378.00	—		—
2	श्री गोपाल दत्त सती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	79011.00	—		—
3	श्री कैलाश चन्द्र चौधरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	69182.00	—		—
4	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	अपर सहायक अभियन्ता	147476.00	—		—
5	श्रीमती अनीता पेटवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	700444.00	—	समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत	—
6	श्री हर्षवर्धन भट्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	88020.00	—	शासनादेशों मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता	—
7	डा० भावना बिष्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	70444.00	—	एवं अन्य भत्ते	—
8	श्रीमती गरीमा पुनेठा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	70444.00	—		—
9	श्री राकेश जोशी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	65044.00	—		—
10	श्री विरेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	88270.00	—		—
11	श्री आनन्द सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	70444.00	—		—
12	श्री संजय चन्दोला	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	93090.00	—		—
13	श्री जर्नादन प्रसाद डोभाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	69362.00	—		—
14	श्री बृजमोहन पुरोहित	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	93090.00	—		—
15	श्री राजेन्द्र सिंह पैवार	सहायक कृषि अधिकारी,	83620.00	—		—

		वर्ग-2			
16	श्री अरुण कुमार बर्थवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	82520.00	—	—
17	श्री बालेश्वर कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	78867.00	—	—
18	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	विपणन सहायक	48407.00	—	—
19	श्री महिपाल सिंह	कृषि रक्षा यान्त्रिक	65510.00	—	—
20	श्रीमती किरन बहुगुणा	प्रधान सहायक	55682.00	—	—
21	श्री बलबीर सिंह रावत	वैयक्तिक सहायक	56474.00	—	—
22	श्री हिमांशु पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	42283.00	—	—
23	श्री नारायण सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	45833.00	—	—
24	कुमारी शिवानी हाण्डा	सहायक लेखाकार	42323.00	—	—
25	श्री मनीष चौधरी	कनिष्ठ सहायक	34206.00	—	—
26	श्री गोपेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	33270.00	—	—
27	श्री सुखदेव सिंह	कनिष्ठ सहायक	43521.00	—	—
28	श्री गुलजारी लाल	अनुरेखक	83722.00	—	—
29	श्री ललितमोहन उनियाल	वाहन चालक	70814.00	—	—
30	श्रीमती हेमलता थपलियाल	अनुसेविका	43561.00	—	—
31	श्रीमती शशिबाला	अनुसेविका	37061.00	—	—
32	श्री अमृतपाल	अनुसेवक	43591.00	—	—
33	श्री उमरदीन	अनुसेवक	43561.00	—	—
34	श्री अमर सिंह बिष्ट	अनुसेवक	43561.00	—	—
35	श्री सोमपाल सिंह	अनुसेवक	43591.00	—	—
36	श्री भानू प्रताप सिंह	अनुसेवक	43751.00	—	—
37	श्री देवेन्द्र दत्त सकलानी	अनुसेवक	41691.00	—	—
38	श्री अजय लाल	अनुसेवक	25027.00	—	—
39	श्री जिशान अली	अनुसेवक	27135.00	—	—
40	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	अनुसेवक	27835.00	—	—

इकाई स्तर परः—

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर |

(प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं)

क्र0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम		वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार)	वेतनबैंड			परिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो	अभ्युक्ति
					वेतन बैंड	मूल वेतन	लेवल		
1	श्रीमती अभिलाषा भट्ट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्यालय	56100-177500	77962.00	10			—
2	श्रीमती मयूरी अग्रवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	कार्यालय	44900-142400	67684.00	7			—
3	श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	कार्यालय	56100-177500	79442.00	10			—
4	श्रीमती इन्दु गोदियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	विठ्ठलोईवाला	44900-142400	67084.00	7			समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों मूल वेतन पर देय महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते
5	श्री देवेन्द्र सिंह असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	विठ्ठलोईवाला	56100-177500	76912.00	10			—
6	श्री चन्द्रवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांगार्थमार्खमग्रान्त	56100-177500	77192.00	10			—
7	श्री चमनलाल असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांगश्यामपुर	56100-177500	81692.00	10			—
8	श्री वाचस्पति भट्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय भानियावाला	56100-177500	77192.00	10			—
9	श्री सोहनलाल पोखरियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांगरानीपोखरी	56100-177500	67900.00	8			—
10	श्री विनोद कुमार धर्माना	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांगमियावाला	56100-177500	79442.00	10			—
11	श्री विजयपाल सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	भण्डार रायपुर	56100-177500	79162.00	10			—
12	श्री प्रेमप्रकाश शैली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांग रायपुर	56100-177500	84820.00	10			—
13	श्री बावूराम यादव	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांग थानो	56100-177500	76912.00	10			—
14	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांग सरोना	56100-177500	79442.00	10			—
15	श्री नरेश कुमार नौटियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	न्याय पंचांग अजबपुरकला	56100-177500	79702.00	10			—
16	श्री शम्भू प्रसाद भट्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	कार्यालय	56100-177500	78742.00	10			—
17	श्री उमादत्त सेमवाल	अनुरेखक	कार्यालय	47600-151100	78022.00	8			—
18	श्री मनोज कुमार	प्रधान सहायक	कार्यालय	35400-112400	46782.00	6			—
19	श्री अर्जुनसिंह नेंगी	वरिंसहायक	कार्यालय	29200-92300	44038.00	5			—
20	श्री प्रियंकर प्रसाद गैरोला	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय	29200-92300	46632.00	5			—
21	श्री लक्खराम	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय	25500-81100	42876.00	4			—
22	श्री अखिलेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय	21700-69100	30290.00	3			—
23	श्रीमती अन्जु नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय	21700-69100	28722.00	3			—

24	कु०सोनाली वर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय	21700-69100	28722.00	3		-
25	श्री सब्बलसिंह	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	29200-92300	45360.00	5		-
26	श्री प्रमोद बडोला	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	29200-92300	46722.00	5		-
27	श्रीमती रामादेवी	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	25500-81100	35498.00	4		-
28	श्रीमती सरस्वती देवी	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	25500-81100	41846.00	4		-
29	श्री रघुवीरसिंह	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	29200-92300	45422.00	5		-
30	विमल कुमार	वाहन चालक	कार्यालय	25500-81100	44198	4		

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

(प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं)

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	कार्यालय का नाम	वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार)			मोबाइल नं०
					वेतन वैष्ड	मूल वेतन	लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	कृ०एवंभ०सं०अ० सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	56100-177500	67000	L-10	7376681661
2	श्री प्रमोद कुमार सैनी	अपर सहायक अभियन्ता	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	78800-209200	102800	L-12	9412985099
3	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	44900-142400	55200	L-7	7533991854
4	श्री दिनेश चन्द्र मैठाणी	मानचित्रक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	35400-112400	46200	L6	9411133592
5	श्री अंशु काम्बोज	सहायक लेखाकार (संविदा)	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर				9997487412
6	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	35400-112400	39900	L-6	9456163381
7	श्री आशीष जखमोला	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	47600-151100	52000	L8	9897912439
8	श्री विजय कुमार	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०अ० सहसपुर	25500-81100	35300	L-4	9410532761

9	श्री हरीश लाल	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	25500-81100	34300	L-4	7895371821
10	श्री निर्भयपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक (अधिसंचयक)	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	21700-69100	23100	L-3	8273252527
11	श्रीमती संगीता	कनिष्ठ सहायक (अधिसंचयक)	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	21700-69100	23100	L-3	9997258229
12	श्री गंगाचरण	अनुसेवक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	25500-81100	34300	L-4	9760327594
13	श्री सुभाष चन्द	अनुसेवक	कार्यालय में	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	25500-81100	34300	L-4	9758510299
14	श्री श्रीदेव	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	65000	L-10	8126481606
15	श्री दिनेश कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9536771953
16	श्री प्रमोद कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9897590316
17	श्री धीरज सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	65000	L-10	7060477758
18	श्री केदार सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9997427959
19	श्री नरेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	65000	L-10	7599028102
20	श्री मोहनराम	अनुसेवक	विकासखण्ड सहसपुर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	19900-63200	29300	L-2	8755186974
21	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9412970706
22	श्री आनन्द कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9627201214
23	श्री रविन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9411326332

24	श्री विजयपाल सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	विकासखण्ड विकासनगर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	56100-177500	63100	L-10	9412368708
25	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	विकासखण्ड विकासनगर	कृ०एवं भू०सं०३० सहसपुर	25500-81100	34300	L-4	7579060437

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्ररता स्थित कालसी।

क्र०सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीपक पुरोहित	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी(श्रेणी)	63100.00	—	सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार
2.	डा० सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	55200.00	—	
3.	श्री मित्तीलाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	67000.00	—	
4.	श्रीमती सुरेखा पाठक	प्रशासनिक अधिकारी	49000.00	—	
5.	श्री अमित कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	35300.00	—	
6.	श्री दीपक गुसाई	कनिष्ठ सहायक	26000.00	—	
7.	श्री योगेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	21700.00	—	
8.	श्री जगमोहन सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	65000.00	—	
9.	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	65000.00	—	
10.	श्री सारून हसन	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	29600.00	—	
11.	श्री रणबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	29600.00	—	
12.	श्रीमती पूनम खरबन्दा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	29600.00	—	
13.	कु० सोनिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	29600.00	—	
14.	श्री अमित पंत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	28700.00	—	
15.	श्रीमती सुप्रिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	29600.00	—	

क्र०सं०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धती जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
16.	कु0 प्रियंका थपलियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	29600.00	—	
17.	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3	65000.00	—	
18	श्री ओमप्रकाश	चतुर्थ श्रेणी	39200.00	—	

-:: मैनुअल-11 ::-

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)

राष्ट्रीय संपोष्णीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह-मार्च 2019 की भौतिक /वित्तीय प्रगति 2018-19

1. समेकित फसल प्रणाली

फसल प्रणाली	जनपद- देहरादून							
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)		लाभार्थी (संख्या)		अनुमानित लागत		योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	195	135	270	290	97.5	26.94	48.75	22.942
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	20	20	30	30	10	2.44	5	4.97
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	50	50	115	115	40	3.5	20	18.909
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	0	0	0	0	0	0	0	0
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	0	0	0	0	0	0	0	0
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रुगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिंट्रस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइक्स राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	20	20	40	55	6	2.5	3	0.78
उपयोग	285	225	455	490	153.5	35.38	76.75	47.601

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	जनपद— देहरादून									
	संख्या		क्षेत्रफल (हेक्टेन में)		संगठन/समूह/ वैयक्तिक (सं०)		अनुमानित लागत		योजनात्तर्गत सहायता राशि	
ग्रीन हाऊस एंव लो टनल पालीहाउस	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
(अ) ट्यूबलर (वर्ग मी०)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मौन पालन (कालोनी)	70	20	70	20	70	20	1.40	-	0.56	-
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	1	1	2,100	-	1	-	1.25	-	1.25	1.25
पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी०)	8	4	400	200	8	4	32.00	12.00	16.00	8.00
जल संभरण टैंक/जलाषय (व्यक्तिगम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल संभरण टैंक/जलाषय (सामुदायिक)-1 है० कमान्ड एरिया	1	1	-	-	10	10	2.50	-	2.50	2.46
टैक्स रैस्टोरेसन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है० में)	3	3	20	20	20	20	0.60	-	0.30	-
वाटर लिफटिंग डिवाइस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु० 24,000.00 / संरचना)	20	15	-	-	208	156	4.80	0.96	4.80	4.77
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु० 40,000.00 / संरचना)	12	10	-	-	143	123	4.80	0.80	4.80	4.80
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संसाधन संरक्षण/आइ०एफ०एस० प्रशिक्षण (20 / समूह)	11	8	220	160	220	160	1.10	0.60	1.10	0.90
षैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट(50 / समूह)	6	5	300	250	300	250	1.20	0.80	1.20	0.80
उपयोग	132	67	3,110	650	980	743	49.65	15.16	32.51	22.98
कुलयोग	-	-	-	-	-	-	203.15	50.14	109.26	70.58

राष्ट्रीय संपोष्णीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह—मार्च 2019 की भौतिक/वित्तीय प्रगति 2018–19

1. समेकित फसल प्रणाली

उद्यान आधारित फसल प्रणाली

फसल प्रणाली	श्यामपुर—(डोईवाला), देहरादून।							
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)	लाभार्थी (संख्या)	अनुमानित लागत		योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)			
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	30	30	50	50	15.00	-	7.50	3.136
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	10	10	25	25	8.00	-	4.00	3.869
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली			-		-		-	
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली			-		-		-	
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रूगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिट्रस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइकस राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	-	-	-	-	-		-	
उपयोग	40	40	75	75	23	0	11.50	7.005

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	श्यामपुर-(डोईवाला), देहरादून।									
	संख्या		क्षमता/क्षेत्रफल/है0	संगठन/समूह/ वैयक्तिक (सं0)		अनुमानित लागत		योजनान्तर्गत सहायता राशि		
ग्रीन हाइस एंव लो टनल पालीहाउस	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
(अ) ट्रूबलर (वर्ग मी0)										-
मौन पालन (कालोनी)	10		10		10		0.20		0.08	-
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	0		-		-		-		-	-
पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	4		200		4		16.00		8.00	-
जल संभरण टैंक / जलाषय (व्यक्तिगम)	-		-	-	-		-	-	-	-
जल संभरण टैंक / जलाषय (सामुदायिक)-1 है0 कमान्ड एरिया	-		-		-		-		-	-
टैक्स रैस्टोरेसन	-		-		-		-		-	-
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है0 में)	3	3	20	20	20	20	0.60		0.30	
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 24,000.00 / संरचना)	-		-		-		-		-	-
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 40,000.00 / संरचना)	-		-		-		-		-	-
वाटर लिफटिंग डिवाइस	-		-		-		-		-	-
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)										-
संसाधन संरक्षण/आइ0एफ0एस0 प्रषिक्षण (20/समूह)	2	2	40	40	40	40	0.20	0.20	0.20	0.20
षैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट(50/समूह)	1	1	50	50	50	50	0.20	0.20	0.20	0.20
उपयोग	20	6	320	110	124	110	17.2	0.4	8.78	0.40
कुलयोग							40.2		20.28	7.405

राष्ट्रीय संपोष्णीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह—मार्च 2019 की भौतिक/वित्तीय प्रगति 2018–19

1. समेकित फसल प्रणाली

कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली

फसल प्रणाली	सहसपुर, देहरादून							
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)		लाभार्थी (संख्या)		अनुमानित लागत		योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रुपये में)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	15	15	50	50	7.50	3.14	3.75	3.31
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	5	5	15	15	2.50	2.44	1.25	1.22
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	5	5	15	15	4.00	3.50	2.00	1.75
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रुगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिट्रस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइकस राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	20	20	40	55	6.00	2.50	3.00	0.78
उपयोग	45	45	120	135	20.00	11.58	10.00	7.06

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	सहसपुर, देहरादून									
	संख्या		क्षमता / क्षेत्रफल / है0		संगठन / समूह / वैयक्तिक (सं0)		अनुमानित लागत		योजनात्तर्गत सहायता राशि	
ग्रीन हाइस एंव लो टनल पालीहाउस	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
(अ) ट्यूबलर (वर्ग मी0)										
मौन पालन (कालोनी)	10		10.00		10		0.20	-	0.08	
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	-		-		-		-	-	-	
पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	2	2	100	100	2	2	8.00	8.00	4.00	4.00
जल संभरण टैंक / जलाषय (व्यक्तिगम)	-		-		-		-	-	-	
जल संभरण टैंक / जलाषय (सामुदायिक)-1 है0 कमान्ड एरिया	-		-		-		-	-	-	
टैक्स रैस्टोरेसन	-		-		-		-	-	-	
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है0 में)	-		-		-		-	-	-	
वाटर लिफटिंग डिवाइस	-		-		-		-	-	-	
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 24,000.00 / संरचना)	4	4	-		40	40	0.96	0.96	0.96	0.96
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 40,000.00 / संरचना)	2	2	-		25	25	0.80	0.80	0.80	0.80
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)	0		-		-		-	-	-	
संसाधन संरक्षण / आइ0एफ0एस0 प्रषिक्षण (20 / समूह)	1		20		20		0.10	-	0.10	
षैक्षणिक भ्रमण / एक्सपोजर विजिट(50 / समूह)	1		50		50		0.20	-	0.20	
उपयोग	20	8	180	100	147	67	10.26	9.76	6.14	5.76
कुलयोग							30.26	21.34	16.14	12.82

राष्ट्रीय संपोष्णीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह—मार्च 2019 की भौतिक/वित्तीय प्रगति 2018–19

1. समेकित फसल प्रणाली		उद्यान आधारित फसल प्रणाली						
फसल प्रणाली	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)	विकासनगर, देहरादून						योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	20	20	30	50	10.00	2.50	5.00	4.26
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रूगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिट्रस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइकस राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग	20	20	30	50	10.00	2.5	5.00	4.26

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	विकासनगर, देहरादून									
	संख्या		क्षमता / क्षेत्रफल / है0		संगठन / समूह / वैयक्तिक (सं0)		अनुमानित लागत		योजनात्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)	
लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
ग्रीन हाइस एंव लोटनल पालीहाउस										
(अ) दयूबलर (वर्ग मी0)										
मौन पालन (कालोनी)	20		20		20		0.40	-	0.16	
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	-		-		-		-	-	-	
पोस्ट हार्वस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	1	1	50	50	1	1	4.00	4.00	2.00	2.00
जल संभरण टैंक / जलाषय (व्यक्तिगम)	-		-		-		-	-	-	
जल संभरण टैंक / जलाषय (सामुदायिक)-1 है0 कमान्ड एरिया	-		-		-		-	-	-	
टैक्स रैस्टोरेसन	-		-		-		-	-	-	
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है0 में)	-		-		-		-	-	-	
वाटर लिफटिंग डिवाइस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 24,000.00 / संरचना)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 40,00,00.00 / संरचना)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)	-		-		-		-	-	-	
संसाधन संरक्षण / आइ0एफ0एस0 प्रशिक्षण (20 / समूह)	2	2	40	40	40	40	0.20	-	0.20	0.10
ऐक्षणिक भ्रमण / एक्सपोजर विजिट(50 / समूह)	1	1	50	50	50	50	0.20	-	0.20	
उपयोग	24	4	160	140	111	91	4.8	4	2.56	2.10
कुलयोग							14.80	6.50	7.56	6.36

राष्ट्रीय संपोष्णीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह—मार्च 2019 की भौतिक/वित्तीय प्रगति 2018—19

1. समेकित फसल प्रणाली

उद्यान आधारित फसल प्रणाली

फसल प्रणाली	चकराता (नया)							
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)	लाभार्थी (संख्या)	अनुमानित लागत	योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	40	30	40	40	20.00	11.30	10.00	6.20
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	10	10	10	10	5.00		2.50	2.50
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	10	10	20	20	8.00		4.00	4.00
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रुगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिंस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइक्स राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	-		-	-	-	-	-	
उपयोग	60	50	70	70	33	11.3	16.50	12.70

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	कालसी, चकराता-देहरादून									
	संख्या		क्षमता/क्षेत्रफल/है0		संगठन/समूह/ वैयक्तिक (सं0)		अनुमानित लागत		योजनात्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)	
ग्रीन हाइस एंव लो टनल पालीहाउस	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
(अ) द्यूब्लर (वर्ग मी0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मौन पालन (कालोनी)	10	10	10	10	10	10	0.20		0.08	
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	-	-	-	-	-	-	-		-	
पोस्ट हार्वस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	-	-	-	-	-	-	-		-	
जल संभरण टैंक / जलाषय (व्यक्तिगम)	-	-	-	-	-	-	-		-	
जल संभरण टैंक / जलाषय (सामुदायिक)-1 है0 कमान्ड एरिया	1	1	-	-	10	10	2.50		2.50	2.46
टैक्स रैस्टोरेसन	-	-	-	-	-	-	-		-	
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है0 में)	-	-	-	-	-	-	-		-	
वाटर लिफटिंग डिवाइस	-	-	-	-	-	-	-		-	
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं- सामुदायिक (रु0 24,000.00 / संरचना)	5	5	-	-	56	56	1.20		1.20	1.20
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं- सामुदायिक (रु0 40,000.00 / संरचना)	4	4	-	-	48	48	1.60		1.60	1.60
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)										
संसाधन संरक्षण/आइ0एफ0एस0 प्रषिक्षण (20/समूह)	2	2	40	40	40	40	0.20	0.20	0.20	0.20
षैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट(50/समूह)	1	1	50	50	50	50	0.20	0.20	0.20	0.20
उपयोग	23	23	100	100	214	214	5.90	0.40	5.78	5.66
कुलयोग							38.90	11.70	22.28	18.36

राष्ट्रीय संपोष्यीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह—मार्च 2019 की भौतिक/वित्तीय प्रगति 2018–19

1. समेकित फसल प्रणाली

उद्यान आधारित फसल प्रणाली

फसल प्रणाली	कालसी चक्राता							
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)	लाभार्थी (संख्या)	अनुमानित लागत	योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)				
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	80	30	40	40	40.00	10	20.00	5.00
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	5	5	5	5	2.50		1.25	1.25
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	5	5	10	10	4.00		2.00	2.00
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रूगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिट्रस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइकस राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	-		-	-	-		-	-
उपयोग	90	40	55	55	46.50	10	23.25	8.25

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	कालसी, चकराता-देहरादून									
	संख्या		क्षमता/क्षेत्रफल/है0		संगठन/समूह/ वैयक्तिक (सं0)		अनुमानित लागत		योजनात्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)	
लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
ग्रीन हाइस एंव लोटनल पालीहाउस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) ट्रयूबलर (वर्ग मी0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मौन पालन (कालोनी)	10	10	10	10	10	10	0.20		0.08	
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	1	1	50	50	1	1	4.00		2.00	2.00
जल संभरण टैंक / जलाषय (व्यक्तिगम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल संभरण टैंक / जलाषय (सामुदायिक)-1 है0 कमान्ड एरिया										
टैक्स रैस्टोरेसन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है0 में)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाटर लिफटिंग डिवाइस										
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 24,000.00 / संरचना)	6	6	-	-	60	60	1.44		1.44	1.44
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 40,000.00 / संरचना)	4	4	-	-	50	50	1.60		1.60	1.60
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)										
संसाधन संरक्षण/आइ0एफ0एस0 प्रशिक्षण (20 / समूह)	2	2	40	40	40	40	0.20	0.20	0.20	0.20
ऐक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट(50 / समूह)	1	1	50	50	50	50	0.20	0.20	0.20	0.20
उपयोग	24	24	150	150	211	211	7.64	0.40	5.52	5.44
कुलयोग							54.14	10.40	28.77	13.69

राष्ट्रीय संपोष्णीय कृषि मिशन (वर्षा आधारिय क्षेत्र विकास) की माह—मार्च 2019 की भौतिक/वित्तीय प्रगति 2018–19

1. समेकित फसल प्रणाली

दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली

फसल प्रणाली	खैरीमानसिंह–नया (रायपुर) देहरादून							
	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)	लाभार्थी (संख्या)	अनुमानित लागत	योजनान्तर्गत सहायता राशि(लाख रुपये में)	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
उद्यान आधारित फसल प्रणाली	10	10	60	60	5.00		2.50	1.036
पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-
दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	20	20	45	45	16.00		8.00	7.29
मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	-
वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली	-		-		-		-	-
कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (इसके अन्तर्गत गेठी (वोहमिरिया रुगलोसा), भिमल (ग्रेविया आप्टीवा), खड़ीक (सेलिट्रस आस्ट्रेलिस), तिमला (फाइकस राक्सवर्गी), शहतूत (मोरस एल्वा) आदि स्थानीय चारा / उपयोगी वृक्ष भी सम्मिलित हैं।)	-		-		-		-	
उपयोग	30	30	105	105	21.00	0.00	10.50	8.326

2. मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण

फसल प्रणाली	खैरीमानसिंह–नया (रायपुर) देहरादून								
	संख्या		क्षमता / क्षेत्रफल / है0		संगठन / समूह / वैयक्तिक (सं0)		अनुमानित लागत		योजनात्तर्गत सहायता राशि(लाख रु0में)
लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
ग्रीन हाइस एंव लोटनल पालीहाउस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) दयूबलर (वर्ग मी0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मौन पालन (कालोनी)	10	-	10	-	10	-	0.20	-	0.08
साइलेज इकाई (वर्ग फुट)	1	1	2,100	-	1	-	1.25	-	1.25
पोस्ट हार्वस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल संभरण टैंक / जलाषय (व्यक्तिगम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल संभरण टैंक / जलाषय (सामुदायिक)-1 है0 कमान्ड एरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टैक्स रैस्टोरेसन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल प्रयोग एंव वितरण (क्षमता है0 में)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाटर लिफटिंग डिवाइस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 24,000.00 / संरचना)	5	-	-	52	-	1.20	-	1.20	1.17
लोअर रीच गली नियंत्रण संरचनाएं— सामुदायिक (रु0 40,000.00 / संरचना)	2	-	-	20	-	0.80	-	0.80	0.80
वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें (वर्ग फुट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संसाधन संरक्षण / आइ0एफ0एस0 प्रषिक्षण (20 / समूह)	2	-	40	-	40	-	0.20	-	0.20
षेषणिक भ्रमण / एक्सपोजर विजिट(50 / समूह)	1	1	50	50	50	0.20	0.20	0.20	0.20
उपयोग	21	2	2200	50	173	50	3.85	0.20	3.73
कुलयोग							24.85	0.20	14.23
									11.95

—:: मैनुअल-12 ::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के बौरे सम्मिलित हैं)

1—जिला योजना— जिला योजना के तहत वर्ष 2018—19 में निम्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को लाभांशित किया गया।

(अ)—बीज उत्पादन/सीड मिनिकिट कार्यक्रम— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर/डोईवाला के लगभग 300 किसानों को लाभांशित करते हुये 1.50 लाख रुपये अनुदान वितरीत किया गया।

(ब)—कृषि रक्षा कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण तथा कीट रोग नियंत्रण योजना— इस योजना के अन्तर्गत कृषि यन्त्रों यथा पावर वीडर, पावर ट्रिलर, वाटर लिप्टिंग पम्प आदि यन्त्रों पर समतुल्य अनुदान वितरित कर जनपद के कुल 1260 कृषकों को लाभांशित करते हुये कुल धनराशि रु0 5.00 लाख (रुपये बारह लाख) मात्र व्यय किया गया।

(स)—सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक/जैव रसायन योजना— इस योजना के अन्तर्गत जनपद के कुल 800 कृषकों को लाभांशित करते हुये कुल धनराशि रु0 1.25 लाख (रुपये तीन लाख) मात्र व्यय किया गया।

2—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)— केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर/डोईवाला को आवंटित धनराशि रु0 1270000.00 (बारह लाख सत्तर हजार मात्र) कार्य योजना के अनुसार कलस्टर, फसल चक आधारित प्रदर्शन दलहन बीज वितरण पौध सुरक्षा कार्यक्रम, रसायन इत्यदि वितरण, मानव चालित स्प्रेयर एवं कृषि यंत्रों का वितरण, कृषक प्रशिक्षण पर 5.36 लाख की धनराशि व्यय की गई।

3—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहू)— केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर/डोईवाला के लिये आवंटित धनराशि रु0 9,16,000 (नौ लाख सोलह हजार मात्र) मात्र में से 8,38,000.00 रुपये को कार्य योजना के अनुसार गेहू बीज वितरण/मृदा प्रबन्धन/फलैक्सी फण्ड/ पर व्यय की गई।

4—सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेसन (एस०एम०ए०एम०)— केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेसन (एस०एम०ए०एम०) के अन्तर्गत प्रशासनिक, फार्म मशीनरी बैंक, ट्रक्टर चालित यंत्रों, एवं कृषि रक्षा यंत्रों पर व्यय करते हुये धनराशि रु0 124.06 लाख (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख छ हजार मात्र) व्यय करते हुये किसानों का लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत धान समूह प्रदर्शन, उन्नतशील धान प्रजातियों का वितरण एवं कृषि रक्षा रसायन, सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण कृषकों को अनुदान पर किया गया है जिसमें प्राप्त आवंटित बजट 12.46 लाख में 6.71 लाख रुपये व्यय किया गया है।

6—नमसा— राष्ट्रीय सम्पोषिण्य मिशन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर के खौरीमानसिह एवं डोईवाला के श्यामपर कलस्टरों में उधान अधारित दुग्ध उत्पादन आधारित, फसल प्रणाली एवं मूल्यवर्धन एवं संशाधन संग्रण का कार्य किया गया है जिसमें प्राप्त आवंटित लगभग बजट 30.00 लाख रुपये के सापेक्ष 19.50 लाख रुपये व्यय किया गया है।

—:: मैनुअल-13 ::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ)

- 1— कार्यक्रम का नाम— बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र निर्गमन।
- 2— प्रकार — अनुज्ञापत्र।
- 3— उद्देश्य— कृषकों को उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता।
- 4— लक्ष्य (विगत वर्षों में)— शून्य
- 5— पात्रता— बीज निबन्धन हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम उर्त्तीण उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र हेतु बी0एस0-सी0 कृषि अथवा बी0एस0-सी0 रसायन विज्ञान या एक वर्षिय कृषि डिप्लोमा से सम्बन्धित कार्यों में रुचि रखता हो।
- 6— पात्रता का आधार— पूर्व अनुभव, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी हो।
- 7— पूर्व अपेक्षाए— अनुभव का विस्तार।
- 8— प्राप्त करने की प्रक्रिया— कीटनाशी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा प्रारूप 6 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। मद 0401008001400 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपया 1500/- एवं शहरी क्षेत्र हेतु रु0-7500/- कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं रसायन आपूर्ति कर्ता फर्मों के अधिकार पत्र, कीटनाशी भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र, सम्बन्धित विकासखण्ड स्थित प्रभारी कृषि रक्षा इकाई की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप 8 में अनुज्ञापत्र पत्र निर्गत किया जाता है।
- उर्वरक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यवसायी को प्रारूप ऐ-1, में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। मद 0401008001400 में रूपया 627.00 कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं उर्वरक आपूर्ति कर्ता फर्मों के अधिकार पत्र, विक्रय स्थल का मानचित्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी, की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप बी, में अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है।
- 9— निर्धारित समय सीमा — पत्रावली पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर।
- 10— आवेदन शुल्क— कीटनाशी विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क रूपया 1500 ग्रामीण रु0-7500 शहरी क्षेत्र के लिए।
उर्वरक अनुज्ञापत्र पत्र हेतु शुल्क रूपया 627.00 समस्त के लिए
- 11— आवेदन पत्र का प्रारूप— बीज अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 52.00 समस्त के लिए
कीटनाशी हेतु प्रारूप VI ।
उर्वरक हेतु — प्रारूप ऐ-1
- 12— संलग्नों की सूची— बीज हेतु — प्रारूप-ए (प्रतीक क)
- लाइसेन्स शुल्क चालान की मूल प्रति
 - आपूर्ति कर्ता फर्मों के अधिकार पत्र
 - भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र।
 - सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी/सहायक कृषि रक्षा अधिकारी की संस्तुति ।
 - शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि हो।
- 13— संलग्नकों का प्रारूप — विभिन्न निर्धारित प्रारूप।
- 14— प्राप्ति कर्ताओं की सूची — सूची संलग्न है।

जनपद स्तर पर:-

जनपद—देहरादून में बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

विकासखण्ड—रायपुर

सरकारी संस्था/सहकारी समिति

1	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	कार्यालय पता— जोगीवाला रिंग रोड, किसान भवन, द्वितीय तल,देहरादून	Uk-DDN-216	06-07-2019	05-07-2022
2	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	कार्यालय पता—सर्वे चौक, विकास भवन परिसर, देहरादून	UA-DDN-222		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,सरोना	न्याय पंग— सरोना, विंख्या—रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-162	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, गुजराड़ा	न्याय पंग— गुंजराड़ा, विंख्या—रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-163	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, अजबपुरखुर्द	न्याय पंग— गुंजराड़ा, विंख्या—रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-164	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सेवलांकला	न्याय पंग— सेवलाकला, विंख्या—रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-165	07-09-2018	06-09-2021
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, थानों	न्याय पंग— थानों, विंख्या—रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-166	07-09-2018	06-09-2021
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, रायपुर	न्याय पंग— रायपुर, विंख्या—रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-167	07-09-2018	06-09-2021
9	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिंग, अजबपुरकलां	बिक्री केन्द्र— जोगीवाला रिंग रोड, निकट साथी वैडिंग प्लाईंट, विंख्या—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-206	27-11-2018	26-11-2021
10	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिंग, सरोना	बिक्री केन्द्र—सहस्त्रधारा बाजार, विंख्या—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-207	27-11-2018	26-11-2021
11	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिंग, गुजराड़ा	गुंजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, विंख्या—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-208	27-11-2018	26-11-2021
12	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिंग, सेवलाकलां	सेवलाकलां, सहारनपुर रोड, माजार, विंख्या—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-209	27-11-2018	26-11-2021
13	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिंग, मियांवाला	मियांवाला, रायपुर रोड, विंख्या—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-210	27-11-2018	26-11-2021
14	बादलघाटी स्वायत्त सहकारिता, मालदेवता	मालदेवता, विंख्या—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-213	12-06-2019	12-06-2022

निजी विक्रेता फर्म

1	शिव भवित नर्सरी व सीड	37, छोटा भारूवाला, क्लेमन्टाइन, देहरादून	Uk-DDN-Seed-160	18-08-2018	17-08-2021
2	सुधा इंटरप्राइजेस	कांवली रोड, चित्रकुट एनव्हेल, 33 देहरादून	Uk-DDN-Seed-158	02-06-2018	01-06-2021
3	निवेदता इंटरप्राइजेस	एमओआई०जी०८३,एम०डी०डी०९० कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	Uk-DDN-Seed-157	10-05-2019	09-05-2022
4	ईनरजी सिस्टम	एमओआई०जी०८३,एम०डी०डी०९० कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	Uk-DDN-Seed-156	10-05-2019	09-05-2022

5	वी0आर0एण्ड कम्पनी	आर./ 25, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	Uk-DDN-Seed-155	07-03-2018	06-03-2021
6	शिव केबलिंग कम्पनी	सी.-127, नेहरू कालोनी, देहरादून	Uk-DDN-Seed-154	07-03-2018	06-03-2021
7	प्रियंका इण्टरप्राइजेस	31, चैटराता रोड से नियर कृष्णा पैलेस वाली गली से गुरु नानक कालेज वाली रोड पर) देहरादून	Uk-DDN-Seed-153	09-02-2018	08-02-2021
8	उत्तरांचल बीज केन्द्र	15-डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून	Uk-DDN-Seed-152	04-01-2018	03-01-2021
9	निधि इण्टरप्राइजेस	35, सहारनपुर चौक, देहरादून	Uk-DDN-Seed-150/1	20-12-2017	19-12-2020
10	राहुल बीज भण्डार	13/ 2 कांवली रोड, नियर सहारनपुर चौक, देहरादून	Uk-DDN-Seed-149	16-09-2017	15-09-2020
11	स्तुति नर्सरी और सीड्स	107— पोस्ट ऑफिस रोड, भारवाला ग्रांट, नियर साक्षी इलेक्ट्रोनिक्स, क्लेमनटाऊन, देहरादून	Uk-DDN-Seed-147	19-09-2017	11-09-2020
12	स्वास्थ्यक इण्टरप्राइजेस	कान्ति कुटीर, वैभव विहार, नवादा, विठ्ठलपुर—रायपुर, देहरादून	Uk-DDN-Seed-145	19-08-2017	18-08-2020
13	सांईराम रिसोर्सेज एण्ड सॉल्यूशन	9 डी० एम०आई०जी०, एम०डी०डी०ए० कालोनी, आई०एस०बी०टी०, देहरादून	Uk-DDN-Seed-144	19-08-2017	18-08-2020
14	सरिता एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइलि०	348, नेहरू कालोनी, देहरादून	Uk-DDN-Seed-138	06-05-2017	05-05-2020
15	सुनिता एग्री केयर	डिजिटल जंक्शन, एच०सी०एल० परिसर, सहारनपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-136	17-11-2016	16-11-2019
16	शारदा ट्रेडिंग कम्पनी	31 चक्खवाला, देहरादून	UA-DDN-133(A)	18-10-2016	17-10-2019
17	सरांश एग्रो सॉल्यूशन	64 गांधी रोड, लक्ष्मी प्लाजा, 115, देहरादून आपोजिट अग्रवाल धर्मशाला	Uk-DDN-Seed-132	27-09-2016	26-09-2019
18	कोची ट्रेड लिंक्स	56, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-DDN-Seed-131	27-09-2016	26-09-2019
19	अर्जुन इण्टरप्राइजेस	14-ए, मोहनी रोड, गुरुद्वारा चौक के पास, देहरादून	Uk-DDN-Seed-130	27-09-2016	26-09-2019
20	करमा एग्रो एण्ड मशीन टूल्स	3, रायपुर ढाल, नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज गेट, थानो रोड	Uk-DDN-Seed-124	22-09-2015	21-09-2018
21	भारत प्रग्रो इक्यूमेंट्स	27—विद्या विहार, फेज—2, कारगी रोड, देहरादून	Uk-DDN-Seed-120	08-10-2015	07-10-2018
22	नैना ट्रेडिंग कम्पनी	ऑफिस पता—429/ 1 निरंजनपुर मण्डी, स्टोर—446, इंदिरा कालोनी, देहरादून	Uk-DDN-Seed-116	25-09-2018	24-09-2021
23	उज्ज्वल लेबर कॉट्रेक्ट को—ऑपरेटिव सोसायटी लि०	1/ 1-ए, शक्ति विहार, माजरा, देहरादून	103/2014	28-04-2014	27-04-2018
24	दून बीज भण्डार	आर्दश मार्केट, नियर पुलिस चैकी पटेल नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-96	19-11-2019	18-11-2024
25	कैशोराम एग्री केयर प्राइलि०	259/ 237 ईस्ट पटेल नगर, गुरु रोड, देहरादून	UK-DDN-Seed-80	04-11-2016	03-11-2019
26	अशोक गुप्ता	मेन बाजार, रायपुर, देहरादून	81/2013	23-02-2013	22-02-2016
27	उत्तरांचल एग्रो सर्विसेस	पायल एनक्लेव, सेवलाकलां, देहरादून	78/2013	04-01-2013	23-01-2016
28	पूर्णिमा ट्रेडर्स	सतीबाग, रायपुर, राजांवाला, देहरादून	77/2012	28-12-2012	27-12-2015

29	नैशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित इण्डिया लि0	24-राम विहार, बल्लूपुर, देहरादून	DDN-Seed-73	15-12-2015	14-12-2018
30	शारदा इण्टरप्राइजेस	निरंजनपुर सब्जी मण्डी, देहरादून	70/2012-13	23-08-2012	22-08-2015
31	परमार खाद बीज भण्डार	नकरौंदा, बालावाला, विठ्ठला-रायपुर, देहरादून	UA-DDN-05/2016	16-03-2016	15-03-2019
32	उत्तराखण्ड हाई ब्रीड सीड्स	दुकान न0-01(ए ब्लाक), नयी सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, देहरादून	UK-DDN-Seed-142	05-06-2017	04-06-2020
33	अजय सीड्स कम्पनी	सी.-30, नयी सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, देहरादून	UK-DDN-Seed-141	05-06-2017	04-06-2020
34	दीपक नर्सरी एण्ड बीज भण्डार	325, खुल्बुडा मौहल्ला, देहरादून	UK-DDN-215	05-07-2019	04-07-2022
35	एस0के0एशोसियेट्स	855, साई बाबा एनकलेव, टी.एच.डी.सी., देहरादून	UA-DDN-223	26-11-2019	25-11-2024
36	मै0 पी0 एण्ड आर0 एशोसिएट्स	प 302 बेस्ट एवेन्यू अपार्टमेंट, बलबीर रोड, देहरादून, व्यवसाय का पता- 97, इण्डिया ट्रेड सेंटर, मधुबन होटल, राजपुर रोड	UA-DDN-Seed-224	27-11-2019	26-11-2024
37	मै0 मन्दाकिनी ट्रेडर्स	948, इन्दिरा नगर, देहरादून	UA-DDN-Seed-225	20-12-2019	19-12-2024
विकासखण्ड—डोईवाला					
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, श्यामपुर	न्याय पं0- श्यामपुर, विठ्ठला-डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-168	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भानियावाला	न्याय पं0- भानियावाला, विठ्ठला-डोईवाला, , देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-169	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, रानीपोखरी	न्याय पं0-रानीपोखरी, विठ्ठला-डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-170	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मारखमग्रांट	न्याय पं0-मारखमग्रांट, विठ्ठला-डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-171	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मियांवाला	न्याय पं0-मियांवाला, विठ्ठला-डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-172	07-09-2018	06-09-2021
6	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, रानीपोखरी	रानीपोखरी, देहरादून	Uk-DDN-211	03-12-2018	02-12-2021
7	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, श्यामपुर	श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून	Uk-DDN-Seed-123	27-11-2018	26-11-2021

निजी विक्रेता फर्म

1	देवभूमि किसान केन्द्र	रेशम माजरी, (हरिद्वार रोड पर रेशम माजरी चौक से अन्दर रोड पर), डोईवाला, देहरादून	Uk-DDN-212	01-06-2019	30-05-2022
2	संतोष किसान केन्द्र	ग्रां0 व पो0-रेशम माजरी, डोईवाला, देहरादून	Uk-DDN-214	01-12-2019	30-11-2022
3	भावेश ट्रेडर्स	प्रेमनगर बाजार, (नियर रेलवे फाटक), डोईवाला, देहरादून	Uk-DDN-Seed-204	01-12-2018	30-11-2021

4	किसान सेवा भण्डार	भानियावाला, हरिद्वार रोड, (निकट श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल), देहरादून	Uk-DDN-Seed-203	14-08-2018	13-08-2021
5	एस0एच0इंटरप्राइजेस	नेपाली फार्म, (निकट कलपतरु आश्रम), ऋषिकेश, देहरादून	Uk-DDN-Seed-150	30-12-2017	29-11-2021
6	एग्रो केयर इंटरप्राइजेस	जौली ग्राण्ट, निकट शिवा कालोनी, भानियावाला, देहरादून	Uk-DDN-Seed-151	30-12-2018	29-11-2022
7	श्री महालक्ष्मी खाद व बीज भण्डार	मिल रोड बाजार, डोईवाला, देहरादून	Uk-DDN-Seed-143	03-08-2017	02-08-2020
8	बिष्ट खाद भण्डार	डोईवाला,(निकट ब्लांक आफिस) देहरादून	UA-DDN-Seed-95	18-11-2019	17-11-2024
9	गोपाल चन्द रयाल खाद, बीज, कीटनाशक भण्डार	छिद्दरवाला, देहरादून	82/2013	23-02-2013	22-02-2016
10	ऑचल एग्रो इंटरप्राइजेस प्राइलि	लाल तप्पड,(निकट गुरुद्वारा रोड), पो0आ०—रेशम माजरी, देहरादून	79/2013	17-01-2013	16-01-2016
11	रायल फार्म	274, आवास विकास कालोनी, मॉ लक्ष्मी निवास, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश, देहरादून	75/2012-13	14-05-2012	13-05-2015
12	एस0एस0खाद भण्डार	भानियावाला, देहरादून	55		
13	सिमरन बीज भण्डार	मेन रोड बाईपास श्यामपुर, रोड, ऋषिकेश, देहरादून	UA-DDN-Seed-226	09-01-2020	08-01-2025
14	सिमरन बीज भण्डार	मेन रोड बाईपास श्यामपुर, रोड, ऋषिकेश, देहरादून	UK-DDN-Seed-53	04-11-2017	03-11-2020
15	चौहान खाद भण्डार	प्रतीतनगर, रायवाला, ऋषिकेश,देहरादून	UA-DDN-14	22-02-2019	21-02-2022
16	मॉ पार्वती एग्रो कैमिकल्स,	श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून	UK-DDN-Seed-98	30-12-2017	29-12-2020
17	श्री कालिका एग्रो	नकराँदा,डोईवाला, देहरादून	UK-DDN-Seed-202	27-08-2018	26-08-2021

विकासखण्ड—सहसपुर

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाइसेंस नम्बर जारी करने की तिथी वैधता तिथी		
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,सहसपुर	न्याय पं०—सहसपुर, विं०ख०—सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-173	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,आमवाला	न्याय पं०—आमवाला, विं०ख०—सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-174	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,भगवंतपुर	न्याय पं०—भगवंतपुर, विं०ख०—सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-175	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,झाझरा	न्याय पं०—झाझरा, विं०ख०—सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-176	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, ईस्टहोपटाऊन	न्याय पं०—ईस्टहोपटाऊन,विं०ख०—सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-177	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,भाऊवाला	न्याय पं०—भाऊवाला, विं०ख०—सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-178	07-09-2018	06-09-2021
7	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिं०, पंडितवाड़ी	पंडितवाड़ी, प्रेमनगर, सहसपुर, देहरादून	Uk-DDN-107	05-01-2019	04-01-2022
निजी विक्रेता फर्म					
1	एल्पार्इन हर्बल हब	ग्राम—बडोवाला, शिमला बाइपास रोड,देहरादून,	Uk-DDN-Seed-159	10-07-2018	09-07-2021

2	एल०बी०एम०एशोसिएट	ग्राम—हरबंसवाला, तेलपुर, पौ०आ०—मेहुवाला,देहरादून,	Uk-DDN-Seed-151	19-0-2018	18-01-2021
3	मधु सीडस सप्लायर्स	79, पंडितवाड़ी, प्रेमनगर	Uk-DDN-135	28-10-2016	27-10-2019
4	फलोरिडा एग्रीकेयर एवं टैक्नोलोजी रिसोर्स सेन्टर	चक्रता मेन रोड,ढाकी, सहसपुर	Uk-DDN-Seed-117	28-09-2015	27-09-2018
5	हनसीन बायो इनफा इण्डिया प्रॉलिं	16-A सांइलोक फेज-1, जी०एम०एस० रोड	115/2015-16	27-05-2015	26-05-2018
6	भूमि ड्रेडर्स	446,इंदिरा कालोनी (गौतम इण्टरनैशनल स्कूल वाली गली में), देहरादून	Uk-DDN-Seed-110	30-12-2017	29-12-2020
7	अनिल कुमार गुप्ता	(थाने के सामने) सहसपुर, देहरादून	UA-DDN-94/2016	07-09-2019	06-09-2024
8	अमित सीडस स्टोर	सहसपुर, शिव मन्दिर के पास, देहरादून	93/2013	09-09-2013	08-09-2016
9	अशीष सीडस स्टोर	सहसपुर, देहरादून	92/2014	09-09-2014	08-09-2017
10	सिंघल सीडस स्टोर	सहसपुर, देहरादून	91/2013	09-09-2013	08-09-2016
11	अंकुर बीज भण्डार	सहसपुर, देहरादून	90/2013	06-09-2013	05-09-2016
12	ओम कृष्ण खाद बीज पैस्टीसाईड भण्डार	मेन रोड,सहसपुर, देहरादून	Uk-DDN-Seed-83	04-11-2016	03-11-2016
विकासखण्ड—विकासनगर					
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,सोरना	न्याय पं०—सोरना, वि०ख०—विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-179	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,लांधा	न्याय पं०—लांधा, वि०ख०—विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-180	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, एनफिल्ड	न्याय पं०—एनफिल्ड, वि०ख०—विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-181	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, धर्मावाला	न्याय पं०—धर्मावाला, वि०ख०—विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-182	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सभावाला	न्याय पं०—सभावाला, वि०ख०—विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-183	07-09-2018	06-09-2021
6	कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,	ढकरानी, पौंटा साहिब रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-DDN-Seed-205	28-12-2018	27-12-2021

निजी विक्रेता फर्म					
1	एग्रो पैस्टीसाईड एण्ड सीडस	वार्ड न०-4, आसनबाग, हरबर्टपुर, देहरादून	Uk-DDN-Seed-148	11-04-2017	10-04-2020
2	बालाजी फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टीसाईड	मण्डी रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-DDN-Seed-133	17-01-2017	16-01-2020
3	पी०आर०इण्टर प्राईजेस	जीवनगढ़, चक्रता रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-DDN-Seed-125	19-11-2019	18-11-2014
4	लक्ष्मी चन्द एण्ड सन्स	वार्ड न०-2, पहाड़ी गली, विकासनगर	111/2015	04-02-2015	03-02-2018
5	शिव एग्री केयर	जस्सोबाला, विकासनगर	109/2014	18-11-2014	17-11-2017

6	मिलन पैस्टीसार्इड	सभावाला, विकासनगर	85/2013		
7	बारुमल ज्ञान प्रकाश जैन	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-72	21-07-2019	20-07-2024
8	अकाश पैस्टीसार्इड एवं खाद बीज भण्डार	लक्ष्मीपुर चौक, बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून	59/2013		
9	ओम पैस्टीसार्इड	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	DDN-Seed-121	19-10-2015	18-10-2018
10	चौहान खाद भण्डार	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	UK-DDN-Seed-104	30-12-2017	29-12-2020
11	उत्तराखण्ड पैस्टीसार्इड	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	UK-DDN-Seed-119	28-09-2018	27-09-2021
12	श्री ओम पैस्टीसार्इड खाद व बीज भण्डार	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	UK-DDN-Seed-140	22-05-2017	21-05-2020
13	उत्तराखण्ड खाद एण्ड बीज स्टोर	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	UK-DDN-Seed-118	28-09-2018	27-09-2021
14	कृषि सेवा केन्द्र	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	UK-DDN-Seed-99	03-08-2017	02-08-2020
15	त्रिमूर्ति प्लांट साइन्सेज प्राप्ति	C/O चौहान बीज भण्डार, मण्डी गेट रोड वकासनगर, देहरादून	UK-DDN-Seed-100	03-08-2018	02-08-2021

विकासखण्ड—कालसी

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाइसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी
----------	-------------	-----	---------------	-------------------	------------

सरकारी संस्था/सहकारी समिति

1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, कालसी	न्याय पं—कालसी, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-184	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, कोटी	न्याय पं—कोटी, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-185	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, खाड़ी	न्याय पं— खाड़ी, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-186	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, नराया	न्याय पं—नराया, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-187	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भंजरा	न्याय पं—भंजरा, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-188	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, उल्पाल्टा	न्याय पं—उल्पाल्टा, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-189	07-09-2018	06-09-2021
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, कोरुवा	न्याय पं—कोरुवा, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-190	07-09-2018	06-09-2021
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, मुन्धान	न्याय पं—मुन्धान, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-191	07-09-2018	06-09-2021
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, डागुरा	न्याय पं— डागुरा, विधायक—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-192	07-09-2018	06-09-2021

विकासखण्ड—चक्ररता

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाइसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, दसऊ	न्याय पं—दसऊ, विधायक—चक्ररता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-193	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, मिण्डाल	न्याय पं—मिण्डाल, विधायक—चक्ररता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-194	07-09-2018	06-09-2021

3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, रंगेऊ	न्याय पं-रंगेऊ, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-195	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, काण्डोई बोन्दर	न्याय पं-काण्डोई बोन्दर, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-196	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, जाडी	न्याय पं-जाडी, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-197	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, बेगी	न्याय पं-बेगी, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-198	07-09-2018	06-09-2021
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भंडौली	न्याय पं-भंडौली, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-199	07-09-2018	06-09-2021
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भुनाड़	न्याय पं-भुनाड़, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-200	07-09-2018	06-09-2021
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, बृनाड़	न्याय पं-बृनाड़, विठ्ठला-चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-DDN-Seed-201	07-09-2018	06-09-2021
निजी विक्रेता फर्म					
1	चौहान फर्टिलाइजर एण्ड पैस्टिसाइड	शिमला रोड, त्यूनी, देहरादून	Uk-DDN-Seed-139	01-03-2017	29-02-2020
2	राणा कीटनाशी बीज भण्डार	ग्राम पो-कौटी कनासर, त्यूनी, चकराता, देहरादून	UA-DDN-133	20-10-2016	19-10-2019
3	रेणुका एग्रीकैयर	18-ए, सदर बाजार, चकराता, देहरादून	114/2014-15	07-02-2015	06-02-2018
4	चौहान एग्रोकैमिकल्स	त्यूनी, चकराता, देहरादून	113/2014-15	06-02-2015	05-02-2018
5	चौहान बीज भण्डार	ग्राम पो-हटाल त्यूनी, चकराता, देहरादून	112/2014-15	06-02-2015	05-02-2018
6	चौहान इण्टरप्राइजेस	त्यूनी, चकराता, देहरादून	UA-DDN-71	01-01-2016	31-12-2018
7	चौहान सन्स इण्टर प्राइजेस	रोटाखण्ड, त्यूनी, चकराता, देहरादून	UA-DDN-221	19-11-2019	18-11-2024

Fertiliser Registration/License Details Business Register

Name of District- Dehradun

S. No.	Name of the establishment/ Owner of Establishment (If no Establishment Name)	Address					Registration/ License No.	License Period
		House no.	Lane/Street/ Name	Locality	Town/ village	District		
1	श्यामपुर किसान सहकारी समिति लि०			श्यामपुर	देहरादून	देहरादून	94/2015	3 years (Date of issue)
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि०, डोईवाला			डोईवाला	डोईवाला	देहरादून	UK-DDN-207/2016	3 years (Date of issue)
3	साधन सेवा सहकारी समिति लि०,			गुजराडा	रायपुर	देहरादून	234/2015	3 years (Date of issue)
4	साधन सेवा सहकारी समिति लि०, रायपुर			रायपुर	देहरादून	देहरादून	181/2014	3 years (Date of issue)
5	सेवलाकलौं किसान सहकारी समिति लि०			सेवलाकलौं	देहरादून	देहरादून	117/2016	3 years (Date of issue)
6	अजबपुर किसान सहकारी समिति लि०			अजबपुर	देहरादून	देहरादून	UA-Fer-208/2017	3 years (Date of issue)
7	सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि०			सहसपुर	सहसपुर	देहरादून	UK-DDN-120/2016	3 years (Date of issue)
8	साधन सहकारी समिति लि०, थानों			थानों	रायपुर	देहरादून	UK-Fer-151/2017	4 years (Date of issue)
9	किसान सेवा सहकारी समिति लि०, हर्बटपुर			हर्बटपुर	देहरादून	देहरादून	UK-DDN-125/2016	3 years (Date of issue)
10	किसान सेवा सहकारी समिति लि०,भानियावाला			भानियावाला	देहरादून	देहरादून	UK-DDN-126/2017	3 years (Date of issue)
11	साधन सेवा सहकारी समिति लि०, भनियावाला			पडितवाडी	देहरादून	देहरादून	222/2014	3 years (Date of issue)
12	विकासनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि०			विकासनगर	देहरादून	देहरादून	UA-Fer-143/2016	3 years (Date of issue)
13	किसान सेवा सहकारी समिति लि०, होरावाला			होरावाला		देहरादून	UA-Fer-206/2016	3 years (Date of issue)
14	विनगर किसान सहकारी समिति लि०, बरोटीवाला			बरोटीवाला	विकासनगर	देहरादून	UA-Fer-144/2017	3 years (Date of issue)
15	भाऊवाला साधन सहकारी समिति लि०			भाऊवाला	देहरादून	देहरादून	UA-Fer-147/2017	3 years (Date of issue)
16	दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, कालसी			कालसी	देहरादून	देहरादून	223/2014	3 years (Date of issue)
17	त्यूनी लैम्पस			त्यूनी	चक्राता	देहरादून	224/2014	4 years (Date of issue)
18	सरोना साधन सहकारी समिति लि०			सरोना	देहरादून	देहरादून	150/2014	3 years (Date of issue)
19	थानो साधन सहकारी समिति लि०			थानो	देहरादून	देहरादून	151/2014	3 years (Date of issue)
20	पौंधा साधन सहकारी समिति लि०			पौंधा	सहसपुर	देहरादून	238/2015	4 years (Date of issue)
21	साधन सहकारी समिति लि०, झाझरा			झाझरा		देहरादून	225/2014	4 years (Date of issue)
22	साधन सहकारी समिति लि०, झाझरा, (बिक्री केन्द्र- सिंहनीवाला)			झाझरा		देहरादून	225/2015	5 years (Date of issue)
23	रानीखेत साधन सहकारी समिति लि०, (बिक्री केन्द्र- भगवानपुर)			भगवानपुर		देहरादून	Uk-Fer-152/2017	3 years (Date of issue)
24	रानीपोखरी साधन सहकारी समिति लि०			रानीपोखरी	डोईवाला	देहरादून	UA-Fer-154/2017	3 years (Date of issue)
25	होरावाला किसान सहकारी समिति लि०, डोबरी रुद्रपुर बिक्री केन्द्र			होरावाला	रायपुर	देहरादून	155/2014	3 years (Date of issue)
26	गडूल साधन सहकारी समिति लि०	गडूल		रायपुर	देहरादून	देहरादून	UA-Fer-156/2017	3 years (Date of issue)
27	भोगपुर साधन सहकारी समिति लि०			भोगपुर	रायपुर	देहरादून	UA-Fer-157/2017	3 years (Date of issue)
28	दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, चक्राता			चक्राता	देहरादून	देहरादून	160/2014	3 years (Date of issue)
29	मागटीपोखरी साधन सहकारी समिति लि०			मागटीपोखरी	कालसी	देहरादून	168/2014	3 years (Date of issue)
30	लुहन दीर्घाकार बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, लवशायर			लुहन	कालसी	देहरादून	244/2015-16	3 years (Date of issue)
31	बिसोई दीर्घाकार बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०,			बिसोई	कालसी	देहरादून	245/2015-16	3 years (Date of issue)

	विसोई							
32	सचिव दीर्घाकार बहुदेशीय सहकारी समिति लि०, कोटी			कोटी	कालसी	देहरादून	177/2014	3 years (Date of issue)
33	सचिव दीर्घाकार बहुदेशीय सहकारी समिति लि०, लाखामण्डल			लाखामण्डल	चक्राता	देहरादून	227/2014	4 years (Date of issue)
34	सहकारी गन्ना समिति लि०, देहरादून	45	सुभाष रोड	भुड़डी	सहसपुर	देहरादून	186/2015-16	3 years (Date of issue)
35	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-भुड़डी			रामपुर	सहसपुर	देहरादून	UA-DDN-187/2010-11	3 years (Date of issue)
36	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-रामपुर			हर्बटपुर	विकासनगर	देहरादून	188/2015-16	3 years (Date of issue)
37	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-हर्बटपुर			तिपरपुर	विकासनगर	देहरादून	189/2015-16	3 years (Date of issue)
38	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-तिपरपुर			डोइवाला	देहरादून	UA-DDN-137/2016	3 years (Date of issue)	
39	सहकारी गन्ना समिति लि०, रायवाला			रायवाला	विकासनगर	देहरादून	UA-DDN-136/2016	3 years (Date of issue)
40	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-रायवाला			माजरी	विकासनगर	देहरादून	UA-DDN-138/2016	3 years (Date of issue)
41	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-माजरी			दृश्यली	डोइवाला	देहरादून	UA-DDN-139/2016	3 years (Date of issue)
42	सहकारी गन्ना समिति लि०, केन्द्र-दृश्यली			त्यूनी	चक्राता	देहरादून	UK-Fer-260/2017	4 years (Date of issue)
43	खत देवधर आजीविका बहुउद्देश्य स्वायत्त सहकारिता, त्यूनी			लक्ष्मयार	कालसी	देहरादून	UK-Fer-264/2017	5 years (Date of issue)
44	उन्नत जौनसार आजीविका बहुउद्देश्य स्वायत्त सहकारिता, डियूडलानी, लक्ष्मयार			हरबर्टपुर	विकासनगर	देहरादून	146/2010-11	3 years (Date of issue)
46	मै० शकुम्भरी ट्रेडिंग कम्पनी, हरबर्टपुर			प्रेमनगर	सहसपुर	देहरादून	99/2010-11	3 years (Date of issue)
47	किसान खाद भण्डार, 6 त्यागी मार्केट, प्रेमनगर			मेन रोड	विकासनगर	देहरादून	114/2011-12	3 years (Date of issue)
48	मै० जगत सिंह भगवन्त सिंह			मेन रोड	सहसपुर	देहरादून	117-2010-11	3 years (Date of issue)
49	मै० गुप्ता ऐजेन्सी			नहर के पास	रायपुर	देहरादून	87/2011-12	3 years (Date of issue)
50	मै० अशोक कुमार गुप्ता			मण्डी गेट	विकासनगर	देहरादून	145/2010-11	3 years (Date of issue)
51	उत्तराखण्ड पेर्सटीसाईड			सहा० रोड	हरबर्टपुर	विकासनगर	98/2009-10	3 years (Date of issue)
52	मै० उत्तराखण्ड खाद भण्डार			मेन रोड	विकासनगर	देहरादून	142/2011-12	3 years (Date of issue)
53	मै० हरियाली, किसान बाजार			पहाड़ी गली	बाबूगढ़	विकासनगर	185/2012-13	3 years (Date of issue)
54	चौहान खाद भण्डार			मेन रोड	सहसपुर	देहरादून	166/2012-13	3 years (Date of issue)
55	दुर्गा खाद भण्डार, सहसपुर			सज्जी मण्डी	देहरादून	देहरादून	106/2012-13	3 years (Date of issue)
56	अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी			मेन रोड	डोइवाला	देहरादून	104/2012-13	3 years (Date of issue)
57	बिष्ट खाद भण्डार,			GMS रोड	देहरादून	देहरादून	82/2012-13	3 years (Date of issue)
58	उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,			मेन रोड	सहिया	कालसी	41/2011-12	3 years (Date of issue)
59	जैन फर्टिलाइजर,			त्यागी मार्केट	प्रेमनगर	देहरादून	113/2010-11	3 years (Date of issue)
60	मै० दून खाद भण्डार,	24		मेन गली	प्रतीतनगर	डोइवाला	105/2011-12	3 years (Date of issue)
61	मै० चौहान खाद भण्डार,			लक्ष्मीपुर चौक	विकासनगर	देहरादून	116/2010-11	3 years (Date of issue)
62	मै० आकाश सीड एवं फर्टिलाइजर,			मेन रोड	विकासनगर	देहरादून	128/2010-11	3 years (Date of issue)
63	बारुमल ज्ञान प्रकाश जैन,			बाई पास	श्यामपुर	डोइवाला	74/2011-12	3 years (Date of issue)
64	मै० मां पार्वती एग्रो कैमिकल,			मेन रोड	सहसपुर	देहरादून	112/2011-12	3 years (Date of issue)
65	मै० ओम कृष्ण पेर्सटी० एवं बीज भण्डार							

66	मैं0 शर्मा खाद भण्डार,		मेन रोड	अम्बाडी	विकासनगर	देहरादून	194/2012-13	3 years (Date of issue)
67	किसान खाद भण्डार,		मरिजद के पास	ढकरानी	विकासनगर	देहरादून	165/2011-12	3 years (Date of issue)
68	मैं0 सैनी खाद भण्डार,			धर्मावाला चौक	विकासनगर	देहरादून	192/2011-12	3 years (Date of issue)
69	किसान खाद बीज भण्डार,		शिमला बाई0	बद्रीपुर	विकासनगर	देहरादून	195/2012-13	3 years (Date of issue)
70	प्रो0 इन्टरप्राइजेज, (विचित्र सिंह)				डोईवाला	देहरादून	193/2012-13	3 years (Date of issue)
71	मैं0 लिबर्टी फासफेट	27	आढत बाजार		देहरादून	देहरादून	184/2012-13	3 years (Date of issue)
72	मैं0 सैनिक खाद भण्डार		छिद्रवाला		डोईवाला	देहरादून	183/2012-13	3 years (Date of issue)
73	प्रो0 धर्मेन्द्र सिंह कुशवाहा		रेंज के पास		सहसपुर	देहरादून	182/2012-13	3 years (Date of issue)
74	मैं0 रवि पेस्टीसाइड्स लि0	19	न्यू मण्डी		मुनगर	देहरादून	172/2012-13	3 years (Date of issue)
75	मैं0 कस्तूरी एग्रो बायोफर्टिलाइजरेस		वसन्त विहार		देहरादून	देहरादून	175/2012-13	3 years (Date of issue)
76	मैं0 महालक्ष्मी खाद बीज भण्डार		मिल रोड		डोईवाला	देहरादून	176/2012-13	3 years (Date of issue)
77	मैं0 मिलन पैस्टिसाइड्स				सभावाला	देहरादून	178/2012-13	3 years (Date of issue)
78	मैं0 आर0बी0 फर्टिलाइजरेस		शास्त्रीनगर		देहरादून	देहरादून	179/2012-13	3 years (Date of issue)
79	मैं0 नौटियाल पैस्टिसाइड्स		रुद्रपुर चौक		विकासनगर	देहरादून	124/2010-11	3 years (Date of issue)
80	मैं0 राम सिंह असनाक सिंह		नहर के पास	नकरौंदा	रायपुर	देहरादून	107/2011-12	3 years (Date of issue)
81	मैं0 पाल खाद भण्डार		मन्दिर के पास	मेहूवाला	सहसपुर	देहरादून	108/2011-12	3 years (Date of issue)
82	मैं0 एस0एस0 खाद भण्डार		मेन बाजार		भानियावाला	देहरादून	109/2010-11	3 years (Date of issue)
83	मैं0 सिमरन बीज भण्डार, मेन रोड बाईपास श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून		श्यामपुर	ऋषिकेश	ऋषिकेश	देहरादून	102/2009-10	3 years (Date of issue)
84	मैं0 धीमान खाद भण्डार			जस्सोवाला	जस्सोवाला	देहरादून	111/2010-11	3 years (Date of issue)
85	मैं0 वर्धमान फर्टिलाइजर एवं सीड्स प्रा0लि0	817	इन्द्रानगर	न्यू फारेस्ट		देहरादून	115/2010-11	3 years (Date of issue)
86	मैं0 चौहान खाद भण्डार		पुरोडिनया	चक्राता	टगरी बुनावा	देहरादून	129/2010-11	3 years (Date of issue)
87	मैं0 कृषि सेवा केन्द्र मण्डी गेट विकासनगर				विकासनगर	देहरादून	153/2010-11	3 years (Date of issue)
88	मैं0 अली खाद भण्डार				केदारवाला	देहरादून	196/2012-13	3 years (Date of issue)
89	मैं0 सील बायोटेक लि0	8	महाराजा सॉपिंग		माजरा	देहरादून	200/2012-13	3 years (Date of issue)
90	मैं0 केशोराम एग्रीकेयर प्रा0लि0	8	महाराजा सॉपिंग		माजरा	देहरादून	201/2012-13	3 years (Date of issue)
91	मैं0 गोपाल चन्द्र रयाल खाद बीज भण्डार			ऋषिकेश	छिद्रवाला	देहरादून	202/2012-13	3 years (Date of issue)

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून, विकासखण्डः— रायपुर						
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	
सरकारी संस्था/सहकारी समिति						
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सरोना	न्याय पं०— सरोना, विठ्ठलपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-290	07-09-2018	06-09-2021	
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, गुजराड़ा	न्याय पं०— गुंजराड़ा, विठ्ठलपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-291	07-09-2018	06-09-2021	
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, अजबपुरखुर्द	न्याय पं०— गुंजराड़ा, विठ्ठलपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-292	07-09-2018	06-09-2021	
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सेवलांकला	न्याय पं०— सेवलांकला, विठ्ठलपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-293	07-09-2018	06-09-2021	
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, थानों	न्याय पं०— थानों, विठ्ठलपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-294	07-09-2018	06-09-2021	
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, रायपुर	न्याय पं०— रायपुर, विठ्ठलपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-295	07-09-2018	06-09-2021	
7	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि०, अजबपुरकलां	बिक्री केन्द्र— जोगीवाला रिंग रोड, निकट साथी वैंडिंग प्लाईट, विठ्ठलपुर, देहरादून	Uk-Fer-208	24-01-2017	23-01-2020	
8	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, सरोना	बिक्री केन्द्र—सहस्रधारा बाजार, विठ्ठलपुर, देहरादून				
9	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, गुजराड़ा	गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड, विठ्ठलपुर, देहरादून				
10	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि०, सेवलांकला०	सेवलांकला०, सहारनपुर रोड, माजरा, विठ्ठलपुर, देहरादून	Uk-Fer-117	28-06-2019	27-06-2022	
11	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि०, मियांवाला०	मियांवाला, रायपुर रोड, विठ्ठलपुर, देहरादून	Uk-Fer-209	09-07-2019	08-07-2022	
12	बादलघाटी स्वायत्त सहकारिता, मालदेवता०	मालदेवता, विठ्ठलपुर, देहरादून	Uk-Fer-342	16-02-2019	15-02-2022	
13	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-186	10-05-2018	09-05-2021	
14		45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-187	10-05-2019	09-05-2022	
15	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-188	10-05-2020	09-05-2023	
16	सुमाझी कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि०	180, डौभालवाला, देहरादून	Uk-Fer-334	24-01-2019	23-01-2022	
17	शिवम कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि०	201, अजबपुरकलां, देहरादून	Uk-Fer-335	24-01-2019	23-01-2022	
18	दूनघाटी कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि०	90, अजबपुरकलां, देहरादून	Uk-Fer-337	24-01-2019	23-01-2020	
19	त्रिवेणी कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि०	ऋषिकेश, देहरादून	Uk-Fer-333	24-01-2019	23-01-2022	
20	सचिव महिला उपभोक्ता साधन सहकारी समिति लि०	बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून	Uk-Fer-339	12-02-2019	11-02-2022	
21	सचिव श्री गणपति श्रम संविदा सहकारी समिति लि०	50, गांधी रोड, देहरादून	Uk-Fer-340	12-02-2019	11-02-2022	

22	सचिव पर्वतीय परिवहन सहकारी समिति लि०	41 सी० १२, राजपुर रोड	Uk-Fer-341	12-02-2019	11-02-2022
23	राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको	राज्य कार्यालय-२ / १० काली मन्दिर इन्हलेव, जी०एम०एस०रोड, देहरादून	Uk-Fer-162	17-02-2017	16-02-2020
24	प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०	125, ओल्ड नेहरु कालोनी, देहरादून	Uk-Fer-174	15-03-2017	14-03-2020
25	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-186	10-05-2018	09-05-2021
26	सचिव द्वाण कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	मोहकमपुर, देहरादून	Uk-Fer-271	18-05-2018	17-05-2021
27	सचिव दून कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	राजपुर रोड, देहरादून	Uk-Fer-272	18-05-2018	17-05-2021
28	सचिव आसन कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	50, गांधी रोड, देहरादून	Uk-Fer-273	18-05-2018	17-05-2021
29	सचिव माजरा कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	वैस्ट कैनाल रोड, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	Uk-Fer-274	18-05-2018	17-05-2021
30	सचिव साँई कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	कांवली, देहरादून	Uk-Fer-275	18-05-2018	17-05-2021
31	सचिव साँई कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	61 सी०, राजपुर रोड, देहरादून	Uk-Fer-276	18-05-2018	17-05-2021
32	सचिव साँई कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि०	मोहकमपुर, देहरादून	Uk-Fer-277	18-05-2018	17-05-2021

निजी विक्रेता फर्म

1	निवेदता इण्टरप्राइजेस	आफिस पता— श्री राम कम्प्यूटर, नियर विधान सभा चौक, एम०आई०जी०-८३, एम०डी०डी०ए० कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	Uk-Fer-282	18-06-2018	17-06-2021
2	इनरजी सिस्टम	एम०आई०जी०-८३, एम०डी०डी०ए० कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	Uk-Fer-280	02-06-2018	01-06-2021
3	निधी इण्टरप्राइजेस	35, सहारनपुर चौक, देहरादून	Uk-Fer-158	27-03-2017	26-03-2020
4	सरांश एग्रो सॉल्यूशन	64 गांधी रोड, लक्ष्मी प्लाजा, 115, देहरादून आपेजिट अग्रवाल धर्मशाला	Ua-Fer-253	27-09-2016	26-09-2019
5	कोची ट्रेड लिंक्स	56, सुभाष रोड, देहरादून	UA-Fer-251	27-09-2019	26-09-2024
6	अर्जुन इण्टरप्राइजेस	14-ए, मोहनी रोड, गुरुद्वारा चौक के पास, देहरादून	UA-Fer-252	27-09-2019	26-09-2024
7	सुनिता एग्रीकेयर	डिजिटल जंक्शन, 354 जी ग्राउंड फ्लोर, निरंजनपुर	Uk-Fer-262	27-03-2017	26-03-2020
8	भूमि ट्रेडर्स	446, इन्दिरा नगर कालोनी, देहरादून	Uk-Fer-231	30-12-2017	29-12-2020
9	नैना ट्रेडिंग कम्पनी	ऑफिस पता—४२९ / १ निरंजनपुर मण्डी, स्टोर-४४६, इन्दिरा कालोनी, देहरादून	Uk-Fer-263	27-03-2017	26-03-2020
10	सुधा इण्टरप्राइजेस	33 चित्रकुट एकलेव, देहरादून	UK-Fer-279	02-06-2018	01-06-2021
11	श्री इण्टर प्राइजेज	820 नियर रितु चैम्बर, सिरमोर प्लाजा, कौलागढ़ रोड, देहरादून	Uk-FEr267	12-09-2017	11-09-2020
12	कैशोराम एग्री केयर प्राप्तिलि०	259 / २३७ ईस्ट पटेल नगर, गुरु रोड, देहरादून	UK-DDN-Fer-201	04-11-2016	03-11-2019
13	कैशोराम एग्री केयर प्राप्तिलि०	259 / २३७ ईस्ट पटेल नगर, गुरु रोड, देहरादून	UK-Fer-106	10-04-2018	09-04-2021
14	एस०के०एशोसियेट्स	855, साँई बाबा एनकलेव, टी.एच.डी.सी., देहरादून	Uk-Fer-348	26-11-2019	25-11-2024
15	मै० मन्दाकिनी ट्रेडर्स	948, इन्दिरा नगर, देहरादून	Uk-351	20-12-2019	19-12-2024
16	एलपाईन हर्बल हब	बड़ोयाला, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	Uk-Fer-283	10-07-2018	09-07-2021
17	एडवांस क्राप केयर इण्डिया प्राप्तिलि०	ए-५८, ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून	Uk-Fer-349	18-12-2019	17-12-2024
18	वरुण फर्टिलाइजर्स प्राप्तिलि०	ए-५८ बेसमैट, ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून	Uk-Fer-350	18-12-2019	17-12-2024

19	नर्मदा बायो कैम लि�0	382, चाणक्य रोड, सुभाष नगर, वलेमनटाऊन, देहरादून	UK-352	08-01-2020	07-01-2025
20	रिचफिल्ड फर्टिलाइजर प्राप्तिलि0	162 लोअर नेहरुग्राम, देहरादून	Uk-Fer-257	30-01-2017	29-01-2020
21	सारांश एग्रो सॉल्यूशन,	64, गांधी रोड, 115 लक्ष्मी प्लाजा, देहरादून	UA-Fer-253	26-09-2016	25-09-2019
22	गुप्ता खाद भण्डार	रायपुर, देहरादून	Uk-Fer-258	11-04-2017	10-04-2020
23	वैस्टीज मार्केटिंग प्राप्तिलि0	102, क्रिएशन टॉवर, चक्राता रोड	UK-Fer-270	05-02-2018	04-02-2021

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून विकासखण्ड डोईवाला					
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि	वैधता तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, श्यामपुर	न्याय पं0— श्यामपुर, विठ्ठली—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-296	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भानियावाला	न्याय पं0— भानियावाला, विठ्ठली—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-298	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, रानीपोखरी	न्याय पं0—रानीपोखरी, विठ्ठली—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-297	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, मारखमग्रांट	न्याय पं0—मारखमग्रांट, विठ्ठली—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-299	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, मियांवाला	न्याय पं0—मियांवाला, विठ्ठली—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-300	07-09-2018	06-09-2021
6	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, डोईवाला	डोईवाला, देहरादून	Uk-DDN-207	18-07-2019	17-07-2022
7	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, थानों	थानों, डोईवाला	Uk-Fer-151	06-09-2017	05-09-2020
8	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, रानीपोखरी	रानीपोखरी, देहरादून	Uk-Fer-154	19-01-2017	18-01-2020
9	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, ऋषिकेश	ऋषिकेश, देहरादून	Uk-Fer-94	27-11-2018	26-11-2021
10	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, भानियावाला	भानियावाला, डोईवाला, देहरादून	Uk-Fer-126	01-08-2019	31-07-2022
11	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, भोगपुर	भोगपुर, डोईवाला	Uk-Fer-157	05-07-2017	04-07-2020
12	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, गड्ढल	गड्ढल, डोईवाला	Uk-Fer-156	05-07-2017	04-07-2020
13	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-188	10-05-2018	09-05-2021
14	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला (बिक्री केन्द्र—रायवाला)	(बिक्री) डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-136	19-09-2019	18-09-2024

15	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला केन्द्र—डोईवाला)	(बिक्री	डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-137	19-09-2019	18-09-2024
16	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला केन्द्र—माजरी)	(बिक्री	डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-138	19-09-2019	18-09-2024
17	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला केन्द्र—दूधली)	(बिक्री	डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-139	19-09-2019	18-09-2024
निजी विक्रेता फर्म						
1	देवभूमि किसान केन्द्र	रेशम माजरी, (हरिद्वार रोड पर रेशम माजरी चौक से अन्दर रोड पर), डोईवाला, देहरादून	Uk-Fer-342	16-02-2019	15-02-2022	
2	संतोष किसान केन्द्र	ग्रा0 व पो0—रेशम माजरी, डोईवाला, देहरादून	Uk-Fer-344	13-06-2019	12-06-2022	
3	भावेश ट्रेडर्स	प्रेमनगर बाजार, (नियर रेलवे फाटक), डोईवाला, देहरादून	Uk-Fer-338	01-12-2018	30-11-2021	
4	किसान सेवा केन्द्र	छिद्रवाला, डोईवाला, देहरादून	Uk-Fer-285	25-07-2018	24-07-2021	
5	किसान सेवा भण्डार	भानियावाला, हरिद्वार रोड, (निकट श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल), देहरादून	Uk-Fer-287	14-08-2018	13-08-2021	
6	एस0एच0इंटरप्राइजेस	नेपाली फार्म, (निकट कलपतरु आश्रम), ऋषिकेश, देहरादून		30-12-2017	29-11-2021	
7	एग्रो एजेन्सीज	श्यामपुर, ऋषिकेश	UK-Fer-221	11-08-2017	10-08-2021	
8	एग्रो केयर इंटरप्राइजेस	जौली ग्राण्ट, निकट शिवा कालोनी, भानियावाला, देहरादून	Uk-Fer-265	08-08-2017	27-08-2020	
9	श्री महालक्ष्मी खाद व बीज भण्डार	मिल रोड बाजार, डोईवाला, देहरादून	Uk-Fer-176	03-08-2017	02-08-2020	
10	बिष्ट खाद भण्डार	डोईवाला,(निकट ब्लांक आफिस) देहरादून	Uk-Fer-104	01-09-2018	31-08-2021	
11	गोपाल चन्द रयाल खाद, बीज, कीटनाशक भण्डार	छिद्रवाला, देहरादून	82/2013	23-02-2013	22-02-2016	
12	ऑचल एग्रो इंटरप्राइजेस प्रा0लि0	लाल तप्पड,(निकट गुरुद्वारा रोड), पो0ओ0—रेशम माजरी, देहरादून	79/2013	17-01-2013	16-01-2016	
13	रायल फार्मा	274, आवास विकास कालोनी, मॉ लक्ष्मी निवास, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश, देहरादून	75/2012-13	14-05-2012	13-05-2015	
14	एस0एस0खाद भण्डार	भानियावाला, देहरादून	55			
15	सिमरन बीज भण्डार	मेन रोड बाईपास श्यामपुर, रोड, ऋषिकेश, देहरादून	Uk-Fer-101	10-05-2018	09-05-2021	
16	चौहान खाद भण्डार	प्रतीतनगर, रायवाला, ऋषिकेश, देहरादून	Uk-Fer-105	10-05-2018	09-05-2021	
17	मॉ पार्वती एग्रो कैमिकल्स,	श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून	Uk-Fer-214	15-02-2018	14-02-2021	
18	श्री कालिका एग्रो	नकरौदा, डोईवाला, देहरादून	UK-Fer-330	27-08-2018	26-08-2021	
19	स्वाति किसान केन्द्र	डोईवाला, देहरादून	UK-Fer-257(1)	27-08-2019	26-08-2022	

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून					विकासखण्ड—सहसपुर
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि	वैधता तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, सहसपुर	न्याय पं0—सहसपुर, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-301	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, आमवाला	न्याय पं0—आमवाला, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-302	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भगवंतपुर	न्याय पं0—भगवंतपुर, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-303	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, झाझरा	न्याय पं0—झाझरा, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-304	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, इस्टहोपटाऊन	न्याय पं0—इस्टहोपटाऊन, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-305	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भाऊवाला	न्याय पं0—भाऊवाला, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-306	07-09-2018	06-09-2021
7	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, नाथुवाला, पोलियो	नाथुवाला, पोलियो, वि0ख0—सहसपुर, देहरादून	UK-Fer-211	28-02-2018	27-02-2021
8	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, पडितवाड़ी (बिक्री केन्द्र—बनियावाला, प्रेमनगर)	बनियावाला, प्रेमनगर, सहसपुर,	Uk-Fer-222	05-01-2019	04-01-2022
9	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, सहसपुर	सहसपुर, देहरादून	Uk-Fer-120	06-05-2019	05-05-2022
10					
11	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून, (बिक्री केन्द्र—तिपरपुर)	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-190	10-05-2018	09-05-2021
12	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून, (बिक्री केन्द्र—रामपुर)	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-188	10-05-2018	09-05-2021
13	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, भगवंतपुर	भगवंतपुर, सहसपुर	UK-Fer-152	06-09-2017	05-09-2020
14	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, होरावाला (बिक्री केन्द्र—रुद्रपुर)	होरावाला, सहसपुर	UK-Fer-155	25-09-2017	24-09-2020

15	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, झाझरा	झाझरा, सहसपुर	UK-Fer-225	08-12-2017	07-12-2020
16	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, झाझरा (बिक्री केन्द्र- सिंहनीवाला)	झाझरा, सहसपुर	UK-Fer-206	08-12-2017	07-12-2020

नियो विक्रेता फर्म

1	देहरादून वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि०	ग्रा०-शीशमबाड़ा, पो०३१०-शेरपुर, नियर जी० हिमागिरी यूनिवर्सिटी	Uk-Fer-331	07-12-2018	06-12-2021
2	देहरादून वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि०	ग्रा०-शीशमबाड़ा, पो०३१०-शेरपुर, नियर जी० हिमागिरी यूनिवर्सिटी	Uk-Fer-332	07-12-2018	06-12-2021
3	एल्पाईन हर्बल हब	ग्राम-बड़ोवाला, शिमला बाइपास रोड, देहरादून,		10-07-2018	09-07-2021
4	एल०बी०एम०एशोसिएट	ग्राम-हरबंसवाला, तेलपुर, पौ०३१०-मेहुवाला, देहरादून,	Uk-Fer-269	19-01-2018	18-01-2021
7	हनसीन बायो इनफा इण्डिया प्रा०लि०	16-A सांइलोक फेज-1, जी०एम०एस० रोड	115/2015-16	27-05-2015	26-05-2018
10	ओम कृष्ण खाद भण्डार	मेन रोड, सहसपुर, देहरादून	Uk-Fer-212	04-06-2018	03-06-2021
11	गुप्ता बीज भण्डार,	तिपरपुर, सभावाला	Uk-Fer-286	03-08-2018	02-08-2021
12	दून खाद भण्डार	मेन मार्किट, प्रेमनगर, देहरादून	Uk-Fer-113	31-12-2019	30-12-2024

जनपद- देहरादून विकासखण्ड विकासनगर

क्र.सं.	फर्म का नाम	पता	लाइसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी
सरकारी संस्था/ सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, सोरना	न्याय पं०-सोरना, विंख०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-307	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, लांघा	न्याय पं०-लांघा, विंख०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-308	07-09-2018
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, एनफिल्ड	न्याय पं०-एनफिल्ड, विंख०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-309	07-09-2018
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, धर्मावाला	न्याय पं०-धर्मावाला, विंख०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-310	07-09-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, सभावाला	न्याय पं०-सभावाला, विंख०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-311	07-09-2018
7	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, देहरादून, (बिक्री केन्द्र-हरबर्टपुर)	45, सुभाष रोड, देहरादून	Uk-Fer-189	10-05-2018

बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि०, हरबर्टपुर	हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-125	12-03-2019
--	-------------------------------	------------	------------

बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0,विकासनगर	विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-143	24-08-2019
बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, विकासनगर (बिप्री केन्द्र-बरोटीवाला)	विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-268	26-05-2017

निजी विक्रेता फर्म

1	एग्रो पैस्टीसाईड एण्ड सीडस	वार्ड न0-4, आसनबाग, हरबर्टपुर, देहरादून	Uk-Fer-266	11-04-2017
2	बालाजी फर्टिलाइजर एण्ड पैस्टीसाईड	मण्डी रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-255	17-01-2017
3	पी0आर0इण्टर प्राईजेस	जीवनगढ़, चक्राता रोड, विकासनगर, देहरादून		
5	शिव एग्री केयर	जस्सोवाला, विकासनगर	109/2014	18-11-2014
6	मिलन पैस्टीसाईड	सभावाला, विकासनगर		
7	बारुमल ज्ञान प्रकाश जैन	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-128	21-07-2019
8	अकाश पैस्टीसाईड एवं खाद बीज भण्डार	लक्ष्मीपुर चौक, बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून		
9	ओम पैस्टीसाईड	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-212	04-06-2018
10	चौहान खाद भण्डार	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-161	30-12-2017
11	उत्तराखण्ड पैस्टीसाईड	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-97	16-05-2018
12	श्री ओम पैस्टीसाईड खाद व बीज भण्डार	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-261	22-05-2017
13	उत्तराखण्ड खाद एण्ड बीज स्टोर	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	Uk-Fer-98	16-05-2018
14	शर्मा खाद बीज भण्डार	अम्बाड़ी, विकासनगर	UK-Fer-246	03-07-2018
15	हरिओम खाद भण्डार	बरोटीवाला, विकासनगर	Uk-Fer-217	01-01-2016

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद- देहरादून					विकासखण्ड-कालसी
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि	वैधता तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					

1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, कालसी	न्याय पं-कालसी, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-312	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, कोटी	न्याय पं-कोटी, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-313	07-09-2018	06-09-2021
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, खाड़ी	न्याय पं- खाड़ी, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-314	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, नराया	न्याय पं-नराया, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-315	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भंजरा	न्याय पं-भंजरा, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-316	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, उल्पाल्टा	न्याय पं-उल्पाल्टा, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-317	07-09-2018	06-09-2021
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, कोरुवा	न्याय पं-कोरुवा, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-318	07-09-2018	06-09-2021
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मुन्धान	न्याय पं-मुन्धान, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-319	07-09-2018	06-09-2021
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, डागुरा	न्याय पं- डागुरा, विझो-कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-320	07-09-2018	06-09-2021
बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति लि0, कालसी					
बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति लि0, कोटी					
बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति लि0, सहिया					
उन्नत जौनसार आजीविका बहुउद्देशीय स्वात्त्व सहकारिता					
निजी विक्रेता फर्म					
1	पारसनाथ ड्रेडर्स	साहिया, कालसी, देहरादून	Uk-Fer-284	25-07-2018	24-05-2021

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद- देहरादून			विकासखण्ड-चक्रराता		
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि	वैधता तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, दसऊ	न्याय पं-दसऊ, विझो-चक्रराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-321	07-09-2018	06-09-2021
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मिण्डाल	न्याय पं-मिण्डाल, विझो-चक्रराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	Uk-Fer-322	07-09-2018	06-09-2021

3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, रंगोल	न्याय पं०-रंगेऊ, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-323	07-09-2018	06-09-2021
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, काण्डोई बोन्दर	न्याय पं०-काण्डोई बोन्दर, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-324	07-09-2018	06-09-2021
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, जाड़ी	न्याय पं०-जाड़ी, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-325	07-09-2018	06-09-2021
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, बेर्गी	न्याय पं०-बेर्गी, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-326	07-09-2018	06-09-2021
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भंडौली	न्याय पं०-भंडौली, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-327	07-09-2018	06-09-2021
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भुनाड़	न्याय पं०-भुनाड़, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-328	07-09-2018	06-09-2021
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, बृनाड़	न्याय पं०-बृनाड़, विझ०-चक्राता, देहरादून, उत्तराखण्ड	Uk-Fer-329	07-09-2018	06-09-2021
	जनशक्ति आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता	अटाल, चक्राता	UK-Fer-288	23-08-2018	22-08-2021
	खत देवधर आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UK-Fer-260	05-07-2017	04-07-2020

निजी विक्रेता फर्म

1	चौहान फर्टिलाइजर एण्ड पैस्टिसाईड	शिमला रोड, त्यूनी, देहरादून	Uk-Fer-259	01-03-2017	29-02-2020
2	राणा कीटनाशी बीज भण्डार	ग्रा० व पो०-कोटी कनासर, त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-133	20-10-2016	19-10-2019
3	रेणुका एग्रीकैयर	18-ए, सदर बाजार, चक्राता, देहरादून	114/2014-15	07-02-2015	06-02-2018
4	चौहान एग्रोकैमिकल्स	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	113/2014-15	06-02-2015	05-02-2018
5	चौहान बीज भण्डार	ग्रा० व पो०-हटाल त्यूनी, चक्राता, देहरादून	112/2014-15	06-02-2015	05-02-2018
6	चौहान इंटरप्राईजेस	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	Uk-DDN-Fer-254	16-12-2016	15-12-2019
7	चौहान सन्स इंटर प्राईजेस	रोटाखण्ड, त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-221	19-11-2019	18-11-2024

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून				
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सरोना	न्याय पं०— सरोना, विंखो—रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-753	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, गुजराड़ा	याय पं०— गुजराड़ा, विंखो—रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-754	07-09-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, अजबपुरखुर्द	याय पं०— गुजराड़ा, विंखो—रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-219	07-09-2018
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सेवलांकला	याय पं०— सेवलांकला, विंखो—रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-755	07-09-2018
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, थानों	न्याय पं०— थानों, विंखो—रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-756	01-01-2018
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, रायपुर	न्याय पं०— रायपुर, विंखो—रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-757	07-09-2020
9	सहकारी गन्ना विकास समिति लि०	45, सुभाष रोड, देहरादून	UA-DDN-83	27-12-2001
11	बादलघाटी स्वायत्त सहकारिता, मालदेवता	मालदेवता, विंखो—रायपुर, देहरादून	UA-DDN-773	12-06-2019
निजी विक्रेता फर्म				
1	वी०केयर पैस्ट कंट्रोल, प्रोफेशनल	नैशविला रोड, देहरादून	UA-DDN-703	10-03-2016
2	आर०वी०पैस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सर्विस	म०१०—९५९, इंदिरा नगर, सीमा द्वार, देहरादून	UA-DDN-731	09-06-2017
3	यूनिपैक इंटरप्राइजेज	72 केशव विहार, जी०एम०एस० रोड, देहरादून	UA-DDN-732	25-07-2017
4	अस्थिका स्टोर	पल्टन बाजार, देहरादून	UA-DDN-339	27-12-2002
5	लाल ब्रदर्स	35 आढत बाजार, सहारनपुर चौक	UA-DDN-132	26-12-2002
6	निधि इंटर प्राइजेस	36 आढत बाजार, सहारनपुर चौक	UA-DDN-449	31-12-2001
7	मुरलीमल रामदास शाह	123 पल्टन बाजार, देहरादून	UA-DDN-256	31-03-2003
8	नवभारत ट्रेडर्स	आढत बाजार, सहारनपुर रोड	UA-DDN-728	31-12-2002
9	कृषि सेवा	सब्जी मण्डी चौक, ३४ निरजनपुर	UA-DDN-550	26-12-2002
10	मैकानू एजेन्सी पैस्ट कंट्रोल सर्विस	नारायण विहार, कारगी रोड, देहरादून	UA-DDN-702	29-02-2016
11	एशियन पेन्ट्स लि०	एच.सी.एल. कम्पाऊड, निरंजनपुर, देहरादून	UA-DDN-734	28-08-2017
12	रावत ट्रेडिंग कम्पनी	५१३, न्यू कैट रोड, देहरादून	UA-DDN-711	18-10-2016
13	क्वालटी हार्डवेयर	१२ गांधी रोड, देहरादून	UA-DDN-553	31-12-2002

14	मै0 हिम ट्रेडर्स	ल0न0-2, विष्णुपुरम, मोथरोवाला, देहरादून	UA-DDN-712	18-10-2016
15	सनी इंटरनैशनल	55, डिएप्नसरी रोड, देहरादून	UA-DDN-748	25-07-2018
16	हुरला हार्डवेयर	190, धर्मपुर	UA-DDN-574	01-01-2004
17	महावर सैल्स कारपोरेशन	शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून	UA-DDN-587	01-01-2004
18	पुनीत महावर हार्डवेयर	पडितवाड़ी, देहरादून	UA-DDN-658	15-05-2002
19	शुभम इंटरप्राइजेस	जोगीवाला, देहरादून	UA-DDN-09	01-05-2003
20	भूमि ट्रेडर्स	446, इंदिरा नगर कालोनी, देहरादून	UA-DDN-746	02-06-2018
21	इंपडोर्जर्मन सार्टिफिक रिसर्च इंस्टीयूट	उत्तराखण्ड कॉम्पैक्स, नियर विधान सभा चौक, हरिद्वार रोड, देहरादून	UA-DDN-638	01-01-2003
22	सैवन गोल्ड स्टोन(पैस्ट वॉरियर्स)	7-सी. लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून	UA-DDN-639	01-01-2004
23	पैस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन एण्ड मैनेजमेंट	राजीव गांधी कालोनी, ल0न0-9, विजय पार्क, देहरादून	UA-DDN-760	18-09-2018
24	दीमक नाशक केन्द्र	30, आढ़त बाजार, देहरादून	UA-DDN-109	04-03-2008
25	एक्सपर्ट पैस्ट कंट्रोल	300-डी वीर गबर सिंह मार्ग	UA-DDN-779	04-03-2009
26	पैस्ट कंट्रोल कैमिकल्स एण्ड सर्विस	38, आढ़त बाजार, सहारनपुर चौक	UA-DDN-88	25-10-2006
27	पैस्ट कंट्रोल आप्टीमा	बल्लीवाला चौक, देहरादून	UA-DDN-87	25-10-2006
28	पैस्ट कंट्रोल सर्विस	किशननगर, देहरादून	UA-DDN-86	25-10-2006
29	स्वीटी पैस्ट कंट्रोल	नया गांव, हरीपुर, कांवली	UA-DDN-85	13-09-2006
30	बालाजी पैस्ट कंट्रोल	1 / 8, नैशविला रोड, देहरादून रोड	UA-DDN-84	05-09-2006
31	एरन वाटर प्रोफिंग एंड पैस्ट कंट्रोल	274, शशि विहार, गोविन्दगढ़, देहरादून	UA-DDN-82	04-09-2006
32	दून पैस्ट कंट्रोल कम्पनी	डिमरी निवास, तरुण विहार, लेन न0-2, बंजारावाला	UA-DDN-231	16-02-2015
33	पैस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल	ए आकाशदीप कालोनी, नवीन फर्नीचर के पास, चक्राता रोड, देहरादून	UA-DDN-228	30-01-2015
34	सनी इंटरनैशनल	96 / 1, पटेल नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-747	25-07-2018
35	ग्रीन अर्थ पैस्ट कंट्रोल सर्विस	लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-234	24-03-2015
36	ई.सी.सी. हाईकैयर पैस्ट कंट्रोल	224, ग्राउड फ्लोर, निलकंठ आरकेड, 43 राजपुर रोड	UA-DDN-736	27-10-2017
37	इको सॉल्यूशन	सोसायटी एरिया, सुभाष नगर, देहरादून	UA-DDN-715	15-12-2016
38	पी0सी0आई0 पैस्ट कंट्रोल प्रार्लि0	537, सत्य विहार, विजय पार्क, देहरादून	UA-DDN-122	27-11-2008
39	पी0सी0आई0 पैस्ट कंट्रोल प्रार्लि0	64, विजय पार्क, बल्लूपुर चौक, देहरादून	UA-DDN-720	30-01-2017
40	पी0सी0आई0 पैस्ट कंट्रोल प्रार्लि0	न0-12, फैंडस हाऊसिंग कॉ-ओपरेटिव सोसाईटी, गुजराड़ा मानसिंह, सहस्रधारा रोड, देहरादून।	UA-DDN-66	08-08-2005
41	पी0सी0आई0 पैस्ट कंट्रोल प्रार्लि0	शॉप न0-04, एलाईड मार्केट, सेलाकुर्झ, देहरादून।	UA-DDN-721	10-04-2013

42	यश इण्टरप्राईजेस	141, संजय कोलोनी, पटेल नगर, देहरादून	UA-DDN-741	04-01-2018
43	यश इण्टरप्राईजेस	141, संजय कोलोनी, पटेल नगर, देहरादून	UA-DDN-742	04-01-2018
44	पैस्ट कंट्रोल कन्सलटेंट एण्ड सर्विसेस	8 चक्रवाता रोड देहरादून	UA-DDN-745	10-04-2018
45	सफल पैस्ट कंट्रोल	242,ऋषिनगर, सहस्रधारा रोड, देहरादून	UA-DDN-241	01-01-2016
46	अवध एग्रो पैस्ट कंट्रोल	नई बस्ती, दौड़वाला, मौथरेवाला, देहरादून	UA-DDN-726	06-05-2017
47	नार्दन पैस्ट कंट्रोल	शॉप न0-33, शिवा काम्प्लैक्स, दोनाली चौक, नथुवावाला, देहरादून	UA-DDN-755	30-07-2018
48	पैस्ट कंट्रोल इनिशियल	शॉप न0-04, एकजोट प्लाजा, मैन रोड, सेलाकुइ,देहरादून	UA-DDN-775	24-07-2019
49	ईंजी केयर इण्टरनैशनल साल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	प न0-36, विडलास शापिंग काम्प्लैक्स,11-ए, राजपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-776	27-05-19
50	बिनसर इण्टरप्राईजेस	अवंतिका विहार, कारनी रोड, गोदाम-प्लाट न0-549, बंजारावाला, देहरादून	UA-DDN-768	14-08-2020
51	फॉर्चून इण्टरप्राईजेज	दारा कॉम्प्लैक्स,	UA-DDN-767	12-03-2019
52	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	जाखन, राजपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-705	17-03-2016
53	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(बिग बजार)	पर आइ0एस0बी0टी बस स्टेशन मॉल में स्थापित बिग बाजार स्टोर	UA-DDN-212	17-05-2014
54	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(बिग बजार)	कपूर टॉवर, राजपुर रोड, देहरादून	UA-DDN-700	22-01-2016
55	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	श्रीरियल प्लाजा, वैस्ट कैनाल रोड, नियर सिन्जी हॉस्पिटल	UA-DDN-183	28-04-2012
56	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	प्लाट न0-04, सचदेवा काम्प्लैक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून	UA-DDN-171	03-09-2011
57	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	जी0एम0एस0 रोड,देहरादून	UA-DDN-156	30-08-2010
58	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	अधोईवाला, सहस्रधारा रोड, देहरादून	UA-DDN-155	14-07-2010
59	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	सेवलाकलॉ, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	UA-DDN-717	15-12-2016
60	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड(ईंजी डे स्टोर)	प्रेमनगर, देहरादून	UA-DDN-245	03-02-2016
61	पार्थ एजेन्सी	195, इन्दिरा नगर कालोनी, देहरादून	UA-DDN-739	12-12-2017
62	नरेन्द्र स्वरूप मित्तल एण्ड सन्स	32, लकड़ी बाग, देहरादून	UA-DDN-741	12-12-2017
63	नैशनल एजेन्सी	लेन न0-06, 282, राजेन्द्र नगर, देहरादून	UA-DDN-532	28-12-2002
64	रैकेट बेन्केजर इण्डिया लिमिटेड	बतरा कम्पाऊंड, नियर सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, देहरादून	653	31-12-2002
65	वाधवा मार्केटिंग एजेन्सी	109, अंसारी मार्ग	UA-DDN-69	21-12-2005
66	एस0सी0जोनसन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	ए/24/1 ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	UA-DDN-105	02-01-2008
67	गोदरेज कन्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	C/O श्रीश लूजिस्टिक, एराईज कम्पाऊंड, मोहब्बेवाला, इण्डस्ट्रियल एरिया, देहरादून	UA-DDN-175	14-02-2012
68	एवरेक्स ड्रेडर्स	टर्नर रोड, लेन0-01, देहरादून	UA-DDN-238	22-08-2015

69	रिलाईंस रिटेल लि०	नियर रोहन मोटर्स, जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून	UA-DDN-240	24-09-2015
70	आर०के० एजेन्सीज	58, मेन बाजार, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-744	27-12-2017
71	शिवम पैस्ट कंट्रोल	संगम विहार, कांवली, देहरादून	UA-DDN-83	15-09-2006
72	एल०बी०एम० एशोसियेट	हरबंसवाला, तेलपुर, पौ०आ०—मेहँवाला, देहरादून	UA-DDN-743	19-01-2018
73	श्री श्याम इण्टरप्राईजेस	60—ए अंसारी मार्ग, देहरादून	UA-DDN-761	18-09-2018
74	डिवाईन एग्री क्लीनिक एण्ड एग्री बिजनेस सैटर	मनुयोग विला, जैतनवाला, पौ०आ०—घंघोड़ा, देहरादून	UA-DDN-719	17-01-2017
75	श्री इण्टरप्राईजेस	820, सिरमौर प्लाजा, कौलागढ़ रोड	UA-DDN-738	12-09-2017
76	कैशोराम एग्री केयर प्रा०लि०	259 / 237 ईस्ट पटेल नगर, गुरु रोड, देहरादून	UA-DDN-77	30-05-2006
77	दून फर्टीलाईजर एण्ड पैस्टी साईड	त्यागी मार्केट, प्रेमनगर	UA-DDN-457	30-01-2002
78	एलपाईन हर्बल हब,	वाला, आरकेडिया ग्रांट, शिमला बाईपास रोड, नियर पेट्रोल पम्प	UA-DDN-749	10-07-2018
79	मेडिका हाऊस	22 / 1, धामावाला मौहल्ला, देहरादून	UA-DDN-761	13-12-2018
80	विशाल इण्टरप्राईजेस	ले०न०—०६, १०—आर्शीवाद एन्कलेव, देहरादून	UA-DDN-750	31-07-2018
81	अग्रवाल ट्रेडर्स	541, इन्दिरा नगर कालोनी, बसन्त बिहार, देहरादून	UA-DDN-759	10-09-2018
82	एडवांस क्राप केयर इण्डिया प्रा०लि०	ए—५८, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	UA-DDN-783	18-12-2019

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—२, कृषि निवेश केंद्र, श्यामपुर	न्याय पं०— श्यामपुर, वि०ख०—डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-224	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—२, कृषि निवेश केंद्र, भानियावाला	न्याय पं०— भानियावाला, वि०ख०—डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-223	07-09-2018
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—२, कृषि निवेश केंद्र, रानीपोखरी	न्याय पं०—रानीपोखरी, वि०ख०—डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-222	07-09-2018

4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मारखमग्रांट	न्याय पं०—मारखमग्रांट, विझ०—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-220	01-01-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मियांवाला	न्याय पं०—मियांवाला, विझ०—डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-221	01-01-2018
6	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति ,डोईवाला	डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-78	24-01-2002
7	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति ,माजरी स्टोर	माजरी स्टोर, डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-81	24-01-2002
9	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी लि०	भानियावाला	UA-DDN-772	01-06-2019

निजी विक्रेता फर्म

1	देवभूमि किसान केन्द्र	रेशम माजरी, (हरिद्वार रोड पर रेशम माजरी चौक से अन्दर रोड पर), डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-764	16-02-2019
2	संतोष किसान केन्द्र	ग्रा० व पो०—रेशम माजरी,डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-774	13-06-2019
3	भावेश ट्रेडर्स	प्रेमनगर बाजार, (नियर रेलवे फाटक), डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-762	01-12-2018
4	किसान सेवा भण्डार	भानियावाला, हरिद्वार रोड, (निकट श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल), देहरादून	UA-DDN-756	14-08-2018
	किसान सेवा केन्द्र	छिद्रवाला, देहरादून	UA-DDN-752	25-07-2018
5	हिमालयन इलेक्ट्रीकल एण्ड सिविल इंजिनियर्स	कमला सदन, मनीराम रोड, ऋषिकेश, देहरादून	UA-DDN-733	11-08-2017
7	श्री महालक्ष्मी खाद व बीज भण्डार	मिल रोड बाजार, डोईवाला, देहरादून		03-08-2017
8	बिष्ट खाद भण्डार	डोईवाला,(निकट ब्लांक आफिस) देहरादून	UA-DDN-563	01-01-2002
9	गोपाल चन्द्र रयाल खाद, बीज, कीटनाशक भण्डार	छिद्रवाला, देहरादून	82/2013	23-02-2013
10	ऑचल एग्रो इण्टरप्राइजेस प्राप्तिलि०	लाल तप्पड,(निकट गुरुद्वारा रोड), पो०आ०—रेशम माजरी, देहरादून	79/2013	17-01-2013
11	रायल फार्मा	274, आवास विकास कालोनी, मॉ लक्ष्मी निवास, वीरमद रोड, ऋषिकेश, देहरादून	75/2012-13	14-05-2012
12	एस०एस०खाद भण्डार	भानियावाला, देहरादून	55	
13	सिमरन बीज भण्डार	मेन रोड बाईपास श्यामपुर, रोड, ऋषिकेश, देहरादून	UA-DDN-130	01-08-2009
15	चौहान खाद भण्डार	प्रतीतनगर, रायवाला, ऋषिकेश,देहरादून	UA-DDN-107	04-03-2008
16	मॉ पार्वती एग्रो कैमिकल्स,	श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून	UK-DDN-60	22-07-2014
17	श्री कालिका एग्रो	नकरौदा,डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-758	27-08-2018
18	स्वाती किसान केन्द्र	डोईवाला, देहरादून	UA-DDN-725	21-03-2017
19	के०के०एजेन्सी	74, एस०बी०एम० काम्प्लेक्स, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश	UA-DDN-112	06-02-2018
20	परमेश्वर मार्केटिंग	निकट प्रसाद हास्पिटल, ऋषिकेश, देहरादून	UA-DDN-727	11-04-2017
	अमित ट्रैडर्स			

21	नॉर्दन पैस्ट कंट्रोल	33 शिवा कॉम्प्लैक्स, दोनाली चौक, नथुवावाला, देहरादून	UA-DDN-755	30-07-2018
22	प्रतीक एजेन्सी	ऋषिकेश, देहरादून	UA-DDN-771	01-06-2019

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी
सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, सहसपुर	न्याय पं०—सहसपुर, विंख०—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-758	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, आमवाला	न्याय पं०—आमवाला, विंख०—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-759	07-09-2018
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भगवंतपुर	न्याय पं०—भगवंतपुर, विंख०—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-760	07-09-2018
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, झाझरा	न्याय पं०—झाझरा, विंख०—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-761	07-09-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, ईस्टहोपटाऊन	न्याय पं०—ईस्टहोपटाऊन, विंख०—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-762	07-09-2018
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भाऊवाला	न्याय पं०—भाऊवाला, विंख०—सहसपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-763	07-09-2018
निजी विक्रेता फर्म				
1	शिवालिक रसायन लि०	कुलूपानी, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर	UA-DDN-721	18-12-2002
2	दून फर्टीलाईजर एण्ड पैस्टी साईड	त्यागी मार्केट, प्रेमनगर	UA-DDN-457	30-01-2002
3	एल्पाईन हर्बल हब	ग्राम—बड़ोवाला, शिमला बाईपास रोड, पैट्रोल पम्प के सामने, देहरादून	UA-DDN-749	10-07-2018
4	एल०बी०एम०एशोसिएट	ग्राम—हरबंसवाला, तेलपुर, पौ०औ०—मेहुवाला, देहरादून,		
5	ओम कृष्णा पैस्टीसाईड	मेन रोड, सहसपुर, देहरादून	UA-DDN-48	07-01-2004
6	मिलन पैस्टीसाईड	सभावाला, देहरादून	UA-DDN-169	03-09-2011
7	रिलाईबल पैस्ट कंट्रोल सर्विसेज	सभावाला, देहरादून	UA-DDN-132	
8	गुप्ता बीज भण्डार	तिपरपुर, सभावाला	UA-DDN-754	08-03-2018
9	एस.एस.डी. एण्ड कम्पनी	विंग न०—०६, म०न०—१५/३, प्रेमनगर, देहरादून	UA-DDN-766	27-12-2019

10	साई लैल्स कॉरपोरेशन	ठाकी, सहसपुर	UA-DDN-769	06-01-2019
11	पैस्ट कंट्रोल इनिशियल	शॉप न0—4,एकजोट प्लाजा, मेन रोड, सेलाकुई,दे0दून	UA-DDN-775	24-07-2019

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून				
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,सोरना	न्याय प0—सोरना, विख्यात विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-764	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र,लांधा	न्याय प0—लांधा, विख्यात विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-765	07-09-2018
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, एनफिल्ड	न्याय प0—एनफिल्ड, विख्यात विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-766	07-09-2018

4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, धर्मावाला	न्याय पं०-धर्मावाला, विझ०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-767	07-09-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, सभावाला	न्याय पं०-सभावाला, विझ०-विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-768	07-09-2018
6	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बिक्री केन्द्र— फतेहपुर	फतेहपुर, विकासनगर	UA-DDN-106	27-12-2001
7	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बिक्री केन्द्र— तिपरपुर	तिपरपुर, विकासनगर	UA-DDN-620	27-12-2001
	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बिक्री केन्द्र— रामपुर	रामपुर, विकासनगर	UA-DDN-404	27-12-2001

निजी विक्रेता फर्म				
1	एग्रो पैस्टीसाईड एण्ड सीडस	वार्ड न०-४, आसनबाग, हरबर्टपुर, देहरादून	UA-DDN-735	11-04-2017
2	बालाजी फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टिसाईड	मण्डी रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-718	17-01-2017
3	पी०आर०इण्टर प्राइंजेस	जीवनगढ़, चक्राता रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-701	16-02-2016
4	शिव एग्री केयर	जस्सोवाला, विकासनगर	109/2014	18-11-2014
5	मिलन पैस्टीसाईड	सभावाला, विकासनगर	85/2013	
6	बारुमल ज्ञान प्रकाश जैन	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-634	01-01-2003
7	जगत सिंह भगवंत सिंह	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-305	08-01-2003
8	अकाश पैस्टीसाईड एवं खाद बीज भण्डार	लक्ष्मीपुर चौक, बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-154	11-06-2010
9	चौहान बीज भण्डार	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-617	01-01-2003
10	उत्तराखण्ड पैस्टीसाईड	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-666	09-08-2002
11	श्री ओम पैस्टीसाईड खाद व बीज भण्डार	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-730	22-05-2017
12	उत्तराखण्ड खाद एण्ड बीज स्टोर	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-665	09-08-2002
13	हरिओम खाद भण्डार	बरोटीवाला, देहरादून	UA-DDN-207	24-01-2014
14	आर०के० एजेन्सीज	58, मेन बाजार, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-744	27-12-2017
15	लक्ष्मी पैस्टीसाईड	हरबर्टपुर, देहरादून	UA-DDN-603	05-06-2002
16	सैनी खाद एवं बीज भण्डार	धर्मावाला, देहरादून	UA-DDN-111	09-04-2008
17	संगीता पैस्ट कंट्रोल	हरबर्टपुर, देहरादून	UA-DDN-765	22-02-2019
18	विकास इण्टरप्राईजेज	डोभरी, विकासनगर, देहरादून	UA-DDN-780	18-11-2019

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून				
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, कालसी	न्याय पं०—कालसी, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-769	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, कोटी	न्याय पं०—कोटी, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-770	07-09-2018
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, खाड़ी	न्याय पं०— खाड़ी, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-771	07-09-2018
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, नराया	न्याय पं०—नराया, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-772	07-09-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, भंजरा	न्याय पं०—भंजरा, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-773	07-09-2018
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, उल्पाल्टा	न्याय पं०—उल्पाल्टा, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-774	07-09-2018
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, कोरुवा	न्याय पं०—कोरुवा, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-775	07-09-2018
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, मुन्धान	न्याय पं०—मुन्धान, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-776	07-09-2018
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2, कृषि निवेश केंद्र, डागुरा	न्याय पं०— डागुरा, विझ०—कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	UA-DDN-777	07-09-2018
निजी विक्रेता फर्म				
1	पारसनाथ ड्रैडर्स	सहिया, कालसी, देहरादून	UA-DDN-751	25-07-2018

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद— देहरादून				
क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथि
सरकारी संस्था/सहकारी समिति				

1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, दसऊ	न्याय पं-दसऊ, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-778	07-09-2018
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, मिण्डाल	न्याय पं-मिण्डाल, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-779	07-09-2018
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,रंगेऊ	न्याय पं-रंगेऊ, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-780	07-09-2018
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, काण्डोई बोन्दर	न्याय पं-काण्डोई बोन्दर, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-781	07-09-2018
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, जाड़ी	न्याय पं-जाड़ी, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-782	07-09-2018
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, बेरी	न्याय पं-बेरी, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-783	07-09-2018
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भंद्रौली	न्याय पं-भंद्रौली, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-784	07-09-2018
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, भुनाड	न्याय पं-भुनाड, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-785	07-09-2018
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, बृनाड	न्याय पं-बृनाड, वि०ख०-चक्राता, देहरादून,उत्तराखण्ड	UA-DDN-786	07-09-2018
8	जनशक्ति आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता	ग्रा०वपो०-अटाल, चक्राता	UA-DDN-753	01-09-2018

निजी विक्रेता फर्म

1	शर्मा पैस्टीसाईड	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-648	08-01-2003
2	चौहान फर्टिलाइजर एण्ड पैस्टिसाईड	शिमला रोड, त्यूनी, देहरादून	UK-DDN-723	01-03-2017
3	राणा कीटनाशी बीज भण्डार	ग्रा० व पो०-कोटी कनासर, त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-713	20-10-2016
4	रेणुका एग्रीकैयर	18-ए, सदर बाजार, चक्राता, देहरादून	114/2014-15	07-02-2015
5	चौहान एग्रोकैमिकल्स	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	113/2014-15	06-02-2015
6	चौहान बीज भण्डार	ग्रा० व पो०-हाटाल त्यूनी, चक्राता, देहरादून	112/2014-15	06-02-2015
7	चौहान इण्टरपार्ट्जेस	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-71	01-01-2016
8	चौहान सन्स इंटर प्राइजेस	रोटाखण्ड, त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-221	19-11-2019
9	प्रिमटा प्रग्रो सर्विस सेटर	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-729	06-05-2017
10	चौहान ट्रेडिंग कम्पनी	मेन मार्केट, कथियान, त्यूनी, चक्राता	UA-DDN-707	11-04-2016
11	वतन पैस्टीसाईड	टियूटाड(दारागाड), त्यूनी, चक्राता	UA-DDN-129	01-08-2009
12	राणा बीज भण्डार	अटाल, त्यूनी, चक्राता	UA-DDN-198	13-05-2013
13	मनोज पैस्टीसाईड	त्यूनी, चक्राता, देहरादून	UA-DDN-757	28-08-2018

इकाई स्तर परः—

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर स्थित किसान भवन।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ)

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं है, जिनमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों का दिया जाना प्राविधानित हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रतिपादित की गई है।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ)

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं है, जिनमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों को दिये जाने का प्राविधान हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी।

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं हैं, जिसमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों आदि का दिया जाना प्राविधानित हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था विभाग में प्रतिपादित की गयी है।

—:: मैनुअल—14 ::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों)

विभागीय मासिक त्रैमासिक, वार्षिक सूचनायें एवं अन्य सामान्य सूचनायें एवं पत्र व्यवहार कम्प्यूटर में संकलित की जाती हैं। जनपद के अन्तर्गत विभाग की ई-मेल आईडी o cao.deh.uk@gmail.com है।

—:: मैनुअल-15 ::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घटे सम्मिलित हैं)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता है।

क्र०सं०	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाश सं०/मोबाइल नं०	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाश सं०/मोबाइल नं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री गोपाल दत्त सती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	7060587423	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	श्री विजय देवराड़ी, मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून। श्रीमती अभिलाषा भट्ट श्री आशाराम वर्मा	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकट 6 नं० पुलिया, देहरादून	9412120961
2	श्रीमती अभिलाषा भट्ट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8171199655	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन			
3	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	7376681661	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर			
4	श्री दीपक पुरोहित	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	9690553265	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी			

-॥ मैनुअल-16 :-

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता है।

क्र०सं०	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाश सं०/मोबाइल नं०	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाश सं०/मोबाइल नं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री गोपाल दत्त सती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	7060587423	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	श्री विजय देवराड़ी, मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून। श्रीमती अभिलाषा भट्ट श्री आशाराम वर्मा श्री दीपक पुरोहित	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकट 6 नं० पुलिया, देहरादून	9412120961
2	श्रीमती अभिलाषा भट्ट	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8171199655	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन			
3	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	7376681661	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर			
4	श्री दीपक पुरोहित	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	9690553265	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्रता स्थित कालसी			

इकाई स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर स्थित किसान भवन देहरादून।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता है।

क्र०सं०	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष सं०/मोबाईल नं०	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष सं०/मोबाईल नं०
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर।	श्रीमती अमिलाषा भट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी स्थित किसान भवन प्रथम तल रिंग रोड देहरादून।	8171199655	विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री विजय देवराड़ी (विभागाध्यक्ष) मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकअ 6 नं० पुलिया, देहरादून	9412120961

विकासखण्ड स्तर पर:-

1	विकासखण्ड डोईवाला	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543	श्रीमती अमिलाषा भट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी स्थित किसान भवन प्रथम तल रिंग रोड देहरादून।	8171199655
2	विकासखण्ड रायपुर	श्री चमनलाल असवाल	विकासखण्ड प्रभारी रायपुर	9917818355	श्रीमती अमिलाषा भट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी स्थित किसान भवन प्रथम तल रिंग रोड देहरादून।	8171199655

न्यायपंचायत स्तर पर:-

1	न्यायपंचायत रायपुर	श्री प्रेम प्रकाश शैली	न्यायपंचायत प्रभारी	7983054103	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543
2	न्यायपंचायत थानौं	श्री बाबूराम यादव	न्यायपंचायत प्रभारी	8449401688	श्री चमनलाल असवाल	विकासखण्ड प्रभारी रायपुर	9917818355
3	न्यायपंचायत सरोना	श्री अरविन्द कुमार शर्मा,	न्यायपंचायत प्रभारी	7983206304	श्री चमनलाल असवाल	विकासखण्ड प्रभारी रायपुर	9917818355
4	न्यायपंचायत अजबपुरखुर्द	श्री नरेश कुमार नौटियाल,	न्यायपंचायत प्रभारी	9412965841	श्री चमनलाल असवाल	विकासखण्ड प्रभारी रायपुर	9917818355
5	न्यायपंचायत सेवलाकला	श्री अजय कुमार,	न्यायपंचायत प्रभारी	9410153627	श्री चमनलाल असवाल	विकासखण्ड प्रभारी	9917818355

						रायपुर	
6	न्यायपंचायत गुजराडा	श्री अरविन्द कुमार शर्मा,	न्यायपंचायत प्रभारी	7983206304	श्री चमनलाल असवाल	विकासखण्ड प्रभारी रायपुर	9917818355
7	न्यायपंचायत मारखमग्न्त	श्री चन्द्रवीर	न्यायपंचायत प्रभारी	9411030304	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543
8	न्यायपंचायत श्यामपुर	श्री चमनलाल असवाल,	न्यायपंचायत प्रभारी	9917818355	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543
9	न्यायपंचायत भानियावाला	श्री वाचस्पति भट्ट,	न्यायपंचायत प्रभारी	8449899406	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543
10	न्यायपंचायत रानीपोखरी	श्री सोहन लाल पोखरियाल,	न्यायपंचायत प्रभारी	9917356877	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543
11	न्यायपंचायत मियांवाला	श्री विनोद कुमार धस्माना	न्यायपंचायत प्रभारी	7983206304	श्रीमती इन्दु गोदियाल	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला	8077480543

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर देहरादून।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता है।

क्र0सं0	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष सं0/मोबाइल नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष सं0/मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर देहरादून।	9412050590	विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री विजय देवराड़ी (विभागाध्यक्ष) मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर रिथ्त किसान भवन, निकअ 6 नं0 पुलिया, देहरादून	9412120961

विकासखण्ड स्तर पर:-

1	विकासखण्ड सहसपुर	श्री श्रीदेव सिंह	विकासखण्ड प्रभारी सहसपुर	9410448731	श्री आशाराम वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर देहरादून।	9412050590
2	विकासखण्ड विकासनगर	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह चौहान	विकासखण्ड प्रभारी विकासनगर	8171131593	श्री आशाराम वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रिथ्त किसान भवन प्रथम तल रिंग रोड देहरादून।	9412050590

न्यायपंचायत स्तर पर:-

1.	न्यायपंचायत सहसपुर	श्री दिनेश कुमार चौहान	न्यायपंचायत प्रभारी	9536771953	श्री श्रीदेव सिंह	विकासखण्ड प्रभारी सहसपुर	9410448731
2.	न्यायपंचायत झाझरा	श्री प्रमोद कुमार	न्यायपंचायत प्रभारी	9897252155	श्री श्रीदेव सिंह	विकासखण्ड प्रभारी सहसपुर	9410448731
3.	न्यायपंचायत ईस्टहोपटाऊन	श्री नरेन्द्र कुमार	न्यायपंचायत प्रभारी	7599028102	श्री श्रीदेव सिंह	विकासखण्ड प्रभारी सहसपुर	9410448731
4.	न्यायपंचायत आमवाला	श्री धीरज सिंह रावत	न्यायपंचायत प्रभारी	7060477758	श्री श्रीदेव सिंह	विकासखण्ड प्रभारी सहसपुर	9410448731
5.	न्यायपंचायत भगवन्तपुर / भाऊवाला	श्री केदार सिंह रावत	न्यायपंचायत प्रभारी	8006461900	श्री श्रीदेव सिंह	विकासखण्ड प्रभारी सहसपुर	9410448731
6.	न्यायपंचायत एन्फील्ड	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह चौहान	न्यायपंचायत प्रभारी	8171131593	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह चौहान	विकासखण्ड प्रभारी विकासनगर	8171131593
7.	न्यायपंचायत सोरना	श्री रविन्द्र सिंह तोमर	न्यायपंचायत प्रभारी	9411326332	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह चौहान	विकासखण्ड प्रभारी विकासनगर	8171131593
8.	न्यायपंचायत धर्मावाला / सभावाला	श्री आनन्द सिंह	न्यायपंचायत प्रभारी	9627201214	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह चौहान	विकासखण्ड प्रभारी विकासनगर	8171131593
9.	न्यायपंचायत लांधा	श्री विजयपाल सिंह नेगी	न्यायपंचायत प्रभारी	9412368708	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह चौहान	विकासखण्ड प्रभारी विकासनगर	8171131593

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी देहरादून।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता है।

इकाई स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण

क्र०सं०	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का वूरभाष सं०/मोबाइल नं०	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष सं०/मोबाइल नं०
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी।	श्री दीपक पुरोहित	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी देहरादून।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चक्राता स्थित कालसी देहरादून।	9690553265	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकअ 6 नं० पुलिया, देहरादून	9412120961	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

विकासखंड स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण

क्र०स०	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष संख्या / मो०नं०	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष संख्या व मो०नं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकासखंड प्रभारी कृषि कालसी	डॉ सत्येन्द्र सिंह नेगी स०कृ०अ० वर्ग-१	विकासखंड कालसी	9627598004	श्री दीपक पुरोहित, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी	9690553265
2	विकासखंड प्रभारी कृषि चकराता	श्री मित्तीलाल स०कृ०अ० वर्ग-१	विकासखंड चकराता	9058728460	श्री दीपक पुरोहित, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी	9690553265

न्यायपंचायत स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चक्राता स्थित कालसी	श्री सारून हसन स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी बृनाड, भुनाड, बेगी	7983688955	श्री मित्तीलाल, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी चक्राता	9058728460
2		श्री रणबीर सिंह, स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी, रंगेऊ	9720729720	श्री मित्तीलाल, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी चक्राता	9058728460
3		श्रीमती पूनम खरबन्दा स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी, मिण्डाल	8979006067	श्री मित्तीलाल, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी चक्राता	9058728460
4		कु0 सोनिया चौहान स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी भंद्रौली, जाडी	9997775660	श्री मित्तीलाल, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी चक्राता	9058728460
5		श्री अमित पंत स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी उद्पाल्टा, भंजरा, खाडी	9675190930	डा0 सत्येन्द्र सिंह नेगी, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी कालसी	9627598004
6		श्रीमती सुप्रिया चौहान, स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी मुंधान, डागुरा	9997775660	डा0 सत्येन्द्र सिंह नेगी, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी कालसी	9627598004
7		कु0 प्रियंका थपलियाल, स0कृ030 वर्ग-3	न्यायपंचायत प्रभारी कोठी, कोरुवा	8394906115	डा0 सत्येन्द्र सिंह नेगी, स0कृ030 वर्ग-1	विकासखंड प्रभारी कालसी	9627598004

—:: मैनुअल-17 ::—

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय)

इस अधिष्ठान में मैनुअल संख्या— 01 से 16 तक अध्यावधिक रूप से तैयार किये गये हैं जिसमें अधिक से अधिक विभागीय देय सुविधाओं/योजनाओं आदि का उल्लेख पूर्ण सावधानी से किया गया हैं तथा विभाग अन्य किसी भी राजकीय ढाँचे, व्यवस्था के त्वरित बदलाव के साथ-साथ कार्य करने के लिए तत्पर हैं।

ह0

**(विजय देवराडी)
मुख्य कृषि अधिकारी
देहरादून।**